# विषय-सूची


**रूदाद इजतिमा-ए-आम कुलहिन्द, जमाअत इस्लामी** 7

**इजतिमा का उद्घाटन** 8

**इफ़तिताही तक़रीर, मौलाना अमीन अहसन साहब इस्लाही** 9

- ज़िक्रे इलाही की ताकीद 9
- ज़िक्रे इलाही का सही मतलब 9
- नज़्म (अनुशासन) की पाबन्दी 11
- इजतिमा का मक़सद 13
- जमाअत के हमदर्दों (सहयोगियों) से ख़िताब 14
- इस इजतिमा के कुछ दूसरे पेशेनज़र काम 17
- कुछ बातें आम हाज़रीन से 17

**रूदाद जमाअत इस्लामी** 23

- जमाअत इस्लामी का नस्बुलऐन (लक्ष्य) और जमाअत बनाने का मक़सद 24
- जमाअत इस्लामी की कार्यशैली 29
- देश के आम हालात 31
- जमाअत इस्लामी और दूसरे जमाअतों में शामिल होने की शर्तें 33
- जमाअत इस्लामी में दाख़िला और उसका तरीक़ा 35
- जमाअत इस्लामी से अलहदगी 37
- जमाअत में दाख़िले और अलहदगी के लिए अमीर जमाअत की मंज़ूरी ज़रूरी 38
- मक़ामी (स्थानीय) जमाअतों और अरकान की तादाद 38
- स्थानीय जमाअतों और अरकान की आम हालत 40
- अमीर की इताअत और फ़रमाँबरदारी 41
- मक़ामी अमीर के गुण और ज़िम्मेदारियाँ 42
- जमाअत का प्रभाव क्षेत्र 43
- ग़ैर मुस्लिमों में काम 45

- औरतों में काम 45
- उलमा का तबक़ा 49
- आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग 50
- हलक़ों के इजतिमा 56
- मरकज़ी मक्तबा से लिट्रेचर का प्रकाशन 58
- दूसरी ज़बानों में जमाअत के लिट्रेचर का प्रकाशन 59
- प्रदेशों के क़य्यिमों (सचिवों) की नियुक्ति 66
- हमारी दर्सगाह और तरबियतगाह 68
- मरकज़ी बैतुलमाल (केन्द्रीय कोष) और उसका हिसाब 70
- हमारी मुशकिलें 74
- मुनफ़रिद (अकेले) अरकान की मुशकिलें 76

**मुख्य सुझाव** **78**

1. तरबियतगाह 78
2. अरकान की हल्क़ाबन्दी 79
3. जमाअत के नज़्म व अनुशासन के बारे में ज़रूरी बातें 82
4. आइन्दा इजतिमा-ए-आम का फ़ैसला 82

**सवाल व जवाब** **84**

- मौलाना अमीन अहसन साहब इस्लाही का समापन भाषण 85
- जल्स-ए-आम में मौलाना अमीन अहसन इस्लामी साहब की तक़रीर 91
- इस्लामी दावत और उसके उत्प्रेरक 92

**रूदाद मजलिसे शूरा (सलाहकार समिति) जमाअत इस्लामी** **100**

- पहला इजलास 101
  1. आइन्दा सालाना इजतिमाआत का मसला 102
  2. बैतुलमाल की व्यवस्था 105
- मक़ामी (स्थानीय) बैतुलमाल 107
- दूसरा इजलास 109
  3. हिन्दुस्तान के मौजूदा हालात में जमाअत की पॉलिसी 109
- तीसरा इजलास 113
  4. तरजुमानुल क़ुरआन की मिलकियत के स्थानान्तरण का मसला 113

5. तरबियतगाह का प्रोग्राम 113

6. अमीर जमाअत की ग़ैर मौजूदगी में जमाअत के अनुशासन का मसला 114

- चौथा इजलास 115

7. हुकूमत की रोज़ बढ़ती सामूहिक दख़लअन्दाज़ी की पॉलिसी के पेशेनज़र जमाअत के लोगों के लिए आर्थिक नीति 115

8. ख़िताबे आम का मामला 115

9. ज़िमनी मरकज़ों के लिए आबादकारी के क़ायदे 116

10. हमदर्दों को संगठित करने का मसला 117

11. उम्र का मसला 117

12. सामूहिक मक़ासिद के लिए ज़मीन-जायदादों की ख़रीद व बिक्री के लिए रजिस्टर्ड मजलिस की स्थापना 118

**बैतुलमाल के बारे में हिदायतें** **119**

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

(अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील, अत्यन्त दयावान है।)

# रूदाद इजतिमा-ए-आम कुलहिन्द, जमाअत इस्लामी

**5, 6, 7 अप्रैल, सन् 1946 ई०; हरवारा, इलाहाबाद (उ०प्र०)**

पत्रिका 'तर्जुमानुल क़ुरआन', पठानकोट और अख़बार 'कौसर', लाहौर के ज़रिए यह एलान किया गया था कि कुलहिन्द (ऑल इंडिया) जमाअत इस्लामी के अरकान (मेम्बरों) का इजतिमा-ए-आम, हरवारा, इलाहाबाद में 5, 6, 7 अप्रैल सन् 1946 ई०; दिन जुमा, शनिवार, इतवार को आयोजित होगा, जिसमें तमाम अरकान (मेम्बरों) की शिरकत लाज़िमी होगी; सिवाय इसके कि किसी को कोई शरई मजबूरी पेश आ जाए। और यह कि जमाअत के हमदर्द और उसके काम से दिलचस्पी रखनेवाले दूसरे साथियों में से जो लोग जमाअत के काम और कारकुनों (कार्यकर्ताओं) को क़रीब से देखना चाहते हों और साथ ही जमाअत की दावत और तरीक़ेकार (कार्यशैली) को भी अमली तौर पर देखना चाहते हों वे भी शरीक हो सकते हैं।

अतः 4 अप्रैल, 1946 ई० की रात तक तमाम अरकान (मेम्बर) और बहुत-से हमदर्द व दूसरे हज़रात तशरीफ़ ले आए। इजतिमा में शरीक होनेवालों की कुल तादाद लगभग दो हज़ार थी। इजतिमागाह और मेहमानों के ठहरने का इनतिज़ाम हरवारा की बस्ती के सामने सड़क के किनारे ख़ेमों में किया गया था, जो इनतिज़ामी जोश व उत्साह और सलीक़ामंदी की अपनी मिसाल आप था। इलाहाबाद स्टेशन से इजतिमागाह तक मेहमानों को लाने के लिए बसों का इनतिज़ाम किया गया था और रेलवे स्टेशन पर मेहमानों के इस्तिक़बाल (स्वागत) और रहनुमाई के लिए काफ़ी कारकुन (कार्यकर्ता) मौजूद थे।

मुल्क के विभिन्न भागों से आनेवालों में मरकज़ (केन्द्र) के आदेशानुसार आम तौर से क़ाफ़िलों की सूरत में सफ़र किया। पंजाब और सूबा सरहद के लगभग सभी शरीक होनेवाले लोग मरकज़ से आनेवाले क़ाफ़िले के साथ आए।

हालाँकि इजतिमा में अरकान औरतों की शिरकत लाज़िमी नहीं थी, लेकिन फ़िर भी कुछ औरतें भी इस इजतिमा में शरीक हुईं। इसलिए इजतिमागाह में औरतों के लिए परदे का इनतिज़ाम किया गया और स्थानीय औरतों की एक बड़ी तादाद तमाम प्रोग्रामों में शरीक रही।

# इजतिमा का उद्घाटन

5 अप्रैल दिन जुमा सुबह 9 बजे इजतिमा का प्रोग्राम शुरू होनेवाला था। इससे कुछ मिनट पहले क़य्यिम जमाअत (महासचिव) ने माइक पर इजतिमागाह से एलान किया कि इजतिमा के शुरू होने में इतने मिनट बाक़ी हैं। तमाम लोग इजतिमागाह में अपने-अपने हलक़ों के लोगों के साथ आकर बैठ जाएँ। इसके कुछ मिनट बाद तमाम लोग इजतिमागाह में अपने-अपने हलक़ों के लोगों के साथ ख़ामोश बैठे थे। हर तरफ़ पूरा सुकून था। 9 बजे, और मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी (रह०) साहब, अमीर जमाअत ने इजतिमा का इफ़्तिताह (उद्घाटन) करते हुए हम्द व सना के बाद फ़रमाया :

"मोहतरम उपस्थित भाइयो व बहनो! यह हमारा दूसरा अखिल भारतीय (कुलहिन्द इजतिमा) है। मैं पिछले कुछ माह से लगातार बीमार चला आ रहा हूँ और इस सफ़र के बीच भी मेरे कान में इतनी तकलीफ़ रही है और अब भी है कि मैं इजतिमा की कार्रवाई में पूरे तौर से हिस्सा लेने से मजबूर हूँ। मेरी जगह पर मौलाना अमीन अहसन साहब इस्लाही मेरी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो मैं कल रात के इजतिमा में तक़रीर करूँगा। ख़ुदा आपकी मदद करे।"

इसके बाद मौलाना अमीन अहसन साहब इस्लाही ने इफ़्तिताही तक़रीर की जो नीचे लिखी जाती है।

# इफ़तिताही तक़रीर, मौलाना अमीन अहसन साहब इस्लाही

हम्द व सलात के बाद :

रुफ़क़ा-ए-जमाअत व उपस्थित भाइयो और बहनो !

यह बड़े दुख की बात है कि ऐसे मौक़े पर जबकि हम अपने सालाना इजतिमा के लिए जमा हुए हैं, अमीर जमाअत, जैसा कि आपको मालूम हुआ, अपनी सेहत की ख़राबी की वजह से इजतिमा की कार्रवाइयों की निगरानी नहीं कर सकते हैं। इस कमी को आप जितना महसूस कर रहे होंगे उससे कहीं ज़्यादा मैं ख़ुद महसूस कर रहा हूँ। लेकिन यह जमाअत के हितों का तक़ाज़ा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने का मौक़ा दिया जाए और इस बात पर मजबूर न किया जाए कि वे बिला वजह इजतिमा की कार्रवाइयों में हिस्सा लें ही। मौलाना यहीं मौजूद हैं और तमाम अहम मामलों में आसानी से उनकी हिदायात और मशविरे हासिल होते रहेंगे। और यह काम जहाँ तक ज़रूरी है मैं ख़ुद कर लूँगा। आप न उनसे मिलने की ज़्यादा ख़्वाहिश करें और न उनकी तक़रीरों ही के लिए ज़्यादा ज़िद करें। हाँ, अल्लाह तआला से यह दुआ करें कि वह जल्द से जल्द उनको सेहत अता करे और उनकी बीमारी के सबब इस समय जो अहम ज़िम्मेदारी मुझपर आ पड़ी है अल्लाह तआला उसके अदा करने की मुझे हिम्मत और क़ाबिलियत अता करे।

## ज़िक्रे इलाही की ताकीद

इस इजतिमा का उद्घाटन करते हुए सबसे पहले मैं आपको ज़िक्रे इलाही की नसीहत करता हूँ। यूँ तो अल्लाह की याद इनसान की रूहानी ज़िन्दगी के लिए हर समय उसी तरह ज़रूरी और लाज़िम है जैसे ज़िन्दा रहने के लिए सांस, लेकिन इन अवसरों पर ख़ास तौर से इसका एहतिमाम होना चाहिए। जहाँ ख़ुदा से ग़फ़लत के असबाब और उसपर उभारनेवाली बातें ज़्यादा जमा हो जाएँ, ऐसे मौक़ों पर नबी (सल्ल०) ने लोगों को ख़ास तौर पर अल्लाह की याद को अपने ऊपर लाज़िम कर लेने की ताकीद किया करते थे और क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि आपके लिए यह मौक़ा भी उन मौक़ों में से है जहाँ बहुत-सी चीज़ें आपको

ख़ुदा से ग़ाफ़िल कर सकती हैं, इस वजह से मैं ख़ास तौर से आपको अल्लाह की याद की ताकीद करता हूँ। यह याद ही आपके ख़यालात और नज़र को रौशन रखेगी और आप जिन बातों पर ग़ौर करने के लिए जमा हुए हैं उसी की मदद से उनमें आपको सही नतीजों पर पहुँचने की तौफ़ीक़ हासिल होगी। यही चीज़ आपको उस वक़्त किसी की बुराई, ग़ीबत (पीठ पीछे निन्दा) और दूसरों की तौहीन व बेइज़्ज़ती से बचाएगी जब आप अपने ख़ेमों और पंडालों में जमा होंगे और यही चीज़ आपके दिलों और ज़बानों की उन मौक़ों पर हिफ़ाज़त करेगी; जबकि आपकी रायों में इख़्तिलाफ़ और विचारों में टकराव का कोई सबब पैदा होगा और आप इसी चीज़ की मदद से अपनी इस मुसाफ़िराना ज़िन्दगी के बेशुमार मुशकिल मरहलों में अपने अख़लाक़ और ईमान को फ़ितनों से बचा सकेंगे। अगर आपने इसका एहतिमाम न रखा तो हर क़दम पर आपसे भूल का ख़तरा है। आपको याद रखना चाहिए कि आप अल्लाह के कलिमों को बुलन्द करने का पक्का इरादा लेकर उठे हैं। इस तरह की जमाअत का फ़र्ज़ है कि वह हर समय अपने क़ौल व अमल (कथनी व करनी) की कड़ी निगरानी रखे कि उससे कोई बात ऐसी न हो जाए जो ख़ुदा की मरज़ी के ख़िलाफ़ हो और ऐसा सिर्फ़ वही लोग कर सकते हैं जिनके दिलों में हर समय ख़ुदा की याद बसी हो।

## ज़िक्रे इलाही का सही मतलब

ज़िक्रे इलाही के मफ़हूम और मतलब से कहीं आपको कोई ग़लतफ़हमी न हो। मेरे निकट ज़िक्रे इलाही का मतलब उसके राइज मायने से बहुत व्यापक है। मैं सिर्फ़ ज़बान से सुबहानल्लाह-सुबहानल्लाह कहने को ज़िक्र नहीं समझता। ऐसा ज़िक्र अकसर सिर्फ़ ज़बान के लिए एक कार्य बनकर रह जाता है और इनसान की ज़िन्दगी की हिफ़ाज़त नहीं करता। मेरे ख़याल में ज़िक्र के साथ फ़िक्र भी ज़रूरी है। जो ज़िक्र फ़िक्र से ख़ाली हो वह असरदार नहीं होता। आप अगर ज़िक्र की बरकतों से पूरे तौर पर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो दिल से अल्लाह का, उसके आला सिफ़ात (उच्च गुणों) का उसके अनोखे व अद्‌भुत कामों का, उसकी क़ुदरतों और हिकमतों का और उसके उस अह्द (वचन) का जो आपने उससे किया है और उसके उन वादों और चेतावनियों का जो वचन के पूरा करने या वचन के तोड़ देने की हालत में उसकी तरफ़ से आपके लिए तय हैं। ध्यान रखिए और जो कुछ कीजिए अल्लाह के कलिमे की बुलन्दी के लिए कीजिए। आपकी ज़बान से जो कुछ निकले वह अल्लाह की मरज़ी के मुताबिक़ हो, और आपका जो क़दम भी उठे वह ख़ुदा की राह में हो, शैतान की राह में न हो। यही

ज़िक्र है जिसका अल्लाह तआला ने मुतालिबा किया है, न यह कि आप अल्लाह के नाम को तो सुबह-शाम जपते रहें और उसके कामों से ग़ाफ़िल हो जाएँ। अल्लाह के यहाँ इस ज़िक्र की कोई क़ीमत नहीं है। अगर आप वास्तव में अल्लाह को याद करना चाहते हैं तो उस वचन को याद रखिए जो आपके और उसके बीच उसके रसूलों के ज़रिए से हुआ है। यह वचन अल्लाह की पूरी शरीअत पर हावी है और ज़िन्दगी के हर मरहले में इसी का एहतिमाम और पाबन्दी और इसी के क़ायम करने की जिद्दोजुहद वह हक़ीक़ी ज़िक्र है जिसका हुक्म कुरआन मजीद में दिया गया है :

**"फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफ़ुरून।"** (2 : 152)

(अतः मेरे वचन को याद रखो जो तुमने मुझसे किया है, मैं उस वचन को याद रखूँगा जो मैंने तुमसे किया है, और मैंने शरीअत की जो नेमत तुमपर नाज़िल की है उसपर तुम मेरे शुक्रगुज़ार रहना और मेरी नाशुक्री न करना।)

यही ज़िक्र है जिसकी मैं इस समय आपको ताकीद कर रहा हूँ और अगर आपने इससे लापरवाही की तो यह सब कुछ करने के बावजूद जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं यह समझूँगा कि आपने अपना वक़्त भी बरबाद किया और माल भी बरबाद किया और यह दुनिया और आख़िरत दोनों का घाटा होगा।

## नज़्म (अनुशासन) की पाबन्दी

दूसरी चीज़ जिसकी इस मौक़े पर मैं ताकीद करना ज़रूरी समझता हूँ वह यह है कि नज़्म की पूरी पाबंदी का ध्यान रखिए। विभिन्न विभागों के ज़िम्मेदारों की ओर से आपको जो भी आदेश मिलें उनकी ज़रा भी ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं होनी चाहिए। नमाज़ की जगह, खाना खाने की जगह और इजतिमा की जगह पर आपकी चलत-फिरत एक सुसंगठित और प्रतिष्ठित जमाअत की-सी हो। कहीं शोर-शराबे और हुल्लड़बाज़ी की सूरत पैदा न होने पाए। इस बारे में यह हक़ीक़त अपने सामने रखिए कि अनुशासन के तक़ाज़ों को पूरा करना दूसरों के निकट केवल एक इजतिमाई अख़लाक़ है जिसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करनेवाला सिर्फ़ समाज में नक्कू बनता है मगर एक मुसलमान के नज़दीक उसकी हैसियत एक दीनी ज़िम्मेदारी की है जिसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी से आख़िरत में ख़ुदा और रसूल (सल्ल०) की नाराज़गी के बारे में भी सोच लें, और इससे दुनिया में भी इनसान रुसवा होता है। जमाअती ज़िन्दगी को बाक़ी रखने और तरक़्क़ी देने के लिए

जिन बातों की ज़रूरत है उनका आदेश ख़ुद अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल०) ने दिया है और उनकी पाबन्दी करने का हर मुसलमान ने मुतालिबा किया है। इसलिए जिन लोगों का जमाअती अख़लाक़ कमज़ोर है और जो नहीं जानते कि एक व्यक्ति को जमाअत के अन्दर किस किरदार और किस अख़लाक़ का प्रदर्शन करना चाहिए, वे यह न समझें कि वे सिर्फ़ एक अख़लाक़ी बड़ाई से वंचित हैं बल्कि हक़ीक़त में जितना उनका जमाअती अख़लाक़ कमज़ोर है उतनी ही उनकी दीनदारी में भी कमज़ोरी है। कोई मुसलमान ऊँचे दर्जे की जमाअती सीरत के बिना ऊँचे दर्जे का दीनदार मुसलमान नहीं हो सकता चाहे वह कितने ही रोज़े रखे और कितनी ही नमाज़ें पढ़े। नबी (सल्ल०) ने फ़रमाया है, "मैं ऊँचे अख़लाक़ की सारी बातों को पूरा करने के लिए भेजा गया हूँ।" इस ऊँचे अख़लाक़ का सबसे बेहतरीन नमूना अगर ख़ुद मुसलमान न पेश कर सकें तो इसका मतलब यह है कि मुसलमान उस मक़सद से लापरवाह हो गए हैं जिसके लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को पैग़म्बर बनाकर भेजा गया था।

नबी करीम (सल्ल०) ने अच्छे अख़लाक़ की जो शिक्षा दी और उसका असर अरबों जैसी जाहिल और उजड्ड क़ौम पर जो कुछ पड़ा उसका अन्दाज़ा ईरानी जनरल रुस्तम के इस वाक्य से किया जा सकता है जो उसने हज़रत उमर (रज़ि०) की फ़ौजों की नमाज़ों की क़तारें देखकर कहा था कि "उमर तो मेरा कलेजा खा गया। यह तो कुत्तों को अनुशासन की शिक्षा दे रहा है।"

जिस जमाअत के डिसिप्लीन पर ईरान जैसी सभ्य क़ौम का जनरल (सेनापति) ईर्ष्या करे, उस जमाअत के जमाअती किरदार का अन्दाज़ा कीजिए और फिर उससे अपने आपको तौलिए तो आपको मालूम होगा कि आपका इजतिमाई अख़लाक़ उससे कोई मेल नहीं खाता, बल्कि शायद यह कहना ग़लत न होगा कि आप उसी जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ से चले थे। यहाँ तक कि एक मामूली-सा इजतिमा आपकी इजतिमाई सीरत की तमाम कमज़ोरियों को उजागर कर देता है। आपके भविष्य की ओर से कुछ मायूसी-सी होने लगती है कि जो लोग इतनी छोटी-छोटी आज़माइशों में पूरे नहीं उतरते वे लोग बड़े-बड़े इमतिहानों में किसी मज़बूत इजतिमाई किरदार का क्या परिचय दे सकेंगे?

मैंने एक लम्बा सफ़र अभी-अभी आपके साथ किया है। इस सफ़र में आपके किरदार का जो प्रदर्शन मेरे सामने हुआ है उससे न सिर्फ़ यह कि मुझे कोई ख़ुशी नहीं हुई, बल्कि अगर सच पूछिए तो थोड़ी-सी तकलीफ़ हुई है। सफ़र में जिस क़ुरबानी, जिस सहनशीलता, जिस गंभीरता की ज़रूरत है उसका

अभी बहुत थोड़ा हिस्सा आपमें नज़र आया। विभिन्न अवसरों पर आपने जिस बेसब्री और जल्दबाज़ी का प्रदर्शन किया है वह रेल के आम मुसाफ़िरों से कुछ अलग नहीं था। आपने ऐसे बहुत-से लोगों को भी तकलीफ़ें पहुँचाई हैं जिनसे माफ़ी माँगने का भी अब आपके लिए कोई मौक़ा बाक़ी नहीं रहा। सफ़र में आपका ज़्यादातर समय उसी प्रकार की बातों में बीता जिनमें रेल के आम मुसाफ़िर समय बिताते हैं। मैंने कभी-कभी यह बात भी महसूस की कि जमाअत के अरकान ने आपस में भी एक-दूसरे के साथ इस तरह का सुलूक नहीं किया जो सही इस्लामी अख़लाक़ का तक़ाज़ा था, बल्कि सफ़र में आज़माइश के मौक़े पर एक-दूसरे से अनजान बन गए। यह लक्षण अच्छे नहीं हैं। इससे मालूम होता है कि आपके अन्दर सच्ची इस्लामी सीरत की तामीर की रफ़्तार बड़ी सुस्त है। मुझे इन बातों का ज़िक्र करते हुए शर्म आती है, लेकिन मुझपर नसीहत की जो ज़िम्मेदारी डाली गई है उसका तक़ाज़ा है कि मैं इस शर्म की परवाह किए बिना आपकी कमियों पर आपको मलामत करूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उस बड़े मक़सद को याद रखेंगे जिसके लिए आप उठे हैं और उस बड़े मक़सद को हासिल करने के लिए जिस व्यक्तिगत और सामूहिक किरदार की ज़रूरत है आप उसको अपने अन्दर पैदा करने के लिए पूरी सरगर्मी से काम लेंगे और जिस जगह होंगे—बाज़ार हो या स्टेशन, रेल हो या सड़क—हर जगह इसी किरदार का सुबूत देंगे।

## इजतिमा का मक़सद

हमारे इजतिमाआत का मक़सद आपको मालूम है, सिर्फ़ कुछ उपदेश और तक़रीरें करना नहीं है। हमने इस काम के लिए आपका वक़्त और पैसा ख़र्च नहीं कराया है, बल्कि हमारे सामने कुछ अहम मक़ासिद हैं जिनके ज़रिए ये इजतिमाआत किए जाते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि इस मौक़े पर आप उनको अपने सामने रखें। ऐसा न हो कि यह हंगामा आपको उनसे ग़ाफ़िल कर दे और यह सारा दर्दे सर व्यर्थ और लाहासिल ही रह जाए।

इन इजतिमाआत का पहला मक़सद यह है कि जिन लोगों को एक ख़ास नसबुल ऐन (लक्ष्य) के प्रेम ने आपस में जोड़ दिया है, वे आपस में एक-दूसरे से वाक़िफ़ हो जाएँ, एक-दूसरे के हालात और परेशानियों को मालूम कर सकें और असल मक़सद की राह में एक-दूसरे के तजुर्बों से फ़ायदा उठा सकें। इससे यह होगा कि आज भी आप मुमकिन हद तक आपस में सहयोग और मिल-जुलकर

काम करने के रास्ते खोल लेंगे और आगे भी जब ज़रूरत होगी तो आपको आसानी के साथ जोड़ा और मिलाया जा सकेगा और एक मक़सद के लिए एक राह में आपकी ताक़तों और क़ाबिलियतों को इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह मक़सद चाहता है कि आप अपने फ़ुरसत के वक़्त को बेकार की बातों में बरबाद करने की जगह आपस में वाक़िफ़ होने और मुलाक़ात करने में लगाएँ। अगर यह काम आपने इसके असल मक़सद को सामने रखकर किया तो इस इजतिमा के एक बुनियादी मक़सद को पूरा करेंगे और इससे आपकी व्यक्तिगत ज़िन्दगी को भी फ़ायदे पहुँचेंगे और आपकी जमाअती ज़िन्दगी में भी इसके अच्छे नतीजे निकलेंगे।

दूसरा मक़सद यह है कि हम तबलीग़ व दावत के काम को सिर्फ़ साहित्य (लिट्रेचर) के प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि यह चाहते हैं कि हमारे लिट्रेचर से लोगों में जो सही फ़िक्र पैदा हो रही है, मौक़े पर पहुँचकर इसकी सिंचाई का सामान भी करें। इस मक़सद के लिए हम यह सालाना इजतिमा हिन्दुस्तान के विभिन्न हिस्सों में करना चाहते हैं ताकि मुल्क के हर हिस्से के लोगों तक हम अपनी दावत सीधे तौर पर पहुँचा सकें और जो लोग हमसे मिलना चाहें आसानी के साथ हमसे मिलकर अपने संदेह व संकोच—अगर कुछ हों—दूर कर सकें। इस मक़सद को पूरी तरह हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अरकान में से जो हज़रात जमाअत के मक़ासिद को दूसरों के सामने पेश करने की कोई सलाहियत रखते हैं या एतिराज़ करनेवालों और आपत्तिकर्ताओं की आपत्तियों और एतिराज़ों को दूर कर सकते हैं, वे इजतिमा-ए-आम से फ़ुरसत पाने के बाद अपना ज़्यादा समय उन लोगों के साथ बिताएँ जो इस इजतिमा के मौक़े पर हिन्दुस्तान के विभिन्न भागों से यहाँ आए हुए हैं और जमाअत के मक़सद को समझना चाहते हैं या उसके सिलसिले में कुछ संदेहों को दूर करना चाहते हैं।

## जमाअत के हमदर्दों (सहयोगियों) से ख़िताब

इस मौक़े पर कुछ बातें जमाअत के हमदर्दों से कहनी है, उम्मीद है कि वे ध्यान से सुनेंगे और मेरी कड़वी बातों के लिए मुझे माफ़ करेंगे।

हमने जमाअत के निज़ाम (व्यवस्था) के साथ हमदर्दों का एक शोबा (विभाग) सिर्फ़ कुछ थोड़े समय और अस्थाई हितों के लिए रखा है लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत-से ऐसे लोगों के लिए भी यह शोबा पनाहगाह का काम दे रहा है

जिनकी असल जगह जमाअत के निज़ाम (व्यवस्था) के अन्दर थी न कि हमदर्दों की क़तार में। ये हज़रात बिला किसी मुनासिब वजह के, सिर्फ़ अपनी कुछ नफ़सी कमज़ोरियों की वजह से, इस आड़ में छिपे बैठे हैं और समझ रहे हैं कि इस हमदर्दी से वे उस ज़िम्मेदारी को पूरा करनेवाले बन जाएँगे जो उनपर अल्लाह तआला की तरफ़ से डाली गई है। यह एक बड़ी ग़लतफ़हमी है जिसका दूर होना बहुत ही ज़रूरी है। अल्लाह तआला के हुक़ूक़ और ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ़ इसी तरह पूरी नहीं हो सकतीं कि आप जमाअत के साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं जो इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उठी है, बल्कि आज उनके अदा करने की सूरत यह है कि आप अपनी तमाम ज़िन्दगी की दौलत उस जमाअत को फैलाने में लगा दें जो इस मक़सद के लिए उठे। अगर आपके सामने कोई मजबूर कर देनेवाली अड़चन नहीं है तो आपका फ़र्ज़ है कि आपमें से हर व्यक्ति उस जमाअत की पहली क़तार में पहुँचने के लिए एक-दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करे, ताकि समय के बेजान माहौल में एक हरकत पैदा हो और जो राह बन्द है, उसके खोलने के लिए दिलों में जोश व उत्साह पैदा हो। सिर्फ़ दुआ देने और हमदर्दी दिखाने को फ़र्ज़ की अदाइगी की एक शक्ल समझ लेना और उसी पर बेफ़िक्र होकर इतमीनान करके बैठ जाना सख़्त पस्तहिम्मती और कमज़ोरी की बात है। यह हक़ीक़त में राह की मुशकिलों से डरकर नफ़्स की ख़्वाहिशों के साथ समझौते की एक सूरत है जो मुमकिन है एक व्यक्ति के ख़ुलूसे नियत की वजह से निफ़ाक़ के हुक्म में न आए लेकिन फिर भी यह ईमान के हक़ीक़ी मक़सद से बहुत दूर है और मैं इस बात को जाइज़ नहीं समझता कि एक मुसलमान सुलह-समझौते की यह सूरत उस समय सोचे जबकि दीन को ग़ालिब करने की कोशिश के लिए दावत बुलन्द हो चुकी हो और हर व्यक्ति से मुतालिबा कर रही हो कि जिसके पास ख़ुदा की दी हुई जो ताक़त व क़ाबिलियत भी मौजूद है उसको लेकर मैदान में उतर पड़े। दीन को क़ायम करने का फ़र्ज़ ऐसा फ़र्ज़ नहीं है जो सिर्फ़ इस तरह अदा हो सके कि आप इस जमाअत के हमदर्दों में शामिल हो जाएँ, जो इस मक़सद के लिए खड़ी हो रही है। इसके लिए आपको हर ज़िम्मेदारी लेने के लिए ख़ुद आगे बढ़ना चाहिए और शौक़ व जज़्बे के साथ बढ़ना चाहिए। इस तरह कि आपका बढ़ना साथियों में हिम्मत और दूसरों में भी जोश पैदा करे, न इस तरह कि आपके रवैये को देखकर दूसरों पर भी मसलिहत तलाशने और एहतियात की कमज़ोरी हावी हो जाए।

यही वजह है कि हम कभी-कभी इस मसले पर विचार करने लग जाते हैं

कि हमदर्दों का एक अलग स्थाई विभाग बाक़ी रखना कुछ मुफ़ीद है या नहीं? ख़ैर, इस सवाल का कोई आख़िरी फ़ैसला तो अभी हम नहीं कर सके हैं, लेकिन इतनी बात तो बिलकुल साफ़ मालूम होती है कि बिला किसी बहुत ही मुनासिब सबब के किसी नेकनीयत और मुख़लिस आदमी के लिए यह बात जाइज़ नहीं है कि वह हक़ की अलमबरदारों की क़तार में खड़े होने के बजाए उसके हमदर्दों की पनाहगाह में पनाह लेने की कोशिश करे। यह बात हर व्यक्ति को याद रखनी चाहिए कि दीन के ख़िदमतगुज़ारों की असली क़िस्म एक ही है और ये वे लोग हैं जो बिना किसी हिफ़ाज़त और सनद के उसके साथ रहने और उसकी ख़िदमत करने का अह्द बाँधते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी बात की गुंजाइश है तो यह है कि दीन को क़ायम करने की जिद्दोजुहद के शुरुआती दौर में कुछ खास हालात के लिए लोगों के लिए कुछ रिआयतें रखी जाएँ, लेकिन ये रिआयतें वक़्ती हैं। एक समय आता है जब ये सारी रिआयतें ख़त्म हो जाती हैं और हज़रत मसीह (अलै०) के शब्दों में साफ़-साफ़ एलान कर दिया जाता है कि "जो हमारे साथ नहीं हैं वे हमारे दुशमन हैं।" जब असली क़िस्म उन्हीं लोगों की ठहरी तो अच्छा यही है कि उन्हीं लोगों की राह अपनाई जाए, न कि उस टहनी पर अपना घोंसला बनाया जाए जो बहरहाल एक दिन काट डाली जाएगी।

हम आपके सामने अल्लाह का दीन पेश कर रहे हैं और यह भी साबित कर रहे हैं कि यह आपकी ज़िन्दगी का एक हिस्सा नहीं, बल्कि यही सब कुछ है। अगर हमारी बात में कोई ग़लती और हमारी दलील में कोई कमी है तो आप उसको साफ़-साफ़ बता दीजिए, ताकि हम उस ग़लती को सुधार लें और उस कमी को दूर कर दें, लेकिन अगर आप तसलीम करते हैं कि हक़ वही है जो हम पेश कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने आपपर अल्लाह की हुज्जत तमाम कर दी और आपके लिए हक़ से बचने या फिरने की कोई वजह बाक़ी नहीं रह गई। ऐसी हालत में आपके लिए सही राह सिर्फ़ एक ही हो सकती है कि आप उस हक़ को बहादुरों की तरह क़बूल करें जो आपपर अच्छी तरह वाज़ेह हो चुका है। न यह कि क़बूल करके भी आप अमली तौर पर क़बूल न करनेवालों ही की क़तार में रहें।

आप हज़रात में से जिन लोगों के दिल और दिमाग़ में हमारी जमाअत की दावत और उसके तरीक़ेकार के बारे में कुछ संदेह हों तो वह नोट करके आज शाम तक क़य्यिम जमाअत (महासचिव) के हवाले कर दें, ताकि कल किसी मुनासिब वक़्त पर आपके उन संदेहों को दूर करने की कोशिश की जाए। लेकिन

इस बारे में एक तंबीह (चेतावनी) भी ज़रूरी समझता हूँ। (तंबीह का शब्द मैंने इसके अरबी भाषा के मायने में इस्तेमाल किया है, यह न सोचिएगा कि घमंड की वजह से कोई बड़ा शब्द बोल गया हूँ), वह यह कि जो संदेह असल में आपके दिमाग़ में हों, उनको पेश कीजिएगा, ऐसा न हो कि मेरे एलान की वजह से आप बिला वजह कुछ संदेह अपने आप पैदा करने के चक्कर में पड़ जाएँ। बिला वजह संदेह पैदा करना, यह इस ज़माने की एक नई बीमारी है। और मैं नहीं चाहता कि कोई सही आदमी इस रोग में फँसे। किसी हक़ बात के बारे में आदमी के दिमाग़ में जो सवालात ख़ुद-बख़ुद आते हैं, अल्लाह तआला उन सवालों के हल करने में एक सोच-विचार करनेवाले व्यक्ति की मदद भी करता है और उन सवालों को, हक़ के स्पष्टीकरण का ज़रिआ भी बना देता है, लेकिन जो लोग अपने दिलों में संदेह के काँटे ख़ुद चुभोने की कोशिश करते हैं जैसा कि इस ज़माने के नये शिक्षित नौजवान करते हैं, उनको शक और हैरानी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता और सारी ज़िन्दगी यक़ीन और ईमान की लज़्ज़त से महरूम ही रहते हैं। इस वजह से मैं गुज़ारिश करता हूँ कि सिर्फ़ वाक़ई संदेह पेश करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे ऐलान की वजह से न मुझे नीचा दिखाने की फ़िक्र में पड़ जाइएगा और न ख़ुद अपने आपको एक ख़तरनाक रोग में डालने की कोशिश कीजिएगा।

## इस इजतिमा के कुछ दूसरे पेशेनज़र काम

इस इजतिमा में जो काम हमारे पेशेनज़र हैं वे धीरे-धीरे आपके सामने आ जाएँगे। पहले से उनसे आगाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ख़ास काम जो इस मौक़े पर हम करना चाहते हैं उसका एलान इस पहली बैठक में इस वजह से ज़रूरी है कि इस सिलसिले में हमें जिन मालूमात की ज़रूरत है वे तमाम अरकाने जमाअत के सहयोग के बिना हासिल नहीं हो सकती। इसलिए असल काम से पहले जिसके लिए हमने तीसरे दिन का समय रखा है हम चाहते हैं कि वह आपके इल्म में आ जाए, ताकि वह अच्छे से अच्छे ढंग से पूरा किया जा सके।

पिछले कुछ सालों की मुद्दत में अल्लाह तआला ने हमारी दावत के लिए जिन लोगों के दिलों को खोला है, हालाँकि उनकी तादाद कुछ ऐसी ज़्यादा नहीं है कि तादाद के पहलू से हम उन्हें अहमियत दें लेकिन जहाँ तक हमें अन्दाज़ा है उनके अन्दर विभिन्न ताक़तें और क़ाबिलियतें रखनेवाले लोग मौजूद हैं, जिनकी वजह से जमाअत अपनी कैफ़ियत के लिहाज़ से ख़ासी अहमियत रखती है। अब

हमारे आगे की स्कीमों का तक़ाज़ा है कि उन क़ाबिलियतों से काम लेने का मंसूबा बनाया जाए और विविध सलाहियत और क़ाबिलियत के रखनेवाले लोगों को अलग-अलग गिरोहों में बाँट करके इस बात की कोशिश की जाए कि उनको इजतिमाई तौर पर अपनी क़ाबिलियतों को तरक़्क़ी देने का मौक़ा मिले। इस प्रकार की कोशिश का एक फ़ायदा तो यह होगा कि जमाअत की जो क़ाबिलियत आज दस मन है वह इजतिमाई जिद्दोजुहद से बहुत जल्द बढ़कर बीस मन हो सकती है और दूसरी तरफ़ यह होगा कि जब हम इन क़ाबिलियतों को जमाअत के पेशेनज़र मक़सदों में इस्तेमाल करना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। न इसको ठीक-ठीक जाँचने में कोई मुशकिल होगी, न इसको संगठित और मुनज़्ज़म करने में कोई परेशानी होगी और न ही यह बात कुछ ऐसी नामुमकिन होगी कि पूरी जमाअत की जिद्दोजुहद में मिल-जुलकर काम (TEAM WORK) करने की शान पैदा हो जाए।

इस तनज़ीम की सूरत यह होगी कि जमाअत के अन्दर जो लोग मिसाल के तौर पर तबक़-ए-उलमा से हैं उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाए। इस तरह जो लोग लेखक हैं उनको अलग कर लिया जाए, जो लोग पढ़ने-पढ़ाने की क़ाबिलियत रखते हैं उनका अलग ग्रुप हो। इसी तरह जो कल-कारख़ानेवाले और कारीगर हैं या किसान व ताजिर हैं। मतलब यह कि हर क़ाबिलियत के लोगों को अलग-अलग करके उनकी अलग-अलग जमाअतें (ग्रुप) बना दी जाएँ और वह अपने अन्दर से किसी व्यक्ति को चुन लें जो समय-समय पर उनको जमा करके उनके लिए इस तरह के अवसर प्रदान करता रहे कि वे अपने काम पर जमाअती दृष्टिकोण से विचार कर सकें। इस सिलसिले में अगर मरकज़ (केन्द्र) ख़ुद किसी जमाअत से राय लेना या उसको सुझाव और हिदायत देने की ज़रूरत महसूस करेगा तो उसको सुझाव लेने और हिदायत देनें के लिए बुलाएगा। इस काम के लिए जो ज़रूरी जानकारी चाहिए, हालाँकि उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे पास मौजूद है, फिर भी हमारी लिस्ट इतनी मुकम्मल नहीं है कि हम अकेले उसकी मदद से इस काम को कर सकें, इस वजह से हम चाहते हैं कि परसों का दिन इस काम के लिए ख़ास कर लें और लोगों को अलग-अलग ग्रुपों की शक्ल में बुलाएँ। इसलिए यह एलान किया जाता है कि जिस ग्रुप को बुलाया जाए उससे ताल्लुक़ रखनेवाले तमाम लोग आ जाएँ। नाम-ब-नाम बुलाए जाने का इनतिज़ार न करें। हम सिर्फ़ उलेमा के ग्रुप के लोगों के नाम का एलान कर देंगे।

## कुछ बातें आम हाज़रीन से

इस इजतिमा में बहुत-से ऐसे लोग भी होंगे जो न हमारे अरकान में शामिल होंगे, न हमारे हमदर्दों में, बल्कि आम जनता से ताल्लुक़ रखते होंगे और इस जलसे में इस वजह से शरीक हो गए होंगे कि यह उनके शहर के पड़ोस में हो रहा है। इस तरह के लोगों के सामने कुछ बातें कह देनी ज़रूरी हैं वरना डर है कि उनको कोई ग़लतफ़हमी और मायूसी हो।

मैं शुरू में ही कह चुका हूँ कि हमारे ये इजतिमाआत कुछ नसीहतों या तक़रीर के लिए नहीं होते बल्कि ज़्यादातर जमाअत के कामों का जायज़ा लेने के लिए होते हैं। हम इस मौक़े पर तफ़सील से मालूम करते हैं कि जमाअत की विभिन्न शाख़ों (यूनिटों) ने साल-भर के अन्दर क्या काम किया है। उनके कामों में क्या कमियाँ हैं और आइन्दा के लिए उनको किन हिदायतों पर अमल करना है। ये सारे काम एक जमाअत के कारकुनों (कार्यकर्ताओं) के लिए ज़रूरी भी हैं और कभी-कभी उनके लिए दिलचस्प भी होते हैं। लेकिन एक-दूसरे व्यक्ति के लिए यह सारी कार्रवाई बेमज़ा और ख़ुश्क और ग़ैर ज़रूरी होती है। मुझे अन्देशा है कि शायद इसी तरह का तजुर्बा हमारे इस इजतिमा में शरीक होनेवाले आम लोगों को भी हो, इस वजह से मैं इजतिमा की पहली ही बैठक में यह एलान किए देता हूँ कि जो लोग इसको एक आम इसतिलाही (प्रचलित) जलसा समझकर आ गए हों और उम्मीद करते हों कि यहाँ भी उपदेशों और तक़रीरों का ज़ोर होगा, वे बिलकुल मायूस हो जाएँ कि यहाँ इस तरह की कोई चीज़ न होगी, न उपदेश न तक़रीरें, न झंडे और न लीडरी का दिखावा। हमारी सारी कार्रवाई बिलकुल रूखी-फीकी होगी। जो लोग इसपर राज़ी हों, वे शौक़ से इसमें शरीक हों, हमारी तरफ़ से यह बात बिलकुल खुली हुई है। हम किसी व्यक्ति को इसमें शरीक होने से नहीं रोकते। लेकिन जो लोग इसमें शरीक हों, अगर वे इसमें कोई दिलचस्पी और फ़ायदा अपने लिए महसूस न करें तो इस बात की शिकायत का हमसे उनको कोई हक़ न होगा।

आम लोगों की दिलचस्पी और फ़ायदे की चीज़ हमारा सिर्फ़ वह जलस-ए-आम है जो हफ़्ते की रात में होगा। इसमें हम अपनी दावत आम लोगों के सामने रखेंगे। यह दावत मुसलमान, हिन्दू, सिख, पारसी, अंग्रेज़, जर्मन सबके लिए समान होगी। इस आम जलसे में इनशाअल्लाह अमीर जमाअत भी तक़रीर करेंगे। अगर किसी वजह से वे ज़बानी तक़रीर न कर सके तो उनकी लिखी

तक़रीर आपको पढ़कर सुना दी जाएगी। इस ज़लसे में मैं भी अपने ख़यालात पेश करूँगा। हमारी तक़रीरें भी बहुत ही सीधी-सादी और रूखी-फीकी होंगी और वे लोग मुश्किल से ही उनमें कोई बात अपनी पसंद की पा सकेंगे जिनको आम इसतिलाही तक़रीरों की आदत है। इस तरह के लोगों के लिए इस जलसे की शिरकत कुछ फ़ायदेमंद न होगी। परन्तु जो लोग सिर्फ़ इस बात का शौक़ रखते हैं कि हमारी दावत को समझें, चाहे वह कितनी ही बेरंग अन्दाज़ में पेश की जाए, तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वे इस आम जलसे में ज़रूर शरीक हों, इनशाअल्लाह उनका यह मक़सद पूरा होगा। इस समय मेरे लिए किसी तक़रीर का मौक़ा नहीं है फिर भी कुछ बातें पेश किए देता हूँ। इससे कम से कम यह अन्दाज़ा तो हो ही जाएगा कि हम किस तरह की बातें करते हैं और करेंगे और उनके सुनने के लिए आपका कष्ट उठाना कुछ फ़ायदेमंद है या नहीं ?

भाइयो !

हम जिस दावत को लेकर उठे हैं उसका बुनियादी उसूल यह है कि इस पूरी कायनात का पैदा करनेवाला और रब, मालिक और बादशाह अल्लाह, सारे जहानों का रब है। उसी को यह हक़ पहुँचता है कि वह इस कायनात पर हुकूमत करे, और जिस तरह आसमानों में उसका हुक्म चलता है उसी तरह ज़मीन पर भी सिर्फ़ उसी का क़ानून चले। हम इस बात पर यक़ीन रखते हैं कि उसने अपने रसूलों के ज़रिए से अपनी पसंद और नापसंद से हमें बाख़बर कर दिया है और उसकी मरज़ी यह है कि उसने अपने रसूलों के ज़रिए हमारे लिए जो ज़ाबत-ए-ज़िन्दगी (जीवन-व्यवस्था) भेजा है हम ज़िन्दगी के हर क्षेत्र में उसी का पालन करें और अपनी ज़िन्दगी में किसी तरह की तफ़रीक़ व तक़सीम न करें। यानी ऐसा न करें कि ज़िन्दगी के किसी हिस्से में तो ख़ुदा की और उसके रसूल (सल्ल०) की पैरवी करें और किसी हिस्से में अपने नफ़्स की या दूसरों की इताअत करें। इस तरह की तफ़रीक़ व तक़सीम शिर्क है और अल्लाह तआला के यहाँ कोई फ़रमाँबरदारी शिर्क के साथ क़बूल न होगी।

इस दावत को हम ख़ालिस अक़ली बुनियादों पर पेश करते हैं और हमें इतमीनान है कि इनसानी अक़्ल के लिए इससे ज़्यादा अपील करनेवाली बात कोई और नहीं हो सकती। हमारी यह दावत सारे लोगों के लिए समान और आम है यहाँ तक कि हम उन मुसलमानों के सामने भी यह दावत पेश करते हैं जो दावा तो करते हैं इस्लाम का, लेकिन ख़ुदा की हाकिमियत (सत्ता) को उसी तरह तसलीम नहीं करते जिस तरह दुनिया की दूसरी ग़ैर मुसलिम क़ौमें। दुनिया

की विभिन्न क़ौमों के अन्दर से ख़ुदा के जो बन्दे हमारी इस दावत को क़बूल कर लेते हैं और इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि ख़ुदा की इताअत की हदों के अन्दर ज़िन्दगी बिताएँगे, उन लोगों की हमने एक जमाअत बनाई है ताकि उस मक़सद की ओर मिल-जुलकर बढ़ा जा सके जो हमारे सामने है।

हमारा प्रोग्राम यह है कि हम पहले उस निज़ामे फ़िक्र (वैचारिक व्यवस्था) को छिन्न-भिन्न कर देना चाहते हैं जिसपर दुनिया की मौजूदा ग़लत जीवन-व्यवस्था खड़ी है और उसकी जगह उस निज़ामे फ़िक्र को दिलों में उतार देना चाहते हैं जिसपर सही जीवन-व्यवस्था की बुनियादें खड़ी की जा सकती हैं। हमारा यक़ीन है कि एक सही जीवन-व्यवस्था के लिए जो बेहतरीन बुनियादें इस्लाम अता करता है वह कोई दूसरा धर्म अता नहीं करता, इस वजह से हम इस्लाम को सारी दुनिया के सामने रखते हैं और तमाम इनसानों से यह अपील करते हैं कि मुसलमानों से जो तास्सुब (पक्षपात) है, उसको वह इस्लाम के ख़िलाफ़ न इस्तेमाल करें, बल्कि इस्लाम की शिक्षाओं पर अकेले उनके गुणों (MERITS) की रौशनी में विचार करें। अगर उन्होंने इस तरह इस्लाम पर विचार किया तो आज जिन समस्याओं ने दुनिया को परेशान कर रखा है और जिनका कोई हल नहीं मिल रहा है, वे सारी समस्याएँ अच्छे से अच्छे तरीक़े से हल हो जाएँगी।

इस काम को लोग बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन समझते हैं, लेकिन हम बहुत पुरउम्मीद हैं। हमें यक़ीन है कि अगर यह काम सही तौर पर किया गया तो जो उम्मीदें आज इसकी कामयाबी की हैं और किसी काम के लिए नहीं हैं। इसमें संदेह नहीं कि आज पूरी ज़मीन पर बालिश्त-भर जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ अमली तौर पर वह निज़ामे हक़ (सत्य की व्यवस्था) लागू हो जिसकी हम तमन्ना करते हैं, लेकिन हमें ज़मीन का हाल देखकर मायूस न होना चाहिए। इस हक़ीक़त से कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि दिलों के अन्दर इस जीवन-व्यवस्था को क़बूल करने की जो ख़्वाहिश पाई जाती है वह किसी और जीवन-व्यवस्था के लिए न है, न हो सकती है। बस शर्त यह है कि इसके सही तौर पर पेश करनेवाले लोग पैदा हो जाएँ। इस वजह से हम ज़मीन के बजाए दिलों को टटोल रहे हैं और यह यक़ीन रखते हैं कि जिस दिल में हमारी दावत बैठ जाएगी, उसका असर जहाँ तक पड़ेगा वहाँ तक की ज़मीन भी नूरानी होकर रहेगी।

इस समय दुनिया की आम ज़ेहनी और दिमाग़ी हालत में जो हलचल मची है वह भी इस काम के लिए बहुत ही मुनासिब है। जहाँ तक तक़लीद और आँखें

बंद करके किसी की पैरवी करने का ताल्लुक़ है, दुनिया उसकी बन्दिशों से बहुत बड़ी हद तक आज़ाद हो चुकी है। अब लोग खुली आँखों और खुले कानों से देखने और सुनने लगे हैं। ज़िन्दगी के बारे में तमाम प्रचलित और मशहूर दृष्टिकोण और नज़रिये इमतिहान की कसौटी पर नाकाम साबित हो चुके हैं और लोग पुराना चोला उतारकर किसी नये चोले का इनतिज़ार कर रहे हैं जो उनके जिस्म पर फिट हो। विभिन्न जमाअतें दुनिया की इस ख़्वाहिश को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। सिर्फ़ एक इस्लाम है जिसको पेश करने की हिम्मत करनेवाले लोग मौजूद नहीं हैं। हालाँकि दुनिया को आज जो बेचैनी है वह इस्लाम के सिवा किसी और चीज़ से दूर नहीं हो सकती। इसी कमी को हम पूरा क़रना चाहते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला हमें इस काम के क़ाबिल बनाए।

अब मैं अपनी तक़रीर ख़त्म करता हूँ। इसके बाद क़य्यिम जमाअत (महासचिव) आपको जमाअत की सालाना रिपोर्ट सुनाएँगे।

अतः इस तक़रीर के बाद क़य्यिम जमाअत ने सालाना रिपोर्ट सुनाई, जो आगे दी जाती है :

# रूदाद जमाअत इस्लामी

## सन् 1364-65 हिजरी/1945-46 ईसवी

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजम'ईन।

अमीर जमाअत! मोहतरम भाइयो और बहनो! चूँकि इजतिमा में शरीक लोगों में जमाअत के अरकान और हमारे क़रीबी हमदर्दों के अलावा बहुत-से ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे काम को समझने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले साल की जमाअत की रूदाद पेश करने से पहले कुछ शब्दों में जमाअत के नस्बुलऐन (लक्ष्य) और उसके तरीक़ेकार (कार्य-शैली) को भी वाज़ेह कर दूँ।

# जमाअत इस्लामी का नस्बुलऐन (लक्ष्य) और जमाअत बनाने का मक़सद

भाइयो !

जब हम अपने मुसलमान होने का एलान करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि हम वह इनसानी गिरोह होने का दावा करते हैं जो इस दुनिया में नबियों और रसूलों का ख़लीफ़ा और जानशीन है, जिसके एक-एक व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत रूप में, और पूरे गिरोह ने सामूहिक रूप में अपने आपको पूरे तौर से अपने रब के हवाले कर दिया है और अपनी पूरी ज़िन्दगी और उसके सारे मामलों को बिला किसी शर्त के और अपनी मरज़ी और ख़ुशी से ख़ुदा की इताअत व बन्दगी में दे दिया है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि हमने हर तरफ़ से मुँह मोड़कर पूरी यकसूई और दिल व दिमाग़ के पूरे इतमीनान के साथ सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना इलाह व रब, खालिक़ व मालिक, हाकिम और क़ानून बनानेवाला मान लिया है। सबको छोड़कर सिर्फ़ हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को अपना रहनुमा और क़ायद व पेशवा बना लिया है, सारी जीवन-व्यवस्थाओं और ज़िन्दगी गुज़ारने के सभी नज़रियों को छोड़कर के सिर्फ़ इस्लाम और क़ुरआन को जीवन-व्यवस्था के तौर पर और ज़िन्दगी के दस्तूर की हैसियत से क़बूल कर लिया है और दूसरी सारी पूछ-गच्छ का ख़याल दिल से निकालकर सिर्फ़ अपने एक इलाह की पूछ-गच्छ को अपने लिए लाज़िमी तौर पर क़बूल कर लिया है। मुख़्तसर यह कि ज़िन्दगी गुज़ारने के हर तरीक़े को छोड़कर हर सत्ता और ताक़त को ठुकराकर, हर हाकिमियत व अक़ीदत (श्रद्धा) से बग़ावत करके और हर ख़ौफ़ और हर लालच से बेपरवाह होकर सिर्फ़ एक ख़ुदा की गुलामी और वफ़ादारी और फ़रमाबरदारी का क़लादा (पट्टा) अपनी गर्दन में डाल लिया है और हम चाहते हैं कि आपस में मेल-मिलाप, लेन-देन, निकाह व तलाक़ और नमाज़-रोज़े से लेकर संगठन व राजनीति, क़ानून व अदालत, सुलह व जंग और मुल्की इन्तिज़ाम व व्यवस्था तक हमारा हर व्यक्तिगत व सामूहिक, तमद्दुनी (सांस्कृतिक) और राजनैतिक मामले शुरू से आख़िर तक ख़ुदा की हाकिमियत के तहत, उसके क़ानून के मुताबिक़, उसके रसूल की रहनुमाई में और सिर्फ़ आख़िरत की पूछ-गच्छ का ख़याल करते हुए पूरे हों।

लेकिन भाइयो ! ज़रा इनसाफ़ से और खुले दिल से मौजूदा मुसलमान समाज का जाइज़ा लीजिए और उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक इनकी करोड़ों की आबादियों को देखते चले जाइए और बताइए कि क्या इनमें कहीं कोई गिरोह ऐसा मौजूद है जो इन इस्लामी बुनियादों पर पूरा उतरता हो? हाँ, व्यक्तिगत रूप में कुछ अल्लाह के बन्दे ज़रूर ऐसे मिल जाएँगे जिन्होंने इस्लाम के उस हिस्से को जो इनसानों की व्यक्तिगत ज़िन्दगी से ताल्लुक़ रखता है, पूरे जोश व ख़रोश के साथ अपना रखा होगा और अक़ीदे के तौर पर (आस्थात्मक) भी अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह व रब, हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के सिवा किसी और को रहनुमा, क़ुरआन और हदीस के सिवा किसी और चीज़ को क़ानून और आख़िरत की पूछ-गछ के अलावा किसी और पूछ-गछ की परवा न करते होंगे, लेकिन इन बुज़ुर्गों समेत जहाँ तक मुसलमानों की इजतिमाई ज़िन्दगी, उनके संगठनों और जमाअती प्रोग्रामों का ताल्लुक़ है, उनको आप इसी तरह पूरे तौर पर ग़ैर इस्लामी पाएँगे और इस्लाम के बजाए पश्चिमी जीवन-व्यवस्था के पाबंद देखेंगे, जिस तरह ख़ुदा के बाग़ियों और उससे फिरे हुए इनसानों की इजतिमाई ज़िन्दगियों, तनज़ीमों (संगठनों) और जमाअती प्रोग्रामों को। उन सबके नज़दीक क़ुरआन और हदीस नहीं, बल्कि जमहूरी उसूल, अंग्रेज़ी रंग-ढंग और पश्चिमी क़ानून व संविधान हुज्जत व दलील और सनद का दर्जा रखती है। यह सूरतेहाल इस बात की खुली दलील है, हालाँकि मुसलमान और उनके रहनुमा ज़बान से इसको क़बूल करें या न करें लेकिन अमली तौर पर उनके नज़दीक अब इस्लाम केवल एक निजी मामला (PERSONAL AFFAIR) और एतक़ादी (श्रद्धा की) चीज़ है जिसे उनकी इजतिमाई और सियासी (राजनैतिक) जीवन से कोई मतलब नहीं।

लेकिन जिन लोगों ने क़ुरआन मजीद, रसूल (सल्ल०) के तरीक़े और सहाबा (रज़ि०) की सीरतों पर सरसरी नज़र भी हिदायत हासिल करने के लिए डाली, वे जानते हैं कि इस्लाम मौजूदा ज़माने के आम प्रचलित मानो में कोई मज़हब (RELIGION) नहीं है जो सिर्फ़ इबादात, रियाज़त और कुछ व्यक्तिगत दीनदाराना आमाल और कामों पर आधारित हो, बल्कि वह एक स्थाई जीवन का दृष्टिकोण, एक पूर्ण जीवन-व्यवस्था और एक अन्तर्राष्ट्रीय संविधान है जो लोगों की व्यक्तिगत सीरतों से लेकर पूरी दुनिया के सामूहिक प्रबंध तक हर चीज़ को अपनी पकड़ में ले लेता है और अपने माननेवालों को हुक्म देता है कि तमाम काफ़िराना जीवन-व्यवस्थाओं को जड़ से उखाड़कर पूरे इनसानी समाज के तामीर को पूरी

तरह मेरी बुनियाद पर और मेरे दृष्टिकोण व रास्ते के अनुसार करो, वह इनसान की व्यक्तिगत और सामूहिक पूरी ज़िन्दगी का एक विस्तृत और सुनिश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत करके ईमानवालों से मुतालिबा करता है कि "उद्ख़ुलू फ़िस्सिलमि काफ़्फ़ह" (दाख़िल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे)। इसे पूरे का पूरा क़बूल करो। इसके बनाने व तरतीब देनेवाले यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी (सल्ल०) को साफ़-साफ़ बता दिया कि उसे यह दीन देकर दुनिया में इस मक़सद से भेजा जा रहा है कि लियुज़्हि-र-हू अलददीनी कुल्लिहि, ताकि वह इसे तमाम बातिल धर्मों, जीवन के सारे दृष्टिकोणों और सारी जीवन- व्यवस्थाओं पर हावी कर दे और उस समय तक वह और उसके माननेवाले दम न लें जब तक कि इस पूरी ज़मीन पर ख़ुदा की हाकिमियत व इताअत भी बाक़ी है चाहे उनका ऐसा करना हक़ का इनकार करनेवालों को अपनी नफ़्सपरस्ती, इनसान दुशमनी और बेवक़ूफ़ी और हटधर्मी की बिना पर कितना ही बुरा क्यों न महसूस हो।

इस्लाम के बुनियादी अक़ीदों और उसका पूरी इनसानी ज़िन्दगी पर हावी होना मालूम हो जाने के बाद मुसलमानों की हैसियत, उनकी ज़िम्मेदारियों और उनकी ज़िन्दगी का मक़सद आपसे आप सुनिश्चित हो जाता है और यह हक़ीक़त बिलकुल साफ़ होकर सामने आ जाती है कि "मुसलमान" नाम है उस अन्तर्राष्ट्रीय सुधारवादी व क्रान्तिकारी पार्टी का जो इस्लाम के दृष्टिकोण के अनुसार इनसानी समाज की तामीर के लिए इस कर्मभूमि दुनिया में क़दम रखे और इस काम को पूरा करने के लिए सर-धड़ की बाज़ी लगा दे और जो उनके आक़ा व मालिक ने अपने रसूल (सल्ल०) के ज़िम्मे और उसके वास्ते से ख़ुद उनके ज़िम्मे किया है, लेकिन इस काम के दीन का असल मक़सद होने और उसके बुनियादी काम होने की वजह से अल्लाह तआला ने इस मामले को हमारे इतने से इज्तिहाद पर भी नहीं छोड़ा है। बल्कि साफ़-साफ़ फ़रमा दिया है कि—

> "तुम हरगिज़ असल पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को क़ायम न करो जो तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब की तरफ़ से नाज़िल की गई हैं।" (क़ुरआन, 5 : 68)
>
> "उसने तुम्हारे लिए वही धर्म निर्धारित किया जिसकी ताकीद उसने नूह को की थी।" (क़ुरआन, 42 : 13)
>
> "और तुम्हें एक ऐसे समुदाय का रूप धारण कर लेना चाहिए जो नेकी की ओर बुलाए और भलाई का आदेश दे और बुराई से रोके।"
> (क़ुरआन, 3 : 104)

"और इसी प्रकार हमने तुम्हें बीच का एक उत्तम समुदाय बनाया है, ताकि तुम सारे मनुष्यों पर गवाह हो, और रसूल तुमपर गवाह हो।"

(क़ुरआन, 2 : 143)

यानी तुम्हारी यह सारी रस्मी दीनदारियाँ उस समय तक बेकार हैं जब तक कि तुम किताबे इलाही को अमली तौर पर जारी व सारी न कर दो और उसके मक़सद को पूरा करने के लिए जान तक देने के लिए तैयार न हो जाओ। तुम्हारे लिए वही दीन और जीवन-व्यवस्था निश्चित की गई है जो हज़रत नूह को दी गई थी (और ऐ मुहम्मद! जिसको तेरी तरफ़ नाज़िल किया गया है) और जो इबराहीम और मूसा और ईसा (सारे नबियों) को दिया था (और उसका मक़सद यह है कि) तुम इस दीन को दुनिया में ग़ालिब कर दो। तुममें एक गिरोह तो ऐसा ज़रूर ही मौजूद रहना चाहिए जो लोगों को नेकी (रब की इताअत) की तरफ़ बुलाए। भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोकता रहे। मुसलमानो! हमने तुम्हें दुनिया के लिए न्याय व इनसाफ़ और सीधी राह पर चलने और हक़ पर चलने का नमूना (बीच की उम्मत) बनाया है, ताकि तुम दूसरे लोगों पर इस सच्चे दीन की हुज्जत तमाम करने का ज़रिया बनो, जिस तरह हमारा रसूल तुमपर हुज्जत पूरी करने का ज़रिया बना।

ज़ाहिर है कि दीन को दुनिया में ग़ालिब करना, भलाइयों का हुक्म देने और बुराइयों से रोकने की ज़िम्मेदारी पूरी करना और ख़ुदा के बन्दों पर ज़िन्दगी के हर विभाग में उसके दीन की हुज्जत तमाम करना एक व्यक्ति के बस का काम नहीं। इनमें से हर काम सामूहिक और सुसंगठित कोशिश चाहता है, जैसा कि क़ुरआन का मक़सद और नबी (सल्ल०) का तरीक़ा है जिसको बाक़ी रखने व मज़बूती देने के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) और सहाब-ए-किराम (रज़ि०) ने जानें क़ुरबान कीं और जिसे ज़िन्दा रखने की ख़ातिर ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन और हज़रात हसनैन (रज़ि०) ने क़ुरबानियाँ दीं। इसके बिना यह मुमकिन ही नहीं कि मुसलमान उम्मत-ए-वस्त (बीच की उम्मत) और ख़ैरे उम्मत की ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकें और ख़ुदा के भटके हुए बन्दों और गिरोहों के सामने उसके दीन की वह ज़िन्दा गवाह बन सकें कि उनकी कथनी और करनी और बरताव हर चीज़ को देखकर लोग ज़िन्दगी के हर विभाग में सही राह पा सकें। दीन को अमली तौर पर ग़ालिब किए बग़ैर इनसानों पर गवाह होने और भलाई के हुक्म देने और बुराइयों से रोकने की ज़िम्मेदारी पूरी करना तो दूर, इस्लाम के आदेश व नियमों को अपनी व्यक्तिगत ज़िन्दगी में भी पूरी तरह लागू करना मुमकिन नहीं। लिहाज़ा मुसलमानों का यह दीनी फ़र्ज़ है कि दुनिया में एक ऐसा सुसंगठित

समाज बनाएँ जो दीन को क़ायम करने की ज़िम्मेदारी पूरी करता रहे और जिसकी सीमाओं के अन्दर अल्लाह की हाकिमियत के सिवा—किसी दूसरे की सत्ता व प्रभुता न हो, उसके क़ानून के अलावा किसी दूसरे क़ानून को, उसके रसूल के सिवा किसी दूसरे की रहनुमाई को और आख़िरत की पूछ-गछ के सिवा किसी दूसरी पूछ-गछ का कोई दख़ल न हो। यह काम ईमान का ऐन तक़ाज़ा है। मुसलमान की ज़िन्दगी का मक़सद यही है और नबियों के आने का भी यही मक़सद था। इसी काम के लिए जमाअत इस्लामी वुजूद में आई है और इसी को अमली तौर पर पूरा करना नस्बुल ऐन (लक्ष्य) है।

# जमाअत इस्लामी की कार्य-शैली

अब सवाल यह पैदा होता है कि मौजूदा हालात में जबकि इस्लाम के उसूलों के बिलकुल ख़िलाफ़ एक ऐसी व्यापक जीवन-व्यवस्था हमपर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर छाई हुई है और उसने हमें अपने अन्दर इस तरह कस लिया है कि रोज़ की रोटी भी जब तक उसके सामने हाथ न फैलाएँ मिलनी मुशकिल है, इस काम को कैसे किया जाए? इसका जवाब यह है कि ठीक उसी तरह जिस तरह इस काम के असल अलमबरदारों यानी नबियों (अलैहि०) ने इसे आदम (अलैहि०) से लेकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) तक किया। यह तरीक़ा एक ही है और बिला किसी अपवाद के, हर ज़माने, हर देश और हर क़ौम में इस काम के लिए इसी तरीक़े को अपनाया जाता रहा है, बल्कि आप ग़ौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सामूहिक कामों के लिए, चाहे वह हक़ हों या बातिल अल्लाह तआला ने शायद यही एक तरीक़ा बनाया है और वह यह कि इनसान पहले उस दृष्टिकोण या मसलक को सामने रखकर उसको समझने, जाँचने और परखने पर अपनी सारी दिमाग़ी और अक़्ली ताक़तों को लगा दे जिसको अपनाने के बारे में उसे फ़ैसला करना है। फिर अगर दिल व दिमाग़ उसके हक़ होने की गवाही दें और अमली तौर पर उसपर चलने और जीवन-व्यवस्था की तामीर करने से ज़िन्दगी का हर पुर्ज़ा ठीक बैठता चल जाता हो तो बहादुरी के साथ उसपर ईमान ले आए और अपनी पूरी ज़िन्दगी की बागडोर उस विचारधारा या मसलक के हाथ में दे दे। जो कुछ वह करने का मुतालिबा करे और हुक्म दे उसे ज़ोर-शोर, ख़ुलूस व ईमानदारी और ख़ुशदिली के साथ करने पर जुट जाए और जिससे वह रोके या जो कुछ उसपर ईमान के ख़िलाफ़ हो उसे बेझिझक छोड़ता चला जाए। फिर जब उस विचारधारा या दृष्टिकोण के माननेवाले एक से ज़्यादा हो जाएँ, तो वे उसके अलमबरदारों की हैसियत से इस पक्के इरादे के साथ उठें कि पूरे समाज में इस जीवन-व्यवस्था को लागू करके ही रहेंगे। इस राह का सबसे पहला क़दम यह है कि अपने उसूलों और विचारधाराओं को बिलकुल साफ़- सुथरी हालत में दुनिया के सामने रख दिया जाए और सारे इनसानों को अपनी किसी फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी भलाई और फ़ायदे और अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए उन उसूलों की ओर बुलाया जाए। और जो लोग उन उसूलों को मानकर दावत देनेवालों के-से पक्के इरादे के

साथ उन्हें क़बूल करते जाएँ उनको मिलाकर एक संगठित गिरोह बनाते चले जाएँ। ज़ाहिर है कि इस गिरोह में जब यह किसी रंग व नस्ल या जाति व देश की बिना पर नहीं, बल्कि सिर्फ़ इनसानों की भलाई के आलमगीर उसूलों पर संगठित हो रहा है। हर रंग व रस्ल, हर जाति व देश और हर कला व योग्यता के लोग इसमें आएँगे और जैसे-जैसे उसका दायरा और प्रभाव-क्षेत्र फैलता जाएगा उसकी ताक़त, उसकी योग्यता, उसके संसाधन और उसके साज़ व सामान, हर चीज़ में बढ़ोत्तरी होती चली जाएगी और वह गिरोह उस सुसंगठित समाज को जन्म देगा जिसकी उठान शुरू से आख़िर तक हर व्यक्तिगत और सामूहिक मामले में इस्लामी बुनियाद पर होगी और जो स्वाभाविक रूप से उस अधिकार प्राप्त सामूहिक व्यवस्था को वुजूद में लाने का सबब बनेगा जो भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने और लोगों के सामने हक़ की गवाही देने की ज़िम्मेदारियों को उस तरह पूरा कर सकेगा जैसा कि उसका हक़ है। इसमें अकेले लोगों को भी और पूरे गिरोह को भी बहुत-से मरहलों (STAGES) में से गुज़रना पड़ेगा और कई तरह की रुकावटें सामने आएँगी जिनसे हर मरहले के हालात के अनुसार निपटना होगा। इनकी तफ़सील न इस वक़्त बताई जा सकती है और न इसकी कोई ज़रूरत है।

अब मैं आप हज़रात के सामने उस काम की रिपोर्ट पेश करता हूँ जो इस तरीक़ेकार के मुताबिक़ ऊपर बयान किए गए नस्बुलऐन को हासिल करने के लिए पिछले साल-भर में पूरी ज़मीन पर अंजाम दिया गया। पूरी ज़मीन पर इसलिए कहता हूँ कि हमारे इल्म में जमाअत इस्लामी के सिवाए पूरी दुनिया में कोई दूसरी संगठित संस्था ऐसी मौजूद नहीं है जो इस मक़सद के लिए और इस ढंग से कोशिश कर रही हो हालाँकि ऐसी किसी दूसरी संस्था के बारे में सुनकर हमें दिली ख़ुशी होगी और हमारी दिली दुआ है कि इस मक़सद को रखनेवाले गिरोह जगह-जगह पैदा हों।

# देश के आम हालात

पिछले साल वैसे तो सारी दुनिया के लिए एक कठिन साल था, लेकिन जिस देश और जिस क़ौम में अल्लाह तआला ने हमें पैदा किया है, उसके लिए शायद यह जंग के छः सालों में सबसे ज़्यादा कठिन साल था। जिन क़ौमों ने इस विश्व-युद्ध को थोपा, जिनके हितों के टकराव का यह नतीजा था और जो देश छः सालों तक प्रत्यक्ष (DIRECT) रूप से इसका अखाड़ा बने रहे, इन सबमें जंग के ख़त्म होते ही शान्ति बहाल हो गई। लेकिन हमारे देश को चलानेवालों ने एक मुद्दत तक इसे जंग के हालात से निकालना अच्छा नहीं समझा, इसलिए जंग बंद होने के बाद भी यहाँ के हालात ख़राब से ख़राब होते गए। हमारे देश की ग़ैर फ़ौजी आबादी और आम जनता (CIVIL POPULATION) को जिन कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ा और अब तक सामना है उसके बयान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपमें से हर आदमी उनका अच्छा-ख़ासा अमली तजुर्बा रखता है। हालात की सख़्ती का अन्दाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिन फ़ौजों ने छः सालों तक खाने और कपड़े ही के लिए अपना ख़ून बहाया था, उन बदनसीबों को भी उसे ख़्वाहिश के मुताबिक़ हासिल करने के लिए ख़ुद उन्हीं के ख़िलाफ़ तोप और बन्दूक़ से काम लेना पड़ा, जिनकी हुकूमत के विस्तार के लिए वह दीवानों की तरह सर से कफ़न बाँधकर लड़ रहे थे। जंग से पैदा होनेवाली आम परेशानियों के अलावा ख़ुराक मुहैया कराने के मसले में हुकूमत और जनता के असहयोग, बल्कि आपस में दुश्मनों की तरह के रवैए ने ग़रीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इस तरह तक बेबस कर दिया और इनसान की बुनियादी ज़रूरियात (BARE NECESSITIES OF LIFE) के मसले को इतना कष्टदायक, कठिन और पेचीदा और हल न होनेवाला बना दिया कि लोग भूख की बजाए गोली से मर जाने को बेहतर समझने लगे और देश के कोने-कोने में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने यह नुसख़ा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अब तक कर रहे हैं। फिर हिन्दुस्तान की विभिन्न क़ौमों और राजनैतिक पार्टियों ने जो आपस में एक-दूसरे से पक्षपात, कटुता और निजी दुश्मनी के बीज लगा रखे थे, उनको इस चुनाव, जलसों और बरतानवी मन्त्री मण्डलीय मिशनों के ज़माने में पनपने और जड़ पकड़ने का ख़ूब मौक़ा मिला और जगह-जगह मुसलमान आपस में भी और दूसरों से भी महीनों कशमकश करते रहे। और अभी निकट भविष्य में इस फ़ितने के दबने की

कोई उम्मीद नहीं। इस "ज़-ह-रलफ़सादु फ़िलबर्रि वल बहर" (ज़मीन और समुन्द्र में फ़साद फैल गया) की हालत के ज़माने में यह देखकर बेहद दुःख होता है कि हमारे उलमा-ए-किराम की एक बड़ी जमाअत तो पहले ही इस्लाम के बजाए वतनपरस्ती की दावेदार बन चुकी है। अब जो कुछ बचे-खुचे बुज़ुर्ग अभी तक ख़ामोश थे, वे बजाए इसके कि इस नाज़ुक मरहले पर अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करते और क़ौम को राहे हक़ की तरफ़ लेकर चलने की फ़िक्र करते, ख़ुद क़ौमियत (राष्ट्रवाद) के बुत के पुजारी बन गए और अपनी ताक़तों और क़ाबिलियतों और दीनी इल्म में महारत (विशेषज्ञता) का इस्तेमाल उनके सामने इसके अलावा और कुछ नहीं रहा कि क़ौम के बुत को ज़्यादा से ज़्यादा हसीन व दिलरुबा बनाकर मुसलमानों के सामने पेश करें, ताकि जो थोड़े-बहुत अल्लाह के ख़ुदापरस्त बन्दे बाक़ी रह गए हैं, वे भी ख़ुदापरस्ती को छोड़कर उनके क़ौमी और वतनी दीनों में शामिल हो जाएँ।

अब इस समय हाल यह है कि देश-भर में कहीं भी अमन व शान्ति के हालात नहीं हैं, सिवाए उन लोगों के जो प्रत्यक्ष रूप में (DIRECT) मौजूदा हुकूमत से सम्बद्ध हैं। किसी को पेट भरकर रोटी हासिल नहीं होती। हुकूमत से हटकर सब दुनियावी क़ायदे और भौतिक उन्नति व कल्याण के तमाम मौक़े ख़ुदा और रसूल से आज़ाद लीडरों से जुड़े हैं। उलमा-ए-इस्लाम हर चौराहे पर ख़ुदा के दीन के बजाए वतनपरस्ती या राष्ट्रवाद की दावत लिए खड़े हैं और बड़े-बड़े सूफ़ी व मशायख़ उन लीडरों की क़बूलियत को एक मात्र ज़रिय-ए-निजात और कुफ़्र व इस्लाम की कसौटी बता रहे हैं। जिनमें हर नास्तिक और ख़ुदा व रसूल का मुनकिर सिर्फ़ अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान जैसे नाम बताकर शामिल हो सकता है।

इस माहौल और ऐसे हालात में भी ख़ुदा के कुछ ऐसे बन्दों का मौजूद रह जाना, जो ख़ालिस ख़ुदापरस्ती की दावत को सुनने और उसपर ग़ौर करने के लिए तैयार हों, बहुत मुबारक और हौसला बढ़ानेवाला है और फिर कुछ लोगों का इस रूखी-फीकी और मौजूदा चलन के बिलकुल ख़िलाफ़ दावत को क़बूल करने का इरादा कर लेना इस चीज़ का पता देता है कि अभी धड़कनेवाले दिल मौजूद हैं और अगर दीने हक़ के सही इन्जेक्शन दिए जाएँ तो बज़ाहिर इस बेजान दिखाई देनेवाले जिस्म का उठ बैठना बिलकुल मुमकिन है। हमारे इस ख़याल की अहमियत आपको जमाअत इस्लामी की शिरकत और दूसरी मुसलिम व ग़ैर मुसलिम जमाअतों की शिरकत की शर्तों से तुलना करने से मालूम होगी।

# जमाअत इस्लामी और दूसरी जमाअतों में शामिल होने की शर्तें

देश के चारों तरफ़ जो बेशुमार दावतें चल रही हैं, चाहे वे मुसलमानों की रहनुमाई में हों या ग़ैर मुसलिमों की रहनुमाई में, हर एक की न सिर्फ़ सदस्यता के लिए बल्कि मार्गदर्शन व रहनुमाई के लिए भी सिर्फ़ ख़ास क़ौम, देश या नस्ल में पैदा हो जाना काफ़ी है, सीरत व किरदार (चरित्र) या ईमान व इस्लाम से कोई मतलब नहीं। लेकिन इसके बरख़िलाफ़ जमाअत इस्लामी में सदस्यता (रुकनियत) के उम्मीदवारों में जो चीज़ देखी जाती है, वह न देश है न क़ौम, न रंग है न नस्ल और न ज़बान है, न कोई दूसरी ऐसी चीज़, बल्कि सिर्फ़ यह कि ईमान व इस्लाम से ताल्लुक़ का क्या हाल है। उनपर चलने का संकल्प और इरादा कहाँ तक है और उनसे लागू होनेवाली ज़िम्मेदारियों को कितना पूरा किया जा रहा है। जमाअत इस्लामी में शामिल होने के लिए उम्मीदवार से मुतालिबा किया जाता है कि आइन्दा हमेशा के लिए वह—

(1) एक ख़ुदा की हाकिमियत व सत्ता के अलावा हर हाकिमियत और सत्ता और किसी के रब और माबूद व बन्दगी का होने का इनकार कर दे।

(2) हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की रहनुमाई व क़ियादत से आज़ाद हर रहनुमाई व क़ियादत को अमली तौर पर ठुकरा दे।

(3) क़ुरआन व हदीस के अलावा किसी चीज़ को अपनी ज़िन्दगी का क़ानून व संविधान न समझे और जहाँ तक कोई बहुत ही मजबूरी की हालत रुकावट नहीं, बग़ैर किसी हील-हुज्जत (निस्संकोच) के ख़ुदा के क़ानून और दस्तूर की पैरवी करे और बाक़ी के लिए संगठित कोशिश शुरू कर दे। और,

(4) इन सबके लिए सिवाए आख़िरत की पूछ-गछ के और कोई दूसरी चीज़ उसे तैयार करनेवाली न हो। दूसरे शब्दों में यूँ समझिए कि जमाअत इस्लामी में शरीक होने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो—

(मैंने अपना रुख़ यकसू होकर उस हस्ती की ओर कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और मैं शिर्क करनेवालों में से नहीं हूँ।)

कहकर उठें और

(बेशक मेरी नमाज़ और कुरबानी और मेरा जीना और मरना सारे जहानों के रब अल्लाह के लिए है) के अमली उसूल (MOTTO) पर पूरी तरह ज़िन्दगी गुज़ारने के लिए तैयार हो जाएँ।

# जमाअत इस्लामी में दाख़िला और उसका तरीक़ा

देश के उपरोक्त माहौल और मुशकिलों में रहते हुए जिन ख़ुदा के बन्दों ने ऊपर बयान की गई बुनियादी शर्तों को सामने रखते हुए पिछले साल जमाअत में शरीक होने की जो दरख़्वास्तें दी हैं उनकी तादाद 224 है। इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने लगभग हमारा पूरा लिट्रेचर पढ़ लिया था और उनकी ज़िन्दगियों में भी उसका अच्छा-ख़ासा असर मौजूद था और वे जमाअत के काम और तरीक़ेकार को बड़ी हद तक समझ चुके थे। अब हमने, चूँकि जमाअत में दाख़िल के मेयार को और बुलन्द कर दिया है, इसलिए इनमें से बहुत थोड़े लोगों को जमाअत में लिया गया है। अब नए दाख़िले के लिए हमारा तरीक़ा यह है कि दरख़्वास्त आने पर पहले ख़तो किताबत के ज़रिए एक समय तक इस बात का अन्दाज़ा करने की कोशिश करते हैं कि उम्मीदवार हमारी बात को ठीक-ठीक समझ गए हैं या नहीं, और उसके सारे तक़ाज़ों तक उनकी निगाह पहुँची है या नहीं, और उनकी ज़िन्दगी में अमली तौर पर वह अख़लाक़ी तबदीली आई है या नहीं जो इस काम के लिए मतलूब है। इसके बाद फिर तयशुदा ग्यारह सवालात (जो अब प्रकाशित हो गए हैं और हर रुक्ने जमाअत के पास इत्तिला के तौर पर भेज दिए गए हैं) तफ़सीली और नम्बरवार जवाबात के लिए भेजे जाते हैं। अगर उनके जवाबात ठीक आ जाएँ तो यह इतमीनान करने के लिए कि असर थोड़े समय के लिए और हँगामी तो नहीं था उन्हें एक मुद्दत तक उम्मीदवार की हालत में जमाअत का काम करने की हिदायात कर दी जाती है। इसका मतलब यह है कि जमाअत का बाक़ायदा रुक्न (मेम्बर) बनने से पहले वह अरकान की तरह जमाअत के दस्तूर को अपने ऊपर लागू कर लें और उसके मुताबिक़ काम करके दिखाएँ। अगर क़रीब में ही कोई मक़ामी जमाअत या रुक्न होता है तो सदस्यता के उस उम्मीदवार को उससे वाबस्ता कर दिया जाता है। इस तरह दो-तीन महीने उनका अमल देखकर फिर जमाअत में बतौर रुक्न ले लिया जाता है। यह तरीक़ा हमने इसलिए अपनाया है कि हमें अरकान की कमी व ज़्यादती की बहुत परवाह नहीं, बल्कि उनके अमल व किरदार और अख़लाक़ व ख़ुलूस से है। इस समय हमारी निगाह उस चीज़ पर है कि हर जगह पर हमें ऐसे पुख़्ता आदमी मिल जाएँ

जो इस दावत के काम को ज़िम्मेदारी के साथ और भरोसेमन्द तरीक़े से चलाने के लायक़ हों और लोगों की रहनुमाई व क़ियादत इस्लामी उसूलों पर कर सकते हों।

हमारी इसी पॉलिसी (नीति) का नतीजा है कि उपरोक्त 224 उम्मीदवारों में से सिर्फ़ 74 हज़रात को जमाअत में लिया गया और न लिए जानेवाले हज़रात में ऐसे लोग भी शामिल थे, जिन्होंने उम्र-भर की पैदा की हुई हज़ारों रुपयों की जायदादों को हमारी जानकारी और इत्तिला या किसी दूसरे के दबाव या इशारे के बिना सिर्फ़ अपने ईमान से मजबूर होकर उसके असल हक़दारों के हवाले कर दी थी और यह उस हाल में कि उसके बाद उनके पास एक पाई भी न बची थी। आप यह सुनकर हैरान हो जाएँगे कि उन साहब ने यह जायदाद (संपत्ति) एक मज़हबी पार्टी की सरदारी के ज़माने में हासिल की थी, लेकिन जमाअत इस्लामी के दृष्टिकोण से प्रभावित होने से पहले न कभी यह उन्हें ईमान के ख़िलाफ़ मालूम हुई और न उनकी सरदारी व लीडरी पर उससे कभी कोई आँच आई।

# जमाअत इस्लामी से अलहदगी

जमाअत में दाख़िले के मेयार को और बुलन्द करने के साथ हमने उन अरकान की भी जाँच-परख करना शुरू कर दी है जो इन पाबंदियों को लागू करने से पहले जमाअत के रुक्न बन चुके थे। अतः इस साल 24 लोगों से अपील की गई कि वे जमाअत से अलग होकर अपनी और ज़्यादा इस्लाह करें। उनमें से ज़्यादातर के बारे में तो जमाअती कामों में पूरी दिलचस्पी न लेने की शिकायत थी। एक साहब ने अपनी बीवी को मुअल्लक़ कर रखा था और जब उनसे कहा गया कि उसे आबाद करो या छोड़ दो, तो वे न जाहिली रस्म व रिवाज़ की वजह से उसको छोड़ने के लिए तैयार हुए और न ही उनकी तबीयत और घरेलू हालात ने उसे आबाद करने पर तैयार होने दिया। दो-तीन हज़रात अपने पिछले गिरोही पक्षपात पर क़ाबू न पा सके। दो-तीन हज़रात को चुनाव के समय में क़ौमी दर्द ने जमाअत से अलहदगी पर मजबूर कर दिया और इन 24 के अलावा एक साहब ने खुद से जमाअत से अलहदगी इख़्तियार की। उन्होंने इसकी वजह यह बताई कि उनके मुहतरम उस्ताद पर कुछ लोग राजनैतिक मतभेदों की वजह से हमले पर हमले कर रहे थे और जमाअत में रहते हुए वे उनकी हिमायत में लड़ाई न लड़ सकते थे। लेकिन इन 25 में से कोई एक भी ऐसा हमें मालूम नहीं जिसे जमाअत के नस्बुलऐन या तरीक़ेकार से किसी तरह का मतभेद हो, बल्कि कुछ एक के सिवा हर एक को अलग होने का दुःख है, वह हमारे क़रीबी हमदर्दों में शामिल हैं और अपनी इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं।

# जमाअत में दाख़िले और अलहदगी के लिए अमीर जमाअत की मंज़ूरी ज़रूरी

जमाअत की रुकनियत (सदस्यता) और इससे अलग होने के बारे में स्थानीय (मक़ामी) जमाअतें और जहाँ अकेले रुक्न हैं, वे कभी-कभी इस बात को भूल जाते हैं कि नए लोगों की रुकनियत का आख़िरी फ़ैसला उनको ख़ुद नहीं कर लेना चाहिए बल्कि शुरू के सारे मरहलों से उम्मीदवार को गुज़ार लेने के बाद फिर उसकी रुकनियत की मंज़ूरी अमीर जमाअत से हासिल की जानी चाहिए। इसके बिना किसी व्यक्ति को जमाअत का रुक्न नहीं समझा जा सकता। इसी तरह किसी रुक्न को जमाअत से अलहदगी के लिए भी अमीर जमाअत की मंज़ूरी की ज़रूरत है। मुमकिन है कि आगे चलकर हम इन पाबंदियों में कमी कर दें और जमाअत के विस्तार के साथ यह कमी कभी न कभी करनी होगी। लेकिन इस समय क्योंकि जमाअत की बुनियादें बहुत मज़बूत और पायदार उठानी हैं इसलिए इन पाबंदियों की बहुत सख़्त ज़रूरत है और हमें उम्मीद है कि जमाअत के अरकान और उम्मीदवाराने-रुकनियत इन पाबंदियों को ख़ुशी से क़बूल करेंगे।

## मक़ामी (स्थानीय) जमाअतों और अरकान की तादाद

इस समय पूरे देश में 75 स्थानीय (LOCAL) जमाअतें क़ायम हैं और अरकान की मौजूदा तादाद 486 है। 154 स्थानों पर जमाअत के अरकान मरकज़ से सीधे तौर पर हिदायतें हासिल करते हैं और मरकज़ की निगरानी में काम कर रहे हैं और उनके अलावा बहुत-से मक़ाम ऐसे भी हैं जहाँ पर जमाअत का कोई रुक्न तो मौजूद नहीं, लेकिन हमारे क़रीबी हमदर्द जमाअत के अरकान जैसी लगन और सरगरमी से काम कर रहे हैं। अरकान की तादाद के लिहाज़ से विभिन्न राज्यों और इलाक़ों की तरतीब निम्न प्रकार है—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | पंजाब | - 291 | (2) | उत्तर प्रदेश | - 60 |
| (3) | हैदराबाद दक्षिण | - 36 | (4) | मद्रास | - 31 |
| (5) | दिल्ली | - 14 | (6) | मध्य भारत | - 12 |
| (7) | सरहद | - 10 | (8) | बम्बई (मुम्बई) | - 9 |
| (9) | सिंध | - 8 | (10) | बिहार | - 7 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (11) मैसूर | - | 6 | (12) बंगाल | - | 2 |

रुकनियत के लिए नई दरख़ास्तों के लिहाज़ से राज्यों की तरतीब यह है—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) पंजाब | - | 110 | (2) उत्तर प्रदेश | - | 56 |
| (3) सिंध | - | 13 | (4) मध्य हिन्द | - | 13 |
| (5) सरहद | - | 7 | (6) बम्बई (मुम्बई) | - | 9 |
| (7) हैदराबाद दक्षिण | - | 6 | (8) दिल्ली | - | 4 |
| (9) बिलूचिस्तान | - | 3 | (10) बंगाल और बिहार | - | 2 |
| (11) मद्रास | - | 1 | | | |

# स्थानीय जमाअतों और अरकान की आम हालत

हालाँकि दीन को क़ायम करने की जिद्दोजुहद करनेवाले सिपाहियों के लिए जिस सीरत व किरदार, अनुशासन और अख़लाक़ व पक्के इरादे की ज़रूरत है उसके हासिल होने में अभी कुछ और समय लगेगा। लेकिन अब जमाअत के अरकान जिस रफ़्तार से अपना सुधार और इस्लाह कर रहे हैं, इस साल ख़ास तौर से चुनाव के समय में उन्होंने जिस मज़बूती और यकसूई का प्रदर्शन किया है और जिस तरह उन्होंने अपने अक़ीदे और नस्बुलऐन (लक्ष्य) की ज़रा-सी भी ख़िलाफ़वर्ज़ी करने के बजाए क़ौम व बिरादरी और सारे समाज में मलामत का निशाना और नक्कू बन जाना गवारा किया है उससे अन्दाज़ा होता है कि अब जमाअत के अरकान अपने अक़ीदे और नस्बुलऐन के तक़ाज़ों को माशाअल्लाह ख़ूब समझ रहे हैं। जमाअत के अरकान ही नहीं बल्कि हमारे हमदर्दों की भी एक बड़ी तादाद 'इलाह साज़ी' (माबूद बनाने) के इस हंगामे से बिलकुल अलग रही।

हमारे एक रुक्ने जमाअत जिन्होंने कुछ आर्थिक परेशानियों से मजबूर होकर शिक्ष विभाग में अस्थाई रूप से नौकरी कर ली थी, जब उनके सामने विभाग के उच्चाधिकारी ने उनकी अमानतदारी और ईमानदारी और काम से प्रभावित होकर उन्हें एक उच्च पद पर स्थाई कर देने की पेशकश की तो हमारे साथी ने इस्तीफ़ा लिखकर उनके सामने रख दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान उन्हें बातिल निज़ाम (व्यवस्था) में आसानिया दिलाकर हक़ की राह से दूर ले जाना चाहता हो।

इस समय 75 जमाअतों (यूनिटों) में से सिर्फ़ चार ऐसी हैं, जिनके काम से हमें इतमीनान नहीं है। इनमें से दो के बारे में तो ज़्यादा शिकायत इसलिए नहीं है कि वहाँ जो काम चलाने की क़ाबिलियत रखनेवाले लोग थे उन्हें बेरोज़गारी ने बहुत परेशान कर दिया और एक साहब ने तो वह जगह छोड़ दी और बाक़ी कुछ अनपढ़ लोग ही रह गए और दूसरे बीमारी की वजह से ज़्यादा हिस्सा न ले सके। तीसरी जमाअत (यूनिट) को दो माह की मोहलत इसलिए दे दी गई थी कि वह अपना सुधार कर लें और यह मुहलत इस इजतिमा पर ख़त्म होती है। अब उनके सारे हालात का जाइज़ा लेकर ही कोई फ़ैसला हो सकेगा और चौथी को नोटिस दिए बिना हम अभी उनके कामों और रवैये को देख रहे हैं।

# अमीर की इताअत और फ़रमाँबरदारी

एक और चीज़ जो बहुत-सी जगहों के बारे में खटकती रही है और जो आगे चलकर अव्यवस्था (बदनज़्मी) का सबब बन सकती है वह यह है कि कुछ जगह अमीर मक़ामी (स्थानीय अध्यक्ष) की इताअत का सही अहसास पैदा नहीं हुआ है। आपको मालूम है कि जिस दृष्टिकोण पर जमाअत इस्लामी का गठन हुआ उसके मुताबिक़ नेकी के सारे कामों में आम तौर पर और शरई उसूलों के तहत जमाअत की व्यवस्था से संबंधित कामों में ख़ासकर अमीर जमाअत या अपने मक़ामी अमीर के हुक्म व मंशा से लापरवाही करना वैसा ही गुनाह है जैसे कि ख़ुदा और रसूल के हुक्म व मंशा से लापरवाही करने का गुनाह होता है। वे अमीर शरई और आपके लीडर की हैसियत रखते हैं, अनजुमनों के अध्यक्षों की तरह नहीं हैं जिन्हें सिर्फ़ अनजुमन के इनतिज़ामी कामों के लिए रस्मी तौर से चुन लिया गया हो। उनकी इताअत जमाअत के अरकान के लिए लाज़िमी है, ख़ास हालात में अमीर को बदलकर दूसरा अमीर बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक वह अपने पद पर बना है उसकी सही कामों में बिला हील-हुज्जत और पूरी खुशदिली और ख़ुलूस के साथ इताअत की जानी चाहिए और इस बारे में अगर कोई कोताही पाई जाए तो अमीर से ज़्यादा अरकान को आपस में एक-दूसरे पर निगाह रखनी चाहिए। अगर ख़ुदा न करे मक़ामी अमीर से कोई शिकायत हो तो उसे झगड़े और फ़ितने का ज़रिया बनाने के बजाए, बिला झिझक मक़ामी अमीर के सामने लाना चाहिए और फिर मक़ामी इजतिमा में, और अगर ज़रूरत हो तो अमीर जमाअत के सामने।

# मक़ामी अमीर के गुण और ज़िम्मेदारियाँ

जहाँ-जहाँ इस बारे में कुछ शिकायतें पैदा हुई हैं उनका जाइज़ा लेने पर हर जगह यही महसूस हुआ कि असल में अमीर के चुनाव के समय इस पद की अहमियत और इसके लिए ज़रूरी गुणों का पूरा ख़याल नहीं रखा गया, बल्कि अमीर के बजाए, अनजुमन के एक अध्यक्ष का चुनाव किया गया। आइन्दा ऐसे मौक़ों पर

(बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतों को उनके सुपुर्द करो जो उनके योग्य हों) की पूरी पाबंदी होनी चाहिए और इस बात को सामने रखा जाए कि जिस व्यक्ति को अपना सरदार और अमीर बनाया जा रहा है—

(1) वह सारे अरकान में निस्बतन ज़्यादा नेकसीरत और शरीअत पर चलनेवाला हो,

(2) जमाअत के उसूल और तरीक़ेकार को अच्छी तरह समझता हो,

(3) सूझ-बूझ और मामलाफ़हमी के साथ जमाअत के कामों को अंजाम दे सकता हो। और,

(4) बस्ती के दूसरे लोग भी उसे आम तौर से इज़्ज़त व एहतिराम की निगाह से देखते हों।

फिर जिस व्यक्ति को अमीर बनाया जाए उसकी ज़िम्मेदारियों में से है कि :

(i) मक़ामी जमाअत में नज़्म व अनुशासन बनाए रखे, और

(ii) न सिर्फ़ ख़ुद जमाअत के काम को सरगर्मी के साथ पूरा करे, बल्कि अरकान को भी अख़लाक़ी हैसियत से दुरुस्त और अमली हैसियत से सरगर्म रखे।

# जमाअत का प्रभाव-क्षेत्र

## देश के अन्दर

जमाअत के प्रभाव-क्षेत्र में पिछले साल के मुक़ाबले बहुत विस्तार हुआ है। जिन राज्यों और इलाक़ों में पहले से हमारी आवाज़ पहुँची हुई थी, उनमें पहले से बहुत ज़्यादा आम हो गई और बहुत-से उन इलाक़ों में भी लिट्रेचर पहुँचा जहाँ अब तक नहीं पहुँच सका था। इस काम के अलावा, क्योंकि हमारे लिट्रेचर में समय की राजनैतिक व्यवस्थाओं और आन्दोलनों पर विस्तृत अमली टीका-टिप्पणी की गई है, इसलिए जो राजनैतिक जागरुकता चुनाव के ज़माने में लोगों में पैदा हुई (हालाँकि वह हमारे निकट क़ाबिले इतमीनान और सही न थी) इसकी वजह से लोगों ने और ज़्यादा दिलचस्पी के साथ हमारे लिट्रेचर की ओर अग्रसरता दिखाई और जैसा कि कहा गया है कि कभी-कभी शैतानी ताक़तें भी अनजाने में ख़ैर (भलाई) की सेवा कर देती हैं—चुनाव लड़नेवाले पक्षों ने हमारे लिट्रेचर में से वे चीज़ें जनता के सामने रखने की बहुतायत के साथ कोशिश की, जिसकी चोट दूसरे पक्ष पर पड़ती थी। और इस तरह भी जनता की एक बड़ी तादाद हमारे लिट्रेचर से वाक़िफ़ हो गई।

आसाम, बंगाल, राजपूताना, सी.पी. और बलूचिस्तान, जो इससे पहले हमारी दावत से बिलकुल नावाक़िफ़ थे, वहाँ भी इस साल हमारी दावत पहुँच गई और बहुत-से स्थानों पर काम शुरू भी हो गया। सी.पी. में कई लोग जमाअत में शरीक हुए, बलूचिस्तान से भी कई लोगों ने रुकनियत (सदस्यता) की दरख़्वास्तें कीं और हालाँकि जमाअत में तो अभी किसी को लिया नहीं गया, लेकिन कोएटा, चमन, यारो, मच्छ और ज़िला-चाग़ी के विभिन्न स्थानों पर हमारे हमदर्द ज़रूर पैदा हो गए हैं। बंगाल से भी कई लोगों की रुकनियत के लिए दरख़्वास्तें आई हैं और आसाम से लिट्रेचर को वहाँ की मक़ामी ज़बान में तर्जुमा करने की एक साहब ने इजाज़त माँगी है। राजपूताना में भी कई जगहों पर हमदर्दों के हलक़े (मण्डल) बन गए हैं और कुछ लोग जमाअत में भी शरीक हैं।

इस चुनाव में जमाअत के मसलक और अरकान और हमदर्दों को हर जगह बिलकुल नुमायाँ कर दिया और हालाँकि हर पार्टी ने हर सही व ग़लत ढंग से उनको फाँसने की कोशिशें कीं, लेकिन ख़ुदा का शुक्र है कि वे अपनी सब

योजनाओं में नाकाम रहे और इस स्वीकृति के साथ पीछे हटे कि असल में इस्लाम की राह वही है और ईमान व तौहीद का तक़ाज़ा भी वही है जो जमाअत इस्लामी कर रही है।

## विदेशों में

इस साल जमाअत का प्रभाव-क्षेत्र हिन्दुस्तान से बाहर अमेरिका, अफ़्रीक़ा, ईरान और इंग्लिस्तान तक फैल गया है और इन देशों में अल्लाह तआला ने कुछ ऐसे साधन पैदा कर दिए हैं जिनको वहाँ पर काम के शुरू करने का ज़रिया बनाया जा सकता है। इंग्लिस्तान में दो जगह लन्दन और मानचेस्टर में कुछ काम शुरू हो गया है। अरब में ख़ास मदीना मुनव्वरा के एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे दारुल-इस्लाम आ चुके हैं और अब इस इज्तिमा में शामिल हैं। उन्होंने जमाअत के काम के लिए अपने आपको पूरी तरह जमाअत के हवाले कर देने का वादा किया है और वह अरब में एक असर रखनेवाले आदमी हैं। कुछ अरबी में लिट्रेचर तैयार हो जाए तो इंशाअल्लाह अरब देशों में भी काम शुरू हो जाएगा।

बहरीन के भी एक साहब लिट्रेचर मँगवा रहे हैं। अभी वहाँ के तफ़सीली हालात से हम वाक़िफ़ नहीं हैं।

अफ़्रीक़ा में तीन जगह यानी रोडेशिया, नटाल और कीनिया में हमारा लिट्रेचर जा रहा है और उम्मीद है कि इनशाअल्लाह अगले साल रोडेशिया और नटाल में सुसंगठित काम शुरू करने के हालात पैदा हो जाएँगे।

अमेरिका में न्यूयार्क की एक अरब कम्पनी ने हमारा लिट्रेचर मँगवाना शुरू किया है, चूँकि वहाँ सिर्फ़ अंग्रेज़ी लिट्रेचर की ही माँग है और यह हमारे पास बहुत कम, बल्कि बराए नाम ही है, इसलिए वहाँ और दूसरे अंग्रेज़ी बोलनेवाले देशों में भी काम की रफ़तार अभी बहुत धीमी है। कुछ अंग्रेज़ी लिट्रेचर तैयार हो जाए तो इनशाअल्लाह इन देशों में हमें ऐसे आदमी मिल जाएँगे जो अपने तौर पर इस दावत के काम को वहाँ पर शुरू कर सकेंगे।

मलेशिया और ईरान में भी अब हमारा लिट्रेचर जा रहा है, लेकिन इसे मँगानेवाले वही लोग हैं जो नौकरी करने के लिए वहाँ पर अस्थाई रूप से रह रहे हैं। फिर भी वे इस कोशिश में हैं कि इन विचारों को मक़ामी लोगों तक किसी तरह पहुँचा सकें।

इण्डोनेशिया के एक साहब, जो इन दिनों हिन्दुस्तान आए हुए हैं और

इण्डोनेशिया में इस युद्ध से पहले एक पत्रिका निकालते रहे हैं, हमारे बहुत क़रीब हैं, बहुत-सा लिट्रेचर पढ़ चुके हैं। तरजुमानुल कुरआन और अख़बार कौसर का अध्ययन करते हैं और वे चाहते हैं कि हालात ठीक हो जाने पर इण्डोनेशिया वापस जाकर वहाँ की स्थानीय भाषा में इस दावत के काम को शुरू करें। ख़याल है कि अगर ये साहब कुछ समय दे सकें तो उन्हें कुछ दिनों मरकज़ में रखकर इस हद तक तैयार कर दिया जाए कि वापिस जाकर वहाँ काम को चला सकें।

## ग़ैर मुसलिमों में काम

ग़ैर मुसलिमों में काम की रफ़्तार में कोई ख़ास तरक़्क़ी नहीं हुई और इसकी बड़ी वजह वह क़ौमी कशमकश है जो हिन्दुओं और आम मुसलमानों के बीच दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस ढंग से हम काम कर रहे हैं इससे उम्मीद है कि इनशाअल्लाह बहुत जल्द पक्षपात की ये दीवारें हमारे रास्ते से हट जाएँगी और ग़ैर मुसलिम हमारी दावत को पूरे तौर पर एक उसूली दावत की हैसियत से देखने लगेंगे, जिसे किसी क़ौम या देश व नस्ल से कोई वास्ता नहीं।

## औरतों में काम

पिछले साल औरतों में हमारा काम लगभग कुछ नहीं था, और हम बहुत परेशान थे कि इस वर्ग तक अपनी आवाज़ को किस तरह पहुँचाएँ, क्योंकि कोई तहरीक (आन्दोलन) उस समय तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकती और अगर कामयाब हो भी जाए तो ज़्यादा दिनों तक क़ायम नहीं रह सकती जब तक कि औरतों की मदद उसे हासिल न हो। औरतों का गिरोह इनसानी समाज का वह हिस्सा है जो किसी क़ौम या नस्ल को बनाने और बिगाड़ने दोनों में बहुत अहम भूमिका अदा करता है और जिसके बारे में अंग्रेज़ी की यह कहावत सौ फ़ीसद सही है—"THE HAND THAT ROKS THE CRADLE RULES THE WORLD" यानी जो हाथ झूले को झुलाता है उसी में दुनिया की बागडोर है। ख़ुदा का शुक्र है कि इस साल इस हल्क़े में भी कुछ काम की शुरुआत हो गई और अब औरतों में एक हरकत पैदा हो रही है। एक ख़ातून (महिला) जो इसी साल जमाअत में शरीक हुई हैं उनका काम तो इतना अच्छा और तसल्लीबख़्श है कि मैं उसे नमूने के तौर पर यहाँ पेश करना चाहता हूँ ताकि हाज़रीने इजतिमा और ख़ास तौर से औरतों को मालूम हो कि औरतें हक़ की दावत के मौजूदा मरहले में क्या और किस तरह हिस्सा ले सकती हैं। इसलिए मैं इस बहन के

काम की एक माहाना रिपोर्ट उन्हीं के शब्दों में पेश करता हूँ।

(1) पिछले माह की 25 को मेरी इकलौती भाँजी (मरहूमा बहन और मरहूम बहनोई की निशानी) कुछ बीमार होकर ससुराल से आई थी। मैंने उसकी ख़िदमत और देखभाल में कोई कमी न छोड़ी। ख़ुदा की मेहरबानी से वह कुछ दिनों के बाद पूरे तौर से ठीक हो गई। इसके बाद उसने मुझसे क़ुरआन मजीद पढ़ना शुरू कर दिया जो अब तक जारी है। ईदुल-अज़हा के मौक़े पर उसके शौहर (पति) भी दो दिन के लिए आए थे। उन्हें भी दावते इस्लामी से वाक़िफ़ करने की कोशिश की, नतीजा अच्छा रहा।

(2) ईद पर भाई-भावज को क़ुरबानी पर तैयार किया। भाई तो पहले भी किया करते थे, भावज ने मेरे शौक़ दिलाने पर भी क़ुरबानी की। भावज मुझसे क़ुरआन मजीद भी पढ़ रही हैं और इस्लामी किताबें भी।

(3) ईद से पहले आस-पास के कुछ ज़रूरतमंदों को मैंने तबलीग़ के मक़सद से लगभग एक दर्जन कपड़े सी कर दिए और उसी ख़ातिर कुछ रिश्तेदारों के बच्चों के स्वेटर भी बुने।

(4) चार पुरानी सहेलियों से ख़त व किताबत के ज़रिए तबलीग़ की। उनमें से दो ट्रेंड ग्रेजुएट हैं और दो मेट्रीक्यूलेट। तीन तक मेरे ज़रिए से बहुत-सी इस्लामी किताबें पहुँच चुकी हैं। एक को तैयार कर रही हूँ। कल वह मुझसे मिलने आ रही है। उम्मीद है कि अल्लाह तआला कोई अच्छा-सा मौक़ा निकाल ही देगा।

(5) इन सबके अलावा मेरे जिन रिश्तेदारों से ख़त व किताबत है, सबको इस्लाम ही की तरफ़ दावत दे रही हूँ और इस्लामी किताबों के अध्ययन पर तैयार करती हूँ।

(6) स्थानीय सरकारी गर्ल्स स्कूल की टीचर्स ने हमें "ईद पार्टी" पर कुछ दिन पहले बुलाया। हम दोनों नंद-भावज इसी ख़याल से शरीक हो गईं कि हज़रत इबराहीम (अलै०) की क़ुरबानी का ज़रूर कुछ न कुछ ज़िक्र होगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो और ही रंग था और हमारे लिए वहाँ का एक-एक मिनट घंटे से भी ज़्यादा लम्बा था। आख़िर जैसे-तैसे करके खाना ख़त्म किया तो उन्होंने गाना-बजाना शुरू कर दिया। हम इजाज़त माँग रहे थे और वे हमें और रुकने की ज़िद कर रही थीं। आख़िरकार हम दोनों उनकी इजाज़त के बिना ही उनके नापसंद कामों पर अपनी नाराज़गी का इज़हार करके चली आईं। उसके दूसरे-तीसरे दिन के

बाद उनकी एक नुमाइन्दा टीचर हमारे यहाँ मिलने के लिए आई तो मैंने उसे तफ़सील से बताया कि आप लोग ग़ैर मुसलिम टीचर्स के सामने किस तरह का इस्लाम पेश कर रही हैं। अगर उनके यहाँ गाना-बजाना, बेपरदगी व बेशरमी नापसंद नहीं है तो क्या आप भी उन्हीं के मेयार पर इस्लाम को ले आएँगी।

प्यारी बहनो!

साथियों को दावत देना इस्लाम के निकट बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस तरह के अशलील और अख़लाक़ को बिगाड़नेवाले गाने और इस्लामी अख़लाक़ से गिरी हुई ऐसी हरकतें (जिन्हें हमको वहाँ मजबूरन देखना पड़ा) कौन-सा सवाब का काम है? लेकिन उन्हें सवाब व अज़ाब की क्या परवाह है, बुनियादी चीज़ ख़ुदा व आख़िरत के अक़ीदे से ख़ाली होने का यही नतीजा है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि तबलीग़ किस तरह की जाए? अगर उन लोगों से मिलना-जुलना बंद कर दें तो तबलीग़ का कौन-सा मौक़ा मिलेगा? अगर मिलें तो कैसे मिलें? उनकी एक-एक हरकत दिल में खटकती है और सख़्त तकलीफ़ होती है और यही डर रहता है कि उनका सुधार तो शायद ही हो, हम कहीं ख़ुद भी उनके साथ न डूबें और अपने समय को बिला वजह बरबाद करें। यही हाल दूसरी मुहतरम औरतों से मुलाक़ात का है। अगर उनसे मिलने जाएँ या वे मिलने आएँ तो सिवाए बेकार की बातों और अपनी तारीफ़ों के उनके पास बातचीत का कोई विषय नहीं होता, या बड़ी बात हुई तो महँगाई का रोना और अपनी बदक़िस्मती का। इसी लिए इन पूरे पाँच महीनों की लम्बी मुद्दत में जो मैं वहाँ पर रही, सिवाए अपनी पड़ोसन के मेरी किसी और औरत से मुलाक़ात नहीं और वह इसलिए कि इत्तिफ़ाक़ से उसे पढ़ने का शौक़ है और सात बच्चों की माँ होने के बावजूद रोज़ाना मुझसे इस्लामी किताबें लेकर पढ़ती है। मेरे पास जितनी किताबें हैं उसने लगभग सब पढ़ ली हैं। वह हालाँकि तहरीक (आन्दोलन) से प्रभावित है (क्योंकि उसके बाप-भाई इसी जमाअत के आदमी हैं) और इस्लामी जमाअत के उसूलों से वैचारिक तौर पर सहमत हो रही है और शायद किसी वक़्त अमली तौर पर तैयार हो जाए।

इसके अलावा कुछ दूसरे सरकारी कर्मचारियों की बीवियों से भी परिचय हुआ है लेकिन एक-एक, दो-दो मुलाक़ात के बाद आने-जाने का सिलसिला लगभग बंद है। फिर भी उनमें से किसी को अगर मेरी मदद की ज़रूरत हो तो उनके दिलों को जीतने के लिए हमेशा मदद करने के लिए पूरे तौर से तैयार रहती हूँ और अकसर सिलाई-पढ़ाई के सिलसिले में मदद करती रहती हूँ।

तबलीग़ का सिर्फ़ यही तरीक़ा मुझे अपने मक़सद के लिए फ़ायदामंद लगा।

(7) घर के अन्दर के लोगों पर तबलीग़ करने के मौक़े ख़ुदा की मेहरबानी से हर-हर घड़ी मिलते रहते हैं। मैं ज़्यादातर उन्हीं से फ़ायदा उठा रही हूँ। घर के हलके-फुलके काम और कुम्बे के लोगों की ख़िदमत से उनको इस्लामी दावत से प्रभावित कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी ख़ुद पानी का गिलास घड़े से लेने की भी तकलीफ़ नहीं की थी, सिर्फ़ पढ़ने-लिखने से काम था। अगर वालिदा साहिबा को कभी फ़ुरसत न होती और वे कहतीं कि दूध पी लो या रोटी खा लो, तो यह कहकर लेट जातीं कि अगर खाना निकालकर यहाँ लाएँगी तो खा-पी लूँगी, वरना नहीं। मजबूर होकर उन्हीं को हर काम करना पड़ता। अब ख़ुदा के फ़ज़्ल से उनकी ख़ुद ख़िदमत कर रही हूँ और उन्हें आराम करने का हर मुमकिन मौक़ा देती हूँ। इसके अलावा ख़ानदान के दूसरे लोग और मेहमानों की आवभगत में भी आगे ही आगे रहती हूँ, ताकि उन्हें इस नेमत से आगाह कर सकूँ जो ख़ुदा के फ़ज़्ल से मुझे हासिल हुई है। मुझे ये देखकर इतमीनान है कि मेरी कोशिश से मेरा छोटा भाई और भाँजी का शौहर (ख़ुदा के फ़ज़्ल से) अपने दफ़तरों से नाजाइज़ रियायतें हासिल करने से लगभग पूरे तौर से बचने लगे हैं और नमाज़ व ज़कात की अदायगी में पहले के मुक़ाबले अब पाबंद हो गए हैं। बड़े भाई और बहनोई मेरे होश सँभालने से पहले मुलाज़िम होकर दूर चले गए थे और सालों के बाद अभी कुछ दिन साथ उठने-बैठने का मौक़ा मिल रहा है। इस जल्दी में क्या बातचीत और तबलीग़ हो सकती है। दूसरे वे उम्र में काफ़ी बड़े हैं। खुलकर बातें भी नहीं हो सकतीं। यही एक छोटे भाई मेरी तालीम और दूसरे कामों में शुरू से साथी और मददगार रहे हैं। ख़ुदा की मेहरबानी से उम्मीद है कि ये इस्लामी जमाअत में भी शामिल हो जाएँगे और मुमकिन है, अपनी मौजूदा नौकरी को छोड़कर जमाअत इस्लामी के रुक्न बन जाएँ और इस्लाम के पूरे के पूरे ख़ादिम बनें। दावत तो मैं सबको दे रही हूँ, लेकिन ज़्यादा ध्यान उन्हीं की तरफ़ है। उन्हीं के पास हूँ।

(8) अपनी पड़ोसन की लड़की को पहले की तरह घंटा-डेढ़ घंटा रोज़ाना फ़ारसी, अंग्रेज़ी आदि पढ़ा रही हूँ।

(9) घर के अन्दर और बाहर मेरी सारी ख़िदमतें रज़ाकाराना हैं। हमेशा बीमार रहने की वजह से घर के तमाम लोग मुझसे किसी काम का मुतालिबा नहीं करते, लेकिन अब मैं ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अपनी उम्र का कोई पल भी बेकार खोना नहीं चाहती। क्योंकि ख़ुदा तो ख़ूब जानता है कि मैं कितना

कर सकती हूँ और कितना नहीं। इसलिए हर एक की हर संभव ख़िदमत करने को तैयार रहती हूँ। इस तरह मुझे पढ़ने के लिए वक़्त कम मिलता है, लेकिन अपने फ़र्ज़ की अदायगी से जो इतमीनान मुझे हासिल होता है वह किसी हद तक इस कमी को पूरा कर देता है। हर वक़्त तबलीग़ के मौक़े की ताक में रहती हूँ, ज़बानी तबलीग़ का मौक़ा बहुत ही कम मिलता है लेकिन अमली तबलीग़ तो अल्लाह की मेहरबानी से चौबीस घंटे जारी है।

(10) मेरी अपनी इस्लाह (सुधार) अभी तक पूरी नहीं हुई। इस महीने में बहुत-सी ग़लतियाँ हुई हैं, लेकिन ख़ुदा की रहमत से उसकी ज़ात पर भरोसा बढ़ रहा है और बेकार की परेशानियाँ नहीं होतीं, ख़ुदा मुझे सच्चा मुसलमान बनने की तौफ़ीक़ दे।

अगर दूसरी औरतें भी इसी तेज़ी और लगन से काम शुरू कर दें तो हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। अरकाने जमाअत की बीवियों और दूसरी रिश्तेदार औरतों पर तो इस काम की बड़ी ही सख़्त ज़िम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि दूसरी बहनें अपनी इस बहन के काम में अपने लिए बहुत कुछ रहनुमाई पाएँगी।

## उलमा का तबक़ा

आपको यह जानकर ख़ुशी होगी कि इस साल जिन 224 लोगों की रुकनियत के लिए दरख़्वास्तें आई हैं, उनमें से साठ से ज़्यादा अरबी मदरसों के उस्ताद, तलबा और आलिम-फ़ाज़िल हज़रात हैं। इस समय लगभग सब बड़े-बड़े दीनी मदरसों में हमारा लिट्रेचर जा रहा है। अकसर में तो बाक़ायदा अध्ययन केन्द्र और चलती-फिरती लाइब्रेरियाँ क़ायम हो चुकी हैं और महसूस होता है कि वहाँ कम से कम नए छात्र और उस्तादों में एक हरकत पैदा हो रही है। इस चुनाव के हँगामे ने यहाँ 99 प्रतिशत लोगों को अपने सैलाब में बहा लिया और देशभक्ति और राष्ट्रवाद को एक महामारी की तरह देश में चारों तरफ़ फैला दिया है। वहाँ एक बड़ा काम उसने यह भी किया कि उन तमाम अख़लाक़ी कमज़ोरियों को जो मुसलमानों के आम तबक़ों की तरह मज़हबी तबक़े में भी मौजूद थीं, मगर छिपी हुई थीं, उन्हें खोलकर सबके सामने ला दिया, और अपने और ग़ैर सबने देख लिया कि गुमराही और बदअख़लाक़ी में मशहूर नए शिक्षित लोगों और आम जनता की तरह दीनदारी में मशहूर उलमा भी राजनैतिक उद्देश्यों और गिरोहबन्दी के जोश में झूठ, फ़रेब, चालबाज़ियाँ, ग़ीबतें, बदज़बानियाँ और

वह सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे ख़ुदा से न डरनेवाले दुनियादार कर सकते हैं। इस चीज़ ने हमारे मज़हबी तबक़े के एक बड़े हिस्से की आँखें खोल दीं और जो लोग हक़ीक़त में मज़हबी सोच व फ़िक्र रखते हैं और अख़लाक़ व दयानत के इस्लामी उसूलों से वाक़िफ़ हैं वह यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जिन लोगों के पीछे वे अब तक चलते रहे हैं, वे उन्हें किस तरफ़ ले जा रहे हैं।

हमारे राजनैतिक उलमा ने इस हँगामे में जिस सीरत व किरदार और बेउसूलीपन और ख़ुदा से बेख़ौफ़ होने का इज़हार किया है और अल्लाह की किताब और उसके रसूल (सल्ल०) की हदीसों से जो खेल खेले हैं और इस दावते हक़ को हक़ और ऐन इस्लाम को मानने के बावजूद इससे दामन बचाने के जो बहाने तराशे हैं और उनके मुक़ाबले में उन्हीं के शब्दों में बेदीन दिखनेवाले लोग जिस तरह इस दावत का इस्तिक़बाल कर रहे हैं इससे अन्दाज़ा हो रहा है कि अल्लाह तआला इन लोगों की ख़ुदा से बेख़ौफ़ी की वजह से उनको नज़रअन्दाज़ करके अब दूसरे ही लोगों को अपने काम के लिए उठाने का फ़ैसला कर चुका है। दुआ है कि अल्लाह तआला उन हज़रात पर रहम करे और उनको अपने पद और अपनी ज़िम्मेदारियों का सही अहसास व समझ अता करे। और वे इस तरह बरबाद होने के बजाए ख़ुदा के दीन के काम आएँ।

हालाँकि आम तौर से कुछ आलिमों के ग़लत तौर-तरीक़ों की वजह से दीनी मदरसों का माहौल बहुत ख़राब हो गया है और अब वे और उनके अनुयायी दीने हक़ के बजाए ग़ैर इस्लामी आन्दोलनों और दावतों से चिपके हुए हैं। लेकिन इस गिरोह में से ख़ुदा के कुछ ऐसे बन्दे बराबर निकलते चले आ रहे हैं जो ग़ैर इस्लामी रहनुमाओं से बेज़ार और ख़ालिस दीनी मक़सद के लिए दीनी तरीक़े पर काम करने की ख़्वाहिश रखते हैं। यह तो हम नहीं कह सकते कि उनमें से कितनों को अल्लाह तआला अपने दीन की इक़ामत की जिद्दोजुहद में अमली तौर पर शरीक होने की ख़ुशनसीबी बख़्शेगा। लेकिन यह हालत हवा का रुख़ साफ़ बता रही है, कुछ जगह तो ऐसे हलक़ों के उलमा इस काम की तरफ़ आ रहे हैं जहाँ इस आन्दोलन के पहुँच जाने का हमें अन्दाज़ा भी नहीं था और हमारा यह अन्दाज़ा था कि ये हलक़े शायद दीन के अमली तौर पर लागू होने के बाद भी प्रभावित न होंगे।

## आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग

यह हक़ीक़त है कि बुनियादी इनसानी अख़लाक़ियात के लिहाज़ से इस

वक़्त आधुनिक शिक्षा प्राप्त वर्ग ही रहनुमाई और नायकता के पद पर नियुक्त है और हद यह है कि हमारे दीनी रहनुमा, यानी उलमा हज़रात भी, उनसे इस दर्जा प्रभावित हो चुके हैं कि अब वे अपना इस्तेमाल इसके सिवा कुछ नहीं समझते कि उसी वर्ग की ख़्वाहिशों और तमन्नाओं और फ़लसफ़ों (दर्शनों) और राजनीतियों को क़ुरआन व हदीस के मुताबिक़ साबित करने की कोशिश करें, और अगर कोई ख़ुदा का बन्दा उनकी ग़लतियों और ग़ैर इस्लामी कार्रवाइयों की आलोचना करके उनको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करे तो उसे उलटा मुजरिम ठहराएँ। यह कहने में ज़रा भी अतिशयोक्ति न होगी कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त वर्ग के गुमराह होने और भटकने और दीन से दूरी की पचास फ़ीसदी ज़िम्मेदारी उलमा हज़रात ही पर है। इन हज़रात की दो-रंगी ज़िन्दगी ने दीन और बेदीन को इस हद तक गड्डमड्ड कर दिया है कि न सिर्फ़ ग़ैर मुसलिमों ही को, बल्कि दीन से अनजान मुसलमानों को भी दीन के तक़ाज़ों और उसकी व्यापकता को समझने में बहुत-सी परेशानियाँ सामने आ रही हैं। जब वे देखते हैं कि उनके बड़े-बड़े बुज़ुर्ग व ज़ाहिदों को भी, जिन्होंने अपनी उम्रें क़ुरआन व हदीस के सीखने और सिखाने में सर्फ़ की हैं, सिर्फ़ रंग-ढंग और लिबास और कुछ इस्तलाही इबादतों में पुराने ढंग पर क़ायम हैं, वरना अपने तौर व तरीक़े फ़लसफ़-ए-ज़िन्दगी और राजनीतियों और इजतिमाई अख़लाक़ियात में वे उनसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं हैं, बल्कि उनके शार्गिद बनने पर वे गर्व करते हैं तो वे समझने लगते हैं कि यह तौर-तरीक़ा, यह लिबास और इबादात भी सिर्फ़ उनके पुराने ख़यालात और रुढ़िवादिता का नतीजा हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता दूर हो जाएँगी।

इस सूरतेहाल के क़ुदरती नतीजे के तौर पर जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह कह दिया कि मुसलमान अपनी तहज़ीब व कल्चर का इतना शोर मचाते हैं, आख़िर उनके पास एक टोंटीदार लोटे, टख़नों से ऊपर पाजामे, एक ख़ास तरह की टोपी और लम्बी दाढ़ी के अलावा और है क्या चीज़? तो ये सब लोग बिफर उठे। लेकिन इनसाफ़ की नज़र से देखिए कि उन्होंने अमली तौर पर इसके अलावा और इस्लाम का पेश ही क्या किया है? जब मुसलमान अवाम से लेकर उनके उलमा और रहनुमाओं तक ऊपर बयान किए गए कर्मों के अलावा (और वह भी कोई-कोई) सबके सब अपनी अमली ज़िन्दगी में उन्हीं तरीक़ों, दृष्टिकोणों और फ़लसफ़ों के पाबंद और पैरवी करनेवाले हैं, जिनके क़ुरआन और हदीस से अनजान और उनके इनकार करनेवाले लोग पाबंद हैं, तो ग़ैर मुसलिम दुनिया

इस्लाम को टोंटी, टख़ने और टोपी से आगे जान ही क्या सकती है?

आधुनिक शिक्षाप्राप्त मुसलमान और ग़ैर मुसलिम भी, जब उनके सामने इस्लाम तमाम तफ़सीलात के साथ पेश किया जाता है तो हैरान रह जाते हैं और फिर दलीलों व फ़लसफ़ों से हटकर अपने "धर्मगुरुओं और जिन उलमा के पीछे चल रहे होते हैं उनके तरीक़ेकार की तरफ़ फिर जाते हैं कि ये लोग जो हमारे हर काम को क़ुरआन और हदीस की सनद दे रहे हैं चुनाव को जंगे बदर और हक़ व बातिल में फ़र्क़ करनेवाला दिन साबित कर रहे हैं। क्या यह दीन को नहीं जानते? यह चीज़ साफ़ ज़ाहिर कर रही है कि उलमा की ज़िम्मेदारी कितनी सख़्त है और उनकी कार्यशैली से दीने हक़ और दीन को क़ायम करने के आन्दोलन को कितना नुक़सान हो रहा है कि इस्लाम से अनजान लोग अपने ग़ैर इस्लामी तौर-तरीक़ों के लिए उनकी कार्यशैली से इस्लाम की सनद पकड़ रहे हैं। उनको वाज़ेह करने के लिए मैं उन ख़तों में से सिर्फ़ एक ख़त मिसाल के तौर पर रख रहा हूँ जो इन दिनों हमारे पास आए हैं और उनके साथ ही उनका जवाब भी जो हमारी तरफ़ से उनको दिया गया है।

सेवा में हज़रत मोहतरम!

अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

अर्ज़ है कि मैंने आपकी पत्रिका का ख़ूब अध्ययन किया है। मेरी एक बिरादराना गुज़ारिश है। वह यह कि आपने जो दारुल इस्लाम पंजाब में बनाया है, यह ग़लत है और जो आपने चुनावों का बहिष्कार किया है, यह भी ग़लत है।

अगर आप दारुल इस्लाम के आशिक़ हैं तो आपको दुनिया के अन्दर जो इस वक़्त दारुल इस्लाम कहलाते हैं, वहाँ जाकर उन्हें सही मानों में दारुल इस्लाम बनाना चाहिए। क्योंकि उनका सुधार जल्द हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सऊदी अरबिया, मिस्र, अफ़ग़ानिस्तान और तुर्किस्तान आदि, यानी जहाँ पर ज़ाहिर तौर पर मुसलमान हाकिम हैं उन्हें पहले दारुल इस्लमा बनाइए। फिर दारुल कुफ़्र की तरफ़ ध्यान दीजिए। पहले मुसलमान हुकूमतों को ठीक कीजिए, बाद में ग़ैर मुसलिम देशों में दारुल इस्लाम के बनाने का दिमाग़ में ख़याल लाइए। उनका सुधार इस मुल्क के मुक़ाबले जल्द हो सकता है। उनके दिमाग़ आज़ादी के शब्दों से आगाह हैं। उन देशों में तो अभी सही इस्लामी हुकूमत क़ायम नहीं हुई तो आप ऐसे देश में इस्लामी हुकूमत कैसे क़ायम कर सकते हैं जिसका निज़ाम सिरे से बातिल है।

आप फ़रमाएँगे कि उन देशों में जाना मुशकिल है। अगर वहाँ जाना मुशकिल है तो हिन्दुस्तान के अन्दर मुसलमानों की रियासतें हैं, उनमें इस आन्दोलन को चलाइए। जैसै निज़ाम स्टेट, बहावलपुर, चतराल आदि।

आपने जो चुनावों का बहिष्कार किया है, यह भी ग़लत है। यह फ़ैसला आपका बेहूदगी की बुनियाद पर है। आपके इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ मौलाना हुसैन अहमद साहब, मुफ़्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मौलाना अहमद सईद साहब, हज़रत मौलाना इमामुल हिन्द अबुल कलाम आज़ाद, मज़हर अली साहब अज़हर, हज़रत मौलाना सय्यद दाऊद साहब ग़ज़नवी, मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुख़ारी, हज़रत मौलाना क़ासिम सानी साहब, क़ारी मुहम्मद तय्यब साहब दारुल उलूम देवबन्द, मौलाना हिफ़्ज़ुर्रहमान साहब, मौलाना मौलवी ग़ुलाम मुर्शिद साहब, मौलाना मुहम्मद बख़्श साहब मुस्लिम, अल्लामा अलाउद्दीन साहब सिद्दीक़ी, मौलाना शब्बीर अहमद साहब उसमानी, मौलाना मुहम्मद मुस्लिम साहब उसमानी, मौलाना अहमद अली साहब जैसे बड़े बुज़ुर्ग उलमा-ए-किराम और सूफ़ी हज़रात हैं। आम इससे कि वह कांग्रेसी हों या इहरारी या लीगी, चाहे जो हों, मगर उन्होंने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया, बल्कि उसमें हिस्सा लिया और प्रेरित किया तो क्या आपके नज़दीक इन तमाम हज़रात ने हराम काम किया है?

मेरी इस गुज़ारिश को ज़िद या पक्षपात हरगिज़ न समझें, वल्लाहुल अज़ीम (अल्लाह ही अज़ीम व बरतर है) मैं सच अर्ज़ करता हूँ, ज़िद नहीं, पार्टीबाज़ी नहीं, सिर्फ़ आपके रिसाले का लेख पढ़कर मेरे दिमाग़ में यह बात आई कि आपने तमाम बुज़ुर्गाने दीन को एकदम हराम काम करनेवाला क़रार दे दिया, मगर हैरत है कि आपका हाथ मुबारक शल्य (बेजान) नहीं हुआ।

**जवाब :**

मुकर्रमी व मुहतरमी !

अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।

आपका इनायतनामा मिला। हर आदमी के लिए उसका फ़र्ज़ उसी ज़मीन पर लागू होता है जहाँ वह पैदा हुआ हो और जहाँ पर रहता हो और दूसरी जगह उसका जाना उसी हालत में सही होता है जबकि वह अपनी पैदाइशी सरज़मीन में अपना फ़र्ज़ अदा न कर सकता हो। इसके अलावा हर आदमी के लिए फ़ितरी तौर पर अमल का मैदान होता ही उसका अपना वतन है जहाँ की ज़बान, आदतें, ख़सलतें, सबसे वह पूरी तरह वाक़िफ़ होता है। अब अगर यह ज़मीन पथरीली

हो तो उसे कोशिश करके देख लेना चाहिए कि वहाँ कोई बीज जड़ पकड़ सकता है या नहीं। कोशिश के बाद मायूसी हो जाए तो दूसरी मुनासिब ज़मीन तलाश करना ठीक है।

चुनावों के बारे में आपने जो बात लिखी है, आप इसके सिवा कुछ और कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि आपके लिए यह मालूम करने का कि इस्लाम की उसूली शिक्षाएँ क्या हैं और उन उसूली शिक्षाओं का हिन्दुस्तान के मौजूदा राजनैतिक मामलों से क्या संबंध है, इसके सिवा और कोई ज़रिया नहीं है कि आप बड़े-बड़े उलमा की तरफ़ देखें कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन इसे मेरी बदक़िस्मती समझिए या ख़ुशक़िस्मती कि मैं अपना दीन मालूम करने के लिए छोटे या बड़े उलमा की तरफ़ देखने का मोहताज नहीं हूँ, बल्कि ख़ुद ख़ुदा की किताब और उसके रसूल (सल्ल०) की सुन्नत से यह मालूम कर सकता हूँ कि दीन के उसूल क्या हैं और यह भी तहक़ीक़ कर सकता हूँ कि इस देश में जो लोग दीन के अलमबरदार समझे जाते हैं, वे किसी ख़ास मसले में सही तरीक़ा अपना रहे हैं या ग़लत। इसलिए मैं अपनी जगह मजबूर हूँ कि जो कुछ क़ुरआन व सुन्नत से हक़ पाऊँ, उसे हक़ समझूँ भी और उसका एलान भी कर दूँ। आप जो हक़ को जानने के लिए दूसरों के मोहताज हैं, आपके लिए ये तो किसी न किसी तरह सही हो भी सकता है कि जिन उलमा को आप हक़ का मेयार समझते हैं, उनके पीछे आँखें बंद करके चलें। लेकिन आपके लिए यह आख़िर किस तरह सही हो गया कि जो अपनी आँखों से रास्ता देखने की ताक़त रखता है उससे भी आप मुतालबा करें कि किसी की रहनुमाई का मोहताज या नाबिना (अंधा) बनकर चले, या अपनी आँखों की रौशनी को आपकी ख़ातिर झुठलाए।"

ज़ाहिर है कि हर वह चीज़ जो मुसलमान क़ौम के लिए फ़ायदेमंद हो, ज़रूरी नहीं कि इस्लाम के लिए भी फ़ायदेमंद हो क्योंकि जातिवाद और इस्लाम दोनों के मुतालबे एक दूसरे से अलग हैं और उनके फ़ायदों का बहुत-से मामलों में विरोधाभास और टकराव हो सकता है और हो रहा है। लेकिन आधुनिक शिक्षित वर्ग की एक बड़ी ग़लतफ़हमी यह भी है कि जो चीज़ मुसलमानों के फ़ायदे की हो, (फ़ायदे से मुराद उनके नज़दीक माद्दी फ़ायदा है) वह ज़रूर ही इस्लाम और नेकी का काम भी है। और अफ़सोस है कि यह सबक़ भी उलमा हज़रात ही का दिया हुआ है, जिन्होंने इस्लाम और मुसलिम क़ौमियत को आपस में एक-दूसरे का बदल बना दिया है, लेकिन जमाअत इस्लामी का लिट्रेचर फैलने से अब हालात धीरे-धीरे बदल रहे हैं और संजीदा और समझदार लोग अपने लीडरों

और रहनुमाओं पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने लगे हैं और उनको यह महसूस होने लगा है कि आख़िर वह किस तरह की इस्लामी हुकूमत और कौन-सी इस्लामी व्यवस्था होगी जिसे ये सुन्नी व शिया मुसलिम और ग़ैर मुसलिम, साम्यवादी व पूँजीवादी, मुल्ला व बाबू और ख़ुदा और रसूल (सल्ल०) के चाहनेवाले और उनका मज़ाक़ उड़ानेवाले सब एक फ़ौज बनकर क़ायम करने जा रहे हैं। इनशाअल्लाह जैसे-जैसे ये लोग "जातिवाद" की बुनियाद पर अपनी इस्लामी हुकूमत की इमारत को ऊपर उठाएँगे, उसका तिरछापन, टेढ़ापन और उसकी इस्लाम से दूरी स्पष्ट होती चली जाएगी, यहाँ तक कि मंज़िल पर पहुँच जाने पर उनको मालूम हो जाएगा कि वह तो इस्लाम से और भी दूर निकल गए, सिवाए इसके कि उनके साथी उलमा उस वक़्त उसे भी क़ुरआन व सुन्नत की सनद अता कर दें। ज़रूरत है कि वाक़िआत की रौशनी में इनकी "इस्लामी हुकूमत" की हक़ीक़त और उसकी रूप-रेखा को उजागर किया जाए ताकि कम से कम उनमें का वह गिरोह जो ग़लतफ़हमी से इस बहाव में बह रहा है, सीधे रास्ते पर आ जाए। हमारा तजुर्बा है कि आधुनिक शिक्षाप्राप्त वर्ग का दीनी एहसास निस्बतन बहुत जल्द जागृत हो जाता है और जिस चीज़ को ये लोग सोच-समझकर क़बूल कर लेते हैं, फिर उसके लिए हर तरह की कुरबानी भी दे देते हैं उन लोगों में हमारा लिट्रेचर तेज़ी से फैल रहा है और एक बड़ी तादाद में ये लोग प्रभावित भी हो रहे हैं और उनकी समझ में यह बात आ रही है कि मौजूदा सारे आन्दोलन देशभक्ति या राष्ट्रवाद के दृष्टिकोणों पर टिके हैं और वह ऊपर से नीचे तक पश्चिमी लोकतंत्र के उसूलों पर तरक़्क़ी कर रही हैं और उनका नतीजा देशभक्ति या राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से चाहे कितना फ़ायदेमंद हो, फिर भी इस्लाम से उनका कोई संबंध नहीं और न ये इस्लामी व्यवस्था का सबब बन सकती हैं।"

# हलक़ों के इजतिमा

इस साल देश के विभिन्न हिस्सों में हलक़ेवार इजतिमा लगातार होते रहे हैं, और इससे अरकान को आपस में मिलने और एक-दूसरे को समझने और संगठित रूप में काम को आगे बढ़ाने के तरीक़े सोचने और आपस के अजनबीपन के दूर करने का अच्छा-ख़ासा मौक़ा मिला और अब यह देखकर बहुत ख़ुशी होती है कि जमाअत के अरकान एक-दूसरे के बहुत क़रीब हो रहे हैं, आपस में एक-दूसरे की भलाई, मुहब्बत, हमदर्दी और सहयोग में नुमायाँ तरक़्क़ी कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर यह कि जमाअती कामों को दूसरे सब कामों से सबसे ज़्यादा पसन्दीदा काम समझने लगे हैं।

हलक़ेवार इजतिमा के सिलसिले में मौलाना अमीन अहसन साहब इस्लाही, मुहम्मद अब्दुल जब्बार साहब ग़ाज़ी और क़य्यिम जमाअत (महासचिव) ने सितम्बर सन् 1945 ई० में सूबा सरहद का दौरा किया। पेशावर, कोहाट, नौशहरा छावनी और तख़्त भाई ज़िला मरदान में लोगों के सामने बातें रखी गईं। तख़्त भाई में सूबा सरहद का इजतिमा था। उसमें भी शरीक हुए। सरहद से वापसी पर केमीलपुर में ज़िला केमीलपुर, रावलपिंडी और जेहलम का इजतिमा आयोजित किया गया और गूजराँवाला में ज़िला गुजराँवाला और गुजरात का इजतिमा किया गया।

इसके बाद 15, 16 दिसम्बर को सियालकोट के इजतिमा में मरकज़ से मौलाना अमीन अहसन साहब इस्लाही, ग़ाज़ी अब्दुल जब्बार साहब; मौलाना सय्यद सिबग़तुल्लाह साहब और क़य्यिम जमाअत (महासचिव) शरीक हुए। इस इजतिमा में ज़िला सियालकोट, गूजराँवाला और जम्मू के लोगों को बुलाया गया था। फिर जनवरी के आख़िर में रुहेलखंड के इजतिमा में जो शाहजहानपुर में 27 जनवरी 1946 ई० को हुआ, मरकज़ से मौलाना अमीन अहसन साहब इस्लाही और क़य्यिम जमाअत शरीक हुए।

इसके अलावा मौलाना अहसन साहब ने कानपुर और बरेली का भी दौरा किया और अमीर जमआत अपने इलाज के लिए अकसर लाहौर जाते रहे और दो महीने दिल्ली में भी रहे और हर जगह बहुत-से लोगों तक आवाज़ पहुँचाने का काम किया गया।

इनके अलावा जो इजतिमा देश के विभिन्न हिस्सों में हुए, उनमें मरकज़ से कोई साहब शरीक नहीं हुए। ये इजतिमा हर हलक़े के अरकान अपने तौर पर करते रहे और हम चाहते भी यही हैं कि हर हलक़े के रफ़ीक़ ख़ुद अपने बल पर काम करने लगें, क्योंकि मरकज़ में स्टाफ़ इतना कम है कि वहाँ से किसी का बाहर निकलना मुशकिल है।

# मरकज़ी मक्तबा से लिट्रेचर का प्रकाशन

हमारा मरकज़ी मक्तबा जो दावत के साथ हमारे मालियात के शोबे (वित्तीय विभाग) के लिए भी रीढ़ की हड्डी का काम देता है, इस साल भी लगातार काग़ज़ की कमी की वजह से परेशानियों में रहा। पूरे साल में एक दिन भी ऐसा नहीं आया जबकि जमाअत की सारी क्या बल्कि ज़्यादातर किताबें भी एक साथ मक्तबे में मौजूद रही हों। काग़ज़ का कोटा पहले तो हमारी ज़रूरतों से बहुत ही कम है, इसके अलावा अगर परमिट हमें मिले भी तो बाज़ार से काग़ज़ नहीं मिलता। इसकी बड़ी वजह यह है कि जिन संसाधनों और तरीक़ों से दूसरे लोग बिला झिझक फ़ायदा उठा सकते हैं और जो असल में ऊपर से नीचे तक बिगड़े हुए समाज में काम लेने के तरीक़े तय पा गए हैं, हमारे लिए वे सारे के सारे लगभग बंद हैं। इन परेशानियों के बावजूद हमारे सिर्फ़ मरकज़ी मक्तबा से गत जून से मार्च 1946 ई० के आख़िर तक 55,000 के क़रीब छोटी-बड़ी किताबें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गईं, और उनकी कुल क़ीमत 39,000 (उनतालीस हज़ार) रुपये है। इसके अलावा हैदराबाद दक्षिण, दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर और लाहौर की मक़ामी जमाअतों ने भी कुछ लिट्रेचर प्रकाशित किया।

अब हैदराबाद में काग़ज़ के लिए कुछ और आसानियाँ मिलने की उम्मीद है और ख़याल है कि प्रकाशन के काम का एक बड़ा हिस्सा वहाँ पर मुस्तक़िल कर दिया जाए, वरना इससे पहले वहाँ यह काम तक़रीबन बंद कर दिया गया था।

अगर हमारा पूरा लिट्रेचर मक्तबे में मौजूद रहे तो अपने निकास की मौजूदा रफ़तार के हिसाब से कम से कम दोगुना निकल सकता है और इससे एक साथ दो फ़ायदे हासिल होते हैं कि हमारी आवाज़ भी लोगों तक पहुँचती है और बैतुलमाल की आमदनी में बढ़ोत्तरी होकर हमारे दूसरे काम जो सिर्फ़ पूँजी की वजह से रुके पड़े हैं, वे भी शुरू हो सकते हैं।

जमाअत इस्लामी के लिट्रेचर की जो किताबें इस वक़्त तक मरकज़ी मक्तबे से प्रकाशित हुई हैं उनकी कुल तादाद 1,14,600 है, और इनमें से इस वक़्त सिर्फ़ 7380 किताबें मक्तबे में मौजूद हैं। लिट्रेचर की इन 26 किताबों में से 15 इस वक़्त या तो किताबत के मरहले में हैं या प्रेस में जा चुकी हैं और कुछ की किताबत हुए भी कई महीने हो गए हैं, लेकिन काग़ज़ न होने की वजह से वे प्रकाशित नहीं हो सकीं।

# दूसरी ज़बानों में जमाअत के लिट्रेचर का प्रकाशन

मरकज़ में सिर्फ़ उर्दू और अंग्रेज़ी किताबों के प्रकाशन की व्यवस्था है, अंग्रेज़ी लिट्रेचर अब तक नाम मात्र ही रहा है। दावते इस्लामी का सारा दारोमदार इस वक़्त तक जमाअत के उर्दू लिट्रेचर ही पर है। उर्दू के अलावा दूसरी ज़बानों में इस साल निम्नलिखित काम हुआ—

## (1) अरबी

पिछले साल अरब देशों के लिए अरबी ज़बान में लिट्रेचर की तैयारी के लिए "दारुल अरुबह" को क़ायम करने का ज़िक्र किया गया था। चूँकि इस विभाग के इंचार्ज मौलाना मसऊद आलम साहब नदवी दमा के मरीज़ हैं इसलिए डाक्टरों की सलाह के अनुसार "दारुल अरुबह" के लिए जालंधर शहर की जगह का चुनाव हुआ। लेकिन जंग की परेशानियों की वजह से वहाँ मकान न मिल सका और 'दारुल अरुबह' जालंधर में एक दोस्त के मकान पर अस्थाई रूप में क़ायम कर दिया गया। दो-तीन महीने इस तरह गुज़रे, फिर जालंधर में मकान मिलने में जब मायूसी हो गई तो राहों, ज़िला जालंधर में इस इदारे को मुन्तक़िल कर दिया गया, लेकिन वहाँ की जलवायु (आब व हवा) भी मौलाना मसऊद आलम साहब के लिए बहुत नुक़सानदेह साबित हुई, इसलिए रमज़ान से कुछ दिन पहले वे छुट्टी लेकर बिहार चले गए। इस बीच मकान की तलाश बराबर जारी रही, लेकिन नाकाम रहे। इसलिए फिर फुलवर ज़िला जालंधर 'दारुल अरुबह' के क़याम के लिए तय किया गया और वहाँ मौलाना मसऊद आलम साहब रमज़ान के बाद आकर कुछ दिन ठहरे। इसी बीच में जालंधर में एक मकान मिल गया और फिर वह जालंधर आ गए और कुछ दिन बाद मौलाना जलील अहसन साहब नदवी भी 'दारुल अरुबह' में स्थाई रूप से तशरीफ़ ले आए। इस तरह साल का ज़्यादातर हिस्सा उपरोक्त परेशानियों और अव्यवस्था में बीत गया। अब एक मुशकिल और बाक़ी है और वह है 'दारुल अरुबह' के लिए एक ऐसे कारकुन साथी की जो इस इदारे की ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी कर सके, प्रेस के कामों की भी कुछ जानकारी रखता हो या कम से कम इनसे वाक़िफ़ होने और इस काम को चलाने की सलाहियत रखता हो। मौलाना मसऊद आलम

साहब और मौलाना जलील अहसन साहब, दोनों मरीज़ और मज़बूर हैं, और 'दारुल अरुबह' के बाहर के और इनतिज़ामी कामों के लिए हर हाल में एक चुस्त और उपरोक्त ख़ूबियों के आदमी की ज़रूरत है। जिन साहब को इस काम के लिए बुलाया गया था वे भी बीमार होकर वापिस चले गए और अब वापिस आ नहीं सकेंगे।

इन सारी परेशानियों के बावजूद अब तक 'दीने हक़', 'कुरआन की चार बुनियादी इस्तिलाहें' और 'इस्लामी हुकूमत किस तरह क़ायम होती है?' का अनुवाद पूरा हो चुका है और 'इस्लाम का नज़रिय-ए-सियासी' का अनुवाद हो रहा है। इनके प्रकाशन की व्यवस्था भी इनशाअल्लाह जल्द हो जाएगी।

इसके अलावा अरबी पत्रिका (रिसाले) के लिए भी जहाँ तक हमारी तैयारी का ताल्लुक़ है बिलकुल पूरी हो चुकी है। डेक्लरेशन (declaration) मिल जाए तो यह काम आज शुरू हो सकता है। पत्रिका का नाम 'अलहुदा' तय पाया गया है। डेक्लरेशन के काम को इन दिनों हमने जान-बूझकर स्थगित कर रखा है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार की लगाई गई पाबंदियों की वजह से अभी इजाज़त मिलने की उम्मीद नहीं।

### (2) तुर्की

तुर्की अनुवाद की रफ़तार इस साल पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी गई और अब हमारे तुर्की अनुवादक जनाब आज़म हाशमी, अपना पूरा वक़्त इसी काम को दे रहे हैं। इन दिनों वे 'तनक़ीहात' का अनुवाद कर रहे हैं और इसके साथ तुर्क मुहाजिरीन में इस दृष्टिकोण की तबलीग़ व प्रचार का काम भी उनके ज़िम्मे है और इस इजतिमा से पहले उन्होंने हिन्दुस्तान के एक बड़े हिस्से का दौरा इसी मक़सद से किया है।

### (3) अंग्रेज़ी

इससे पहले 'रिसाला दीनयात', 'इस्लाम का नज़रिय-ए-सियासी' और 'इस्लामी हुकूमत' और 'क्या हिन्दुस्तान की नजात नेशनलिज़्म में है?' का अंग्रेज़ी में अनुवाद होकर प्रकाशित हो चुका है। अब 'नज़रिय-ए-सियासी' और 'इस्लामी हुकूमत' का अनुवाद नए सिरे से कराया गया है और इनके अलावा 'इनसान का मआशी मसला और उसका इस्लामी हल', 'इस्लाम का अख़लाक़ी नुक़त-ए-नज़र', 'सलामती का रास्ता' और 'जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह' का अनुवाद भी पूरा हो चुका है और इन दिनों अमीरे जमाअत इन सबको देख रहे हैं। अब

इन सबको छोटी-छोटी किताबों में प्रकाशित करने के बजाए एक संग्रह के रूप में, विचार है कि, प्रकाशित किया जाए, ताकि इस्लाम इन समस्याओं का जिस तरह समाधान करता है, वह सब एक साथ पढ़नेवालों के सामने आ जाएँ और उसके दिमाग़ में इस्लाम के तैयार किए हुए लोग और समाज का एक व्यापक नक़्शा आ जाए।

अनुवाद का यह काम तो हिन्दुस्तान में हुआ है और इस वक़्त भी हो रहा है। इसके अलावा लंदन से दो हज़रात ने हमारे लिट्रेचर का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके वहाँ प्रकाशित करने के लिए अपनी ख़िदमत पेश की है और उनका सुझाव यह है कि वहाँ सबसे पहले 'परदा' का अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित करना ज़्यादा अच्छा होगा। अतः उन्हें इस किताब के एक अध्याय का अनुवाद नमूने के तौर पर भेजने के लिए लिखा गया है और इन्हीं दिनों उनकी तरफ़ से यह ख़बर आई है कि वे बहुत जल्दी नमूना भेज देंगे।

मानचिस्टर से भी एक साहब ने यह सुझाव दिया है कि इंग्लिस्तान में हमारे अंग्रेज़ी लिट्रेचर के प्रकाशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमने उन्हें भी वहाँ इसकी व्यवस्था करने की इजाज़त दे दी है। यह साहब हैदराबाद दक्षिण के हैं और हमारे रुक्ने जमाअत हैं।

### (4) सिंधी

हैदराबाद, सिंध में हमारा सिंधी प्रकाशन बाक़ायदा क़ायम हो चुका है और उसके ख़र्चों का सारा भार भी सिंध राज्य के अरकान और हमदर्दों ने ख़ुद ही उठाया है। 'रिसाला दीनयात', 'ख़ुतबात', 'इस्लामी इबादात और क़ुरआन की चार बुनियादी इस्तिलाहें' का अनुवाद हो रहा है। 'रिसाला दीनयात' का अनुवाद साथ ही साथ एक जमाअत के हमदर्द की पत्रिका में प्रकाशित हो रहा है। 'ख़ुतबात' के पहले दस ख़ुतबे अब तक तीन छोटे-छोटे किताबचों की सूरत में प्रकाशित हो चुके हैं और 'मुसलमान का बुनियादी अक़ीदा' और 'कलिम-ए-तय्यबा के मानी' भी एक साथ एक किताबचे की सूरत में प्रकाशित किया जा चुका है और यह इतना पसंद किया गया कि अब इसके ब्लाक बनवाए जा रहे हैं। सिंधी प्रकाशन का काम अब तक बहुत आगे बढ़ गया होता, लेकिन एक तो चुनाव की वजह से प्रेस बहुत व्यस्त रहे और छपाई का काम ज़रूरत के मुताबिक़ न हो सका और दूसरे जो रुक्न जमाअत, जो इस काम के ज़िम्मेदार हैं, वे बीमार रहे। अब वे इस कोशिश में हैं कि मौजूदा सर्विस से बिलकुल अलग होकर इस काम को सँभालें।

सिंधी भाषा में एक मासिक पत्रिका के शुरू करने की कोशिश जारी है। पत्रिका के लिए स्टाफ़ हमारे पास मौजूद है, सिर्फ़ डेक्लरेशन और काग़ज़ के कोटे की ज़रूरत है। इसके लिए भी सिंध के अरकान भाग-दौड़ कर रहे हैं। दरख़्वास्त दी जा चुकी है और उम्मीद है कि इनशाअल्लाह वे लोग इस कोशिश में कामयाब भी हो जाएँगे।

## (5) गुजराती

बम्बई (मुम्बई) की जमाअत की निगरानी में हमारा गुजराती प्रकाशन पूरे तौर से स्थापित हो चुका है, लेकिन कुछ तो मुम्बई के दंगों और चुनावी हँगामों की वजह से और कुछ अरकान की अपनी सुस्ती की वजह से भी, यह काम जिस तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए था और बढ़ सकता था, उस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा। इस समय तक ख़ुतबात में से पहले नौ ख़ुतबे (भाषण) किताबी सूरत में प्रकाशित हो चुके हैं। मौजूदा हालात के लिहाज़ से छपाई वग़ैरह बहुत अच्छी है। 'सलामती का रास्ता', 'ख़ुतबा तक़सीम असनाद', 'नया निज़ामे तालीम', 'एक अहम इसतिफ़ता', 'रिसाला दीनयात' और 'मआशी मसला' का अनुवाद पूरा हो चुका है। 'नया निज़ामे तालीम' और 'अहम इसतिफ़ता' के अलावा सबके सब 'मुसलिम गुजरात' पत्रिका में प्रकाशित हो चुके हैं।

'रिसाला दीनयात', 'मुसलिम गुजरात' के अलावा 'गुजरात गज़ट' में भी प्रकाशित हो चुका है और इसके सम्पादक साहब ने ख़बर दी थी कि इसके अलावा कुछ दूसरे लेख भी अपनी पत्रिका में प्रकाशित कर चुके हैं।

## (6) मलयालम

हमारा मलयालम भाषा का प्रकाशन केन्द्र 'इस्लामिक पब्लिशिंग हाऊस' के नाम से अरम बेलियम वाया ट्रयूर, दक्षिणी मालाबार में क़ायम हो चुका है और उसके तहत इस समय 'रिसाला दीनयात' और 'सलामती का रास्ता' पूरे तौर से किताबी सूरत में प्रकाशित हो चुके हैं और 'ख़ुतबात' का अनुवाद इनशाअल्लाह इस इजतिमा के बाद जल्द ही प्रकाशित हो जाएगा। हाजी मुहम्मद अली साहब जो इस काम के ज़िम्मेदार हैं और पूरे मालाबार में अभी तक एक ही रुक्न जमाअत हैं, बहुत मेहनत और लगन से इस काम को कर रहे हैं। मलयालम भाषा में अभी उपरोक्त दो किताबों के अलावा हमारा कोई लिट्रेचर न होने की वजह से मालाबार में तहरीक (आन्दोलन) की रफ़्तार सुस्त तो ज़रूर है, लेकिन हमारे हाजी साहब माशाअल्लाह बहुत मज़बूत बुनियादों पर काम को क़ायम कर रहे हैं।

## (7) तमिल

मौलवी शेख़ अब्दुल्लाह साहब जिनको इस भाषा के सीखने पर लगाया गया था, उन्होंने इस काम को बड़े ही जी-जान से किया। कुछ महीने वे तमिल के इलाक़ों के केन्द्र में भी जाकर रहे। कोयम्बटूर को इस इलाक़े में वही स्थान प्राप्त है जो उर्दू के लिए लखनऊ और दिल्ली को। शेख़ साहब ने इस भाषा पर एक सीमा तक महारत हासिल कर ली है और कुछ अनुवाद का काम भी शुरू कर दिया है। 'मुसलमान का बुनियादी अक़ीदा' प्रकाशनाधीन है, लेकिन अभी पूरे तौर से तमिल प्रकाशन-केन्द्र की व्यवस्था नहीं हुई है।

हमें दुःख है कि मद्रास स्टेट के दूसरे अरकान और शेख़ अब्दुल्लाह साहब के बीच कुछ ग़लतफ़हमियाँ पैदा हो गईं और यह काम जिस अच्छे ढंग और आपसी विश्वास के साथ होना चाहिए था न हो सका। लेकिन यह ग़लतफ़हमियाँ किसी नफ़सानियत या ख़ुदगरज़ी की बिना पर नहीं, बल्कि ख़ालिस तौर पर जमाअत और दीन से गहरे लगाव का ही नतीजा थीं कि अरकान एक-दूसरे की परेशानियों को नज़रअंदाज़ करके आपस में एक-दूसरे से अधिक उम्मीदें बाँधते गए। क्योंकि हमारे अरकान इस माहौल में तरह-तरह की परेशानियों में फँसे हैं और अभी हममें बहुत-सी कमज़ोरियाँ भी बाक़ी हैं। इसलिए आपस में एक-दूसरे की मुशकिलों का ख़याल रखना चाहिए। जिस व्यक्ति पर विश्वास करके कुछ काम सौंपा गया हो, उसे कुछ अपनी समझ-बूझ और बुद्धि और विवेक से भी काम करने का मौक़ा देना चाहिए। ज़ाहिर है कि उसका हर काम हर दूसरे व्यक्ति की मरज़ी के अनुसार नहीं हो सकता। इसके साथ ही उस व्यक्ति का भी यह फ़र्ज़ है कि जहाँ तक मुमकिन हो, बिला वजह कोई शिकायत न पैदा होने दे। पूरे तौर पर ख़ुदा से डरते हुए लगन से इस काम को करे और अगर उसे मालूम हो कि उसके ख़िलाफ़ कोई शिकायत पैदा हो रही है या पैदा होने का अन्देशा है तो तुरन्त उसको दूर करने की कोशिश करे और उस रास्ते को भी बंद कर दे जिससे इसके पैदा होने का अन्देशा हो। नबी (सल्ल०) का तरीक़ा हमारे सामने है। हर विषय में उन्हीं के नमूने पर हमें चलना है। आप हज़रात को मालूम होगा कि हुज़ूर (सल्ल०) एक बार हज़रत आइशा (रज़ि०) के साथ रात को कहीं जा रहे थे। सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई पड़े। हुज़ूर (सल्ल०) रुक गए और उनको पुकारकर फ़रमाया—"मैं मुहम्मद हूँ और ये मेरी बीवी आइशा (रज़ि०) हैं।" उन्होंने अर्ज़ किया, "हुज़ूर (सल्ल०)! आपको इसके बताने की क्या ज़रूरत

थी ?" आप (सल्ल०) ने फ़रमाया कि "कहीं शैतान आप लोगों को किसी फ़ितने में न डाल दे।" ऐसे मामलों में इसी तरीक़े पर हमें अमल करना है और फ़ितने का हर छोटा-बड़ा दरवाज़ा बिलकुल बंद करते चले जाना है।

मौलवी शेख़ अब्दुल्लाह साहब के अलावा एक और रुक्न जमाअत भी तमिल भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं और एक हमदर्द जमाअत जो इन दिनों नदवा में पढ़ रहे हैं, तमिल के अच्छे साहित्यकार हैं और कुछ छोटी-छोटी किताबों का अनुवाद कर रहे हैं। विचार है कि अगर मुमकिन हो तो उन सबको तमिल प्रकाशना-केन्द्र में जमा कर दिया जाए।

### (8) कन्नड़

कन्नड़ कर्नाटक की क्षेत्रीय साहित्यिक भाषा है। इस इलाक़े में अभी तक एक भी रुक्न जमाअत नहीं, लेकिन मंगलौर शहर में हमदर्दों का हलक़ा है जो अरकान जैसी ही लगन से काम कर रहा है। उन्होंने कन्नड़ भाषा के प्रकाशन-केन्द्र की स्थापना की इजाज़त माँगी है और उन्होंने लिखा है कि यह सारा काम जमाअत इस्लामी ही का होगा और उसी की हिदायत और निगरानी में वे सारा काम करेंगे और वहाँ मक़ामी जमाअत क़ायम हो जाने पर यह सारा काम उसके हवाले कर देंगे। इन लोगों ने अमीर जमाअत की रेडियो पर की हुई तक़रीरों के अलावा 'सलामती का रास्ता', 'दीने हक़', 'नुबूवते मुहम्मदी (सल्ल०) का अक़ली सुबूत' और 'इस्लाम का अख़लाक़ी नुक़्त-ए-नज़र' आदि पुस्तिकाओं का अनुवाद भी कर लिया है और वे इस लिट्रेचर को HUMANITY LITERATURE SERIES यानी "मानवता संबंधी साहित्य सीरीज़" के नाम से प्रकाशित करना चाहते हैं। उनको कन्नड़ प्रकाशन-केन्द्र की स्थापना की इजाज़त दे दी गई है।

### (9) बंगला

बंगला प्रकाशन-केन्द्र की स्थापना का काम बिहार राज्य के अरकान और हमदर्दों के ज़िम्मे किया गया है। इस प्रकाशन-केन्द्र की नींव रख दी गई है। बिहार राज्य के क़य्यिम (महासचिव) इस काम के लिए स्थाई रूप से दरभंगा से पटना आ गए हैं और गोला रोड़ बाँकीपुर पटना में मकान ले लिया गया है। अरकान और हमदर्दों ने इस मद में कुछ रक़म भी जमा की है।

इस समय तक 'ख़ुतबात', 'सलामती का रास्ता' और 'इस्लामी हुकूमत किस तरह क़ायम होती है ?' के अनुवाद पूरे हो चुके हैं और 'रिसाला दीनयात' का

अनुवाद भी इनशाअल्लाह बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। अनुवाद का काम जमाअत के हमदर्द कर रहे हैं। चूँकि अपनी सर्विस और आर्थिक भाग-दौड़ से उन्हें इस काम के लिए वक़्त बहुत कम मिलता है इसलिए अनुवाद की रफ़तार कुछ सुस्त है। जिन किताबों का अनुवाद हो चुका है, वे अब तक छप जातीं लेकिन चुनाव की व्यस्तताओं की वजह से कोई प्रेस अभी हमारे काम के लिए वक़्त नहीं निकाल सका। अब इजतिमा के बाद इनशाअल्लाह ये प्रकाशित हो जाएँगी।

### (10) पश्तु

पश्तु भाषा में अनुवाद और प्रकाशन का काम सरहद के अरकान ने अपने ज़िम्मे ले लिया है। इससे पहले विचार था कि सरहद में उर्दू ज़बान ही से काम लिया जाए क्योंकि यही वहाँ की तालीमी ज़बान है और सब पढ़े-लिखे लोग इसे जानते और पढ़ते हैं, लेकिन अब वहाँ पश्तु के लिए बढ़ती हुई असबियत (पक्षपात) की वजह से पश्तु में लिट्रेचर अनुवादित करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इस ज़बान में अब तक सिर्फ़ 'एक ख़ुतबा' और 'बुनियादी अक़ीदा' प्रकाशित हुआ है 'रिसाला दीनयात' का अनुवाद अब एक हमदर्द ने शुरू कर दिया है।

### (11) हिन्दी

हिन्दी भाषा में लिट्रेचर के अनुवाद का काम पिछले साल इलाहाबाद की जमाअत ने अपने ज़िम्मे लिया था, लेकिन वह इसकी व्यवस्था नहीं कर सकी। कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिल सका जो उर्दू, हिन्दी दोनों भाषाओं की महारत भी रखता हो और हमारी विचारधारा से सहमत भी हो। इसलिए अभी तक यह काम बिलकुल बंद है।

अतः अब तक उर्दू के अलावा सिर्फ़ दस दूसरी भाषाओं में हमारे काम की शुरुआत हो सकी है। ज़रूरत है कि अरकान बाक़ी भाषाओं में काम की शुरुआत के लिए संसाधन पैदा करने की कोशिश करें और जो काम शुरू हो चुके हैं उनको और ज़्यादा मज़बूत तथा और ज़्यादा व्यापक करने की फ़िक्र करें।

# प्रदेशों के क़य्यिमों (सचिवों) की नियुक्ति

## बिहार

पिछले सालाना इजतिमा से पहले सय्यद मुहम्मद हसनैन जामई को बिहार के लिए सचिव नियुक्त किया जा चुका था और वे इस काम को मेहनत और दिल व जान से करते रहे हैं। इस साल वे अपने राज्य के लगभग सब बड़े-बड़े स्थानों का दौरा करके पढ़े-लिखे वर्ग तक अपने विचार पहुँचा चुके हैं और हालाँकि साल-भर में अरकान की तादाद में तो कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई, लेकिन हमदर्दों का वर्ग बहुत विस्तृत हो गया है और संजीदा लोगों की काफ़ी तादाद जमाअत के क़रीब आ गई है जिनका अधिकतर भाग इस इजतिमा में भी शरीक है। हसनैन साहब अब बंगला प्रकाशन के सिलसिले में और जमाअत के कामों को सुचारू रूप से चलाने के मक़सद से दरभंगा से स्थाई रूप से पटना में मुन्तक़िल हो गए हैं और बंगला प्रकाशन और जमाअत की तंज़ीम (संगठन) दोनों का काम कर रहे हैं। राज्य में जो काम हुआ है उसकी विस्तृत रिपोर्ट वे ख़ुद पेश करेंगे।

## सरहद

सरहद में पिछले इजतिमा से पहले सिर्फ़ दो रुक्न थे। इस इजतिमा पर पाँच आदमी और जमाअत में शरीक हुए और उनमें से ख़ान सरदार अली ख़ाँ साहब, ग्राम सेरे, डाकघर तख़्त भाई, ज़िला मरदान, को वहाँ की मक़ामी जमाअत का अमीर (अध्यक्ष) और सूबा सरहद का क़य्यिम जमाअत (सचिव) नियुक्त किया गया। दूसरे राज्यों के मुक़ाबले में सूबा सरहद में हमारे काम की राहें बहुत ज़्यादा कठिन हैं। लगभग पूरा राज्य वतनपरस्त है, उसे ही इस्लाम का हक़ीक़ी तक़ाज़ा समझता है और वह कथित मुल्लाओं के शिकंजे में है। जिनके असर का नतीजा यह है कि पूरे इस्लाम को निगल जाने में कोई हरज नहीं, लेकिन जिन बिदअतों को उन्होंने ख़ुद इस्लाम समझ रखा है, उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ वे सुनने के लिए तैयार नहीं और क़दम-क़दम पर कोई फ़ितना खड़ा हो जाने का डर रहता है, इसलिए वहीं काम करने के लिए बहुत सूझ-बूझ और अक़्लमंदी की ज़रूरत है। इसी लिए काम की रफ़्तार सुस्त है, लेकिन ख़ुदा का शुक्र है कि हमें ठीक तरह के कार्यकर्ता मिल गए हैं। अब दीन का इल्म रखनेवाले एक-दो

हज़रात उनके साथ आ जाएँ तो यह काम इनशाअल्लाह काफ़ी तेज़ी से फैल जाएगा और आपको यह सुनकर ख़ुशी होगी कि इस वर्ग के भी कुछ लोग अब इस तरफ़ रुख़ कर रहे हैं और हमारे प्रादेशीय सचिव बड़ी समझदारी से काम ले रहे हैं।

## उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के लिए क़य्यिम जमाअत (सचिव) की नियुक्ति का मसला पिछले इजतिमा के मौक़े पर पेश हुआ था और यह फ़ैसला भी हो गया था कि इस प्रदेश के लिए भी एक प्रान्तीय सचिव नियुक्त किया जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश के अरकान और मक़ामी जमाअतों ने मौलवी ज़ियाउन्नबी साहब, मदरसा अशरफ़ुल उलूम, कुली बाज़ार कानपुर को चुना था, लेकिन बाद में कुछ मजबूरियों की बिना पर नियुक्ति स्थगित कर दी गई। मौलवी ज़ियाउन्नबी साहब ने भी कुछ ऐसे कारण लिखकर अमीर जमाअत को भेजे जिनकी बिना पर उनकी यह राय बनी कि किसी मुनासिब व्यक्ति के मिलने तक इस मामले को स्थगित रखा जाए।

## दक्षिणी भारत

दक्षिणी भारत की जमाअतों और अरकान ने अपने इलाक़े के लिए मौलाना सय्यद सिब्ग़तुल्लाह साहब बख़्तियारी को प्रान्त का क़य्यिम (सचिव) चुना और उनके सुझाव के अनुसार मौलाना सय्यद सिब्ग़तुल्लाह को कुछ समय मरकज़ में रहकर जमाअत की तंज़ीम का काम करने के लिए बुलाया गया। वे 28 अक्टूबर 1945 ई० को मरकज़ में तशरीफ़ ले आए और अब तक वहीं रह रहे हैं और तंज़ीम के शोबे (प्रशासनिक विभाग) में काम करते रहे हैं। अब दक्षिणी भारत लौटने से पहले उनके ज़िम्मे यह काम किया गया है कि उत्तरी भारत के अरबी मदरसों और दूसरे दीनी इदारों में जाएँ और उनके उस्तादों, कार्यकर्ताओं और उलमा को टटोलें और खटखटाएँ और उनको बताएँ कि हम यह काम लेकर उठे हैं, अगर इसमें कोई ग़लती है तो उसकी तरफ़ इशारा करें और अगर सही और ऐन हक़ है तो इसका साथ दें या कम से कम इससे हमदर्दी करें। और इसके लिए कलिमा-ख़ैर कहें।

इस काम को पूरा करने के बाद मौलाना सय्यद सिब्ग़तुल्लाह साहब दक्षिणी भारत में जाकर क़य्यिम (महासचिव) जमाअत की ज़िम्मेदारियों को सँभाल लेंगे। इस दौरे के लिए शायद एक और आलिमे दीन को भी उनके साथ भेजा जाएगा।

# हमारी दर्सगाह और तरबियतगाह

दर्सगाह की स्थापना की राह में जिन परेशानियों का ज़िक्र मैंने पिछले साल किया था उनमें से कोई एक भी दूर नहीं हुई, न कोई तामीर के काम को जाननेवाला आदमी मिला है जो इस काम को हाथ में लेकर तामीरी प्लान को आगे बढ़ा सके, न तामीरी सामान और मसाले हासिल करने के लिए कोई आसानी पैदा हुई है और न हमारे पास पैसा ही इतना आया है कि हम इन सब परेशानियों को पैसे के बल से दूर कर सकें। लगातार आठ-नौ माह की भाग-दौड़ और बहुत अधिक ख़र्च से हम सिर्फ़ दो क्वाटर बना सके हैं जिनकी हमारे मौजूदा स्टाफ़ के लिए बहुत ज़रूरत थी। इसलिए दर्सगाह के बारे में तो इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह कब तक वास्तव में शुरू की जा सकेगी। यह अरकान और हमदर्दों की अपनी हिम्मत व क़ुरबानी, हालात की साज़गारी और अल्लाह तआला की मदद पर निर्भर है। मुमकिन है कि अगले साल ही यह सब कुछ हो जाए या कई साल इसी तरह बीत जाएँ।

हाँ, तरबियतगाह (प्रशिक्षण केन्द्र) का प्रबन्ध लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ़ दो कमरों की छत और फ़र्श बाक़ी हैं और ये भी इनशाअल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए लकड़ी और फूँस सब हमारे पास मौजूद है। लेकिन तरबियतगाह की बाक़ायदा शुरुआत अमीरे जमाअत की सेहतयाबी के बाद ही मुमकिन होगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला उन्हें ख़ैर व आफ़ियत से इस मरहले से गुज़ारे!

तरबियत के लिए अरकान जमाअत में से पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस आदमियों का ग्रुप एक तयशुदा मुद्दत के लिए जो इस वक़्त शायद संभवतः एक माह से ज़्यादा नहीं होगी, मरकज़ बुलाए जाएँगे और कोशिश की जाएगी कि जमाअत के नस्बुल ऐन (लक्ष्य) और कार्य-शैली के बारे में, अगर कुछ कमज़ोरियाँ उनमें मौजूद हों तो उनको दूर किया जाए, अपने विचारों को समाज के विभिन्न वर्गों में फैलाने और उनको उनसे प्रभावित करने के तरीक़े उनको समझाए जाएँ। लिट्रेचर के ख़ास-ख़ास और अहम हिस्सों का एक क्रम से उन्हें अध्ययन करा दिया जाए। अनुशासित और सुसंगठित ज़िन्दगी बसर करने का कुछ तजुर्बा करा दिया जाए। मरकज़ के लोगों से ज़्यादा क़रीब होने और आपसी मेल-जोल के अवसर पैदा किए जाएँ और विभिन्न अरकान की क़ाबिलियत और सलाहियतों का

ठीक-ठीक अन्दाज़ा करने की कोशिश की जाए ताकि जमाअत की आगे की योजनाओं के लिए कार्यकर्ता चुने जा सकें।

इस काम के लिए इनशाअल्लाह किसी और स्टाफ़ की ज़रूरत नहीं होगी, मरकज़ में जो लोग पहले से मौजूद हैं उन्हीं से यह काम चलाया जा सकेगा। इससे मरकज़ी स्टाफ़ पर काम का बोझ ज़रूर पड़ेगा, लेकिन बाहर से आनेवाले साथियों की मदद से उसे दूसरे तरीक़ों से हलका करने की कोशिश की जाएगी कि वे विभिन्न कामों में हमारा हाथ बटाएँ। इससे दोहरा फ़ायदा होगा कि तरबियतगाह का काम मौजूदा स्टाफ़ में बढ़ोत्तरी के बिना चल सकेगा और जमाअत के अरकान को मरकज़ के कामों से वाक़िफ़ होने का मौक़ा मिलेगा।

---

1. दस्तगरदाँ वह रक़में हैं जो कार्यकर्ताओं को जमाअत की ज़रूरतों के लिए समय-समय पर पेशगी दी जाती रहीं और बाद में हिसाब लेकर उनकी वापसी लिख दी गई। लिहाज़ा आमदनी और ख़र्च में दस्तगरदाँ के नाम से जो रक़म लिखी है, उनकी हैसियत केवल हिसाब रखने की है। पिछले साल की असल आमदनी 81,989 रु० 3 आना 7 पाई और असल ख़र्च 60283 रु० 0 आना 0 पाई और असल बाक़ी रक़म 28587 रु० 15 आना 7 पाई है जिसमें से 5,778 रु० अभी कार्यकर्ताओं के पास पेशगी, जिनका हिसाब आना बाक़ी है और 22,809 रु० 15 आना 7 पाई नक़द मौजूद हैं।

# मरकज़ी बैतुलमाल (केन्द्रीय कोष) और उसका हिसाब

मरकज़ी बैतुलमाल के हिसाबात पेश करने से पहले मक़ामी बैतुलमालों में विभिन्न प्रकार की जो आमदनियाँ होती हैं, उनके ख़र्च के बारे में कुछ बातें बता देना ज़रूरी है।

बैतुलमाल में आम तौर पर तीन क़िस्म की रक़में आती हैं—उश्र, ज़कात, और तीसरी वह रक़में जो अरकान और हमदर्द हज़रात दावते इस्लामी की इआनत (सहयोग) के लिए 'फ़ी सबीलिल्लाह' देते हैं। उनमें उश्र और ज़कात की रक़म अलग रखनी चाहिए और इआनत की रक़म अलग। इआनत की रक़में जमाअत से संबंधित सारे कामों में ज़रूरत के अनुसार ख़र्च की जा सकती हैं, लेकिन उश्र और ज़कात की रक़म सिर्फ़ उन्हीं मदों में ख़र्च की जा सकती हैं जो उसके लिए कुरआन मजीद में बताए गए हैं। जमाअत के ऐसे कार्यकर्ता जो अपना सारा वक़्त दावते इस्लामी के काम में लगाते हैं, उनके ख़र्चों को ज़कात की मदद से पूरा किया जा सकता है। जो कार्यकर्ता जमाअत की दावत के काम में सफ़र करें और अपनी सफ़र के ख़र्चों को ख़ुद न अदा कर सकते हों, उनकी मदद भी ज़कात से की जा सकती है, जो ग़रीब आदमी हमारा लिट्रेचर पढ़ना चाहते हों और ख़ुद न ख़रीद सकते हों, उनको ज़कात की मदद से लिट्रेचर ख़रीदकर दिया जा सकता है, लेकिन लाइब्रेरियों के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ से हक़दार और ग़ैर हक़दार सब फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा ज़कात और उश्र की रक़में मुसाफ़िरों के खाने, यतीमों की परवरिश, विधवाओं की मदद, बेसहारा और बेरोज़गारों और क़र्ज़दारों की मदद आदि पर ख़र्च की जा सकती हैं। मक़सद यह कि मक़ामी अमीर या बैतुलमाल का ज़िम्मेदार ग़रीबों और दूसरे ज़कात के हक़दारों की ज़रूरतों को पूरा करने और उनको मदद देने और उनको उठाने (UPLIFT) के लिए तमाम मुनासिब सूरतें अपनी सूझ-बूझ के मुताबिक़ अपना सकता है।

जमाअत के मरकज़ी बैतुलमाल की पिछले साल की आमद व ख़र्च का हिसाब निम्नलिखित है—

## तफ़सील आमदनी बैतुलमाल जमाअत इस्लामी

दिनांक 17 अप्रैल, 1945 ई० से 31 मार्च, 1946 ई०

| क्रमांक | विवरण | रु०—आना—पाई |
|---|---|---|
| 1. | मक्तबा (किताबों की बिक्री) | 38298–09–0 |
| 2. | ज़कात | 14949–15–0 |
| 3. | इआनत : आम | 19265–12–0 |
| 4. | इआनत बमद शिक्षा विभाग | 310 –0–0 |
| 5. | इआनत बमद तामीरात | 5205 –0–0 |
| 6. | इआनत बमद बंगाली तरजुमा | 160 –0–0 |
| 7. | इआनत बमद ख़र्च क़य्यिम उ०प्र० | 37 –0–0 |
| 8. | अमानत | 164– 6–0 |
| 9. | क़र्ज़ (वसूली) | 3421– 3–9 |
| 10. | दस्तगरदाँ (एडवांस) वसूली | 16920–10–7 |
| 11. | ग़ल्ले की बिक्री | 22–14–0 |
| 12. | लुक़ता | 5– 2–6 |
| 13. | विविध | 149– 5–4 |
| | योग | 98909–14–2 |
| | ज़कात—3544–5–5<br>दीगर मदें—1337–6–7 | 4818–12–0 |
| | कुल योग | 103791–10–2 |

## तफ़सील ख़र्च बैतुलमाल जमाअत इस्लामी

दिनांक 17 अप्रैल, 1945 ई० से 31 मार्च, 1946 ई०

| क्रमांक | विवरण | रु०—आना—पाई |
|---|---|---|
| (1) | मक्तबा (किताबत) प्रिंटिंग आदि ख़र्च | 26024–11–3 |
| (2) | इआनत (ज़कात की मद से) | 887– 1–6 |
| (3) | इआनत बमद इआनत | 79–11–0 |
| (4) | शिक्षा विभाग | 31–12–0 |
| (5) | तामीर | 12516–10–3 |
| (6) | मुआवज़ा | 6187–9–6 |
| (7) | मेहमान ख़ाने के ख़र्चे | 510–2–6 |
| (8) | अप्रैल 1945 में सालाना इजतिमा (दारुल इस्लाम में आयोजित) के ख़र्च | 2376– 0–3 |
| (9) | दारुल उरुबा (अरबी विभाग) | 2180– 0–0 |
| (10) | मलयालम प्रकाशन | 1055– 5–0 |
| (11) | ग़ल्ले की ख़रीद | 263–10–0 |
| (12) | स्टेशनरी | 184–15–6 |
| (13) | सफ़र ख़र्च | 468–8–0 |
| (14) | फ़र्नीचर | 9–12–0 |
| (15) | बुक डिपो | 110–8–0 |
| (16) | दवाख़ाना | 20–7–6 |
| (17) | तुर्की अनुवाद | 414–0–0 |
| (18) | बिहार के क़य्यिम के ख़र्चे | 587–4–0 |
| (19) | डाक ख़र्च | 334–11–9 |
| (20) | अमानत अदाएगी | 25–0–0 |
| (21) | क़र्ज़ | 5900–2–6 |

(22) दस्तगरदाँ (पेशगी)[1] 20698 – 10 – 7

(23) विविध 115 रु० 1 आना 6 पाई

कुल योग 80981 रु० 10 आना 7 पाई

योग कुल आमदनी 17 अप्रैल, 1945 से 31 मार्च, 1946 ई०

103791 रु० 10 आना 2 पाई

योग कुल ख़र्च 17 अप्रैल, 1945 से 31 मार्च, 1946 ई०

80981 रु० 10 आना 7 पाई

बाक़ी मौजूद रक़म 22809 रु० 15 आना 7 पाई

# हमारी मुशकिलें

जमाअत के अरकान की कमज़ोरियों में एक हद तक कमी हो जाने के अलावा हमारी बाक़ी मुशकिलें लगभग ज्यों की त्यों मौजूद हैं। न ज़रूरत के मुताबिक़ अभी तक कारकुन (कार्यकर्ता) मिल सके हैं, न जंग की वजह से पैदा हुई मुशकिलों ही में कोई कमी हुई है और न ही हमारे संसाधनों में इतनी बढ़ोत्तरी हुई है कि इस महँगाई के बावजूद हम अपनी योजना के अनुसार काम को आगे बढ़ा ले जाएँ। इसके विपरीत अमीर जमाअत की सेहत की ख़राबी और लगातार बीमारी और तकलीफ़ ने बहुत-से कामों को बिलकुल रोके रखा और बाक़ी कामों को उस रफ़तार से आगे न बढ़ने दिया जिससे वह मौजूदा साधनों के साथ भी आगे बढ़ाए जा सकते थे। अमीर जमाअत के बाएँ गुर्दे में पथरी है। इलाज के सिलसिले में साल का एक बड़ा हिस्सा उन्हें लाहौर और दिल्ली में गुज़ारना पड़ा। फिर बार-बार डॉक्टरी मशविरे के लिए बाहर जाते रहे, चार माह लगातार काम बंद रखा और इसके बाद भी बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा। अब फ़ैसला किया है कि इस इजतिमा के बाद गुर्दे का आपरेशन करा दें। अल्लाह तआला उन्हें देर तक अपने दीन की ख़िदमत और हमारी रहनुमाई के लिए ज़िन्दा सलामत रखे।

अमीर जमाअत के बाद मौलाना अमीन अहसन साहब भी लगभग पूरे साल बीमार ही रहे। उनको बार-बार दौरानेसर के दौरे पड़ते रहे और अब तक लगभग वही हाल है और वे जमकर कोई काम नहीं कर सके।

मर्कज़ में काम की अधिकता को देखकर और आगे दर्सगाह और दूसरे नए कामों की शुरुआत के लिए दिल्ली की जमाअत से तीन रुफ़क़ा स्थाई रूप से दारुल इस्लाम आ गए; लेकिन उनमें से एक घरेलू परेशानियों की वजह से ज़्यादा दिन न रुक सके और ग़ाज़ी अब्दुल जब्बार साहब, बजाए इसके कि वे दरसगाह के सिलसिले में कोई क़दम उठाते, अमीर जमाअत की बीमारी की वजह से इनतिज़ामी (प्रबंध) कामों और बैतुलमाल के हिसाब-किताब और काग़ज़ और प्रेस के कामों की भाग-दौड़ से ही फ़ुरसत न पा सके। तामीर के काम के लिए जिन साहब को ख़ास तौर पर ख़ाली (SPARE) किया गया था, वे अपने ख़ानदान में एक के बाद एक परेशानियों की वजह से लगभग लगातार ग़ैर हाज़िर रहे और यह काम भी ग़ाज़ी साहब ही के ज़िम्मे करना पड़ा।

तामीर के सिलसिले में सिर्फ़ दो क्वाटरों का काम तजुर्बे के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन यह काम करने से मालूम हुआ कि जब तक हमारे पास इस काम को अच्छी तरह जाननेवाला (अनुभवी) आदमी न हो और हम अपने भट्टे का इनतिज़ाम न कर लें, इस काम को करना हमारे लिए बिलकुल नामुमकिन है। पिछले पूरे साल में मुशकिल से और वह भी एक बड़ी रक़म ख़र्च करने के बाद, हम सिर्फ़ दो क्वाटर, तरबियतगाह के लिए किचन, डाइनिंग रूम और लाइब्रेरी बनाने की व्यवस्था कर सके हैं और इस सिलसिले के कुछ क्वाटर मनसूबे के तहत हैं, जिनके लिए कच्ची ईंटें बनवाई गई हैं और छत फूँस की डाली जाएगी।

# मुनफ़रिद (अकेले) अरकान की मुशकिलें

अरकान की मुशकिलों में भी कोई कमी नहीं हुई और न उनमें किसी कमी की उस वक़्त तक कोई उम्मीद करनी चाहिए जब तक कि अपने माहौल और समाज को बदलकर हम अपने तरीक़े पर नहीं ले आते। दरिया में रहते हुए उसके बहाव के ख़िलाफ़ चलने से टकराव का होना फ़ितरी बात है। जब आप पूरे समाज के रुझान, कामों के तौर-तरीक़ों और चलन के ख़िलाफ़ चलेंगे तो हर-हर क़दम पर टक्कर होगी और हक़ीक़त यह है कि ग़लत उसूलों पर स्थापित जीवन-व्यवस्था से हमें अगर मुशकिलें पेश न आईं, तो ताज्जुब करना चाहिए, न कि उनके पेश आने पर। किन्तु अरकान को यह बात अपने सामने ज़रूर रखनी चाहिए कि मुशकिलों और बाधाओं को बिला वजह बुलावा कभी न दें, बल्कि अपनी तरफ़ से यथासंभव बचकर चलने की कोशिश करें। मोमिन एक अक़्लमंद और हकीम इनजीनियर की तरह दीन की सड़क को अल्लाह की ख़ुशी की मंज़िल तक ले जाता है। आप देखते हैं कि एक कुशल इनजीनियर पहाड़ों और दरियाओं और नालों से बिला वजह टकराकर अपनी समस्त शक्ति और धन को बरबाद करने के बजाए अपनी सड़क को पहाड़ों के दामन के साथ-साथ, घाटियों के किनारों पर छोटे पार किए जा सकनेवाले नालों में गैप बनाकर और दरयाओं पर पुल बाँधकर आगे गुज़र जाता है और सिर्फ़ उन पहाड़ों को तोड़ने और उन नदी-नालों को पाटने पर ताक़त व धन लगाता है जहाँ ऐसा किए बिन आगे बढ़ने की सूरत न हो या उसकी सड़क के लिए आगे चलकर नुक़सान का सबब हो सकते हैं। सिराते मुस्तक़ीम (सीधे रास्ते) के बनानेवालों और इनजीनियरों को भी इसी सूझ-बूझ व अक़्लमंदी से काम करना है और अपनी कला की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए रुकावटों को पैदा नहीं करना और न मुशकिलों को न्योता देना है, बल्कि जो वास्तव में मौजूद हैं उनसे भी यथासंभव टकराए बिना आगे निकल जाना है। हाँ, जहाँ कोई बिलकुल हमारा रास्ता रोकने पर ही तुल जाए और हमें और दूसरे ख़ुदा के बन्दों को सच्चे मार्ग पर चलने ही न देना चाहता हो तो टकराव ज़रूरी है, लेकिन इसका फ़ैसला जमाअत का काम है न कि किसी एक रुक्न या अरकान के समूह का।

इस साल हमारे विभिन्न अरकान को क़ौम व बिरादरी के ग़ैर-शरई और बेबुनियाद तौर-तरीक़ों को छोड़ देने पर कुछ जगहों पर क़त्ल की धमकियाँ दी

गई हैं। कुछ जगह शहर से निकाला और बिरादरी से अलग कर देने के डरावे दिए गए, कुछ जगहों पर रिश्ते-नाते और उम्र-भर के संबंध ख़त्म कर लिए गए और कुछ की बीवियों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी एक रुक्न के भी क़दमों में लड़खड़ाहट न आई, बल्कि यह सब कुछ उनके ईमान व अक़ीदे को ज़्यादा मज़बूत ही कर देने का ज़रिया बने।

आख़िर में अल्लाह तआला से दुआ करता हूँ कि वह हमारी कोताहियों को माफ़ करे, हमारी कमज़ोरियों को दूर करे और अपनी रज़ा व ख़ुशी के लिए हमें जीने और मरने की तौफ़ीक़ दे।

> "ऐ हमारे रब! अब तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमें नेक और वफ़ादार लोगों के साथ उठा।" (क़ुरआन, 3 : 193)

क़य्यिम जमाअत की रिपोर्ट के बाद इस जलसे की कार्यवाही ख़त्म हो गई।

दूसरे और तीसरे इजलास में दूसरे हलक़ों की रिपोर्टें पेश की गईं, जिनपर मौलाना (अमीन अहसन) इस्लाही साहब ने तबसिरा (समीक्षा) किया। इसके बाद सुझाव पेश किए गए जो आगे बयान किए जाते हैं।

# मुख्य सुझाव

## 1. तरबियतगाह

आनेवाले जुलाई महीने 1946 ई० के शुरू से ही तरबियतगाह का काम अमली तौर पर शुरू कर दिया जाएगा और उसकी तफ़सीली सूरत यह होगी—

(1) पहले केवल पन्द्रह-पन्द्रह लोगों की जमाअतें एक वक़्त में बुलाएँगे और आम तौर पर उनको एक माह तक मरकज़ में रखेंगे। जिन लोगों को इससे ज़्यादा मुद्दत तक रहने में कोई परेशानी न हो और उनको ज़्यादा समय ठहरने की ज़रूरत भी महसूस होती हो, तो उनके लिए तीन महीने तक की समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है और जिन लोगों के लिए एक महीना रुकना भी मुशकिल हो, उनको कम से कम पन्द्रह दिन ठहरना होगा।

(2) इस तरबियतगाह के कोर्स से प्रत्येक रुक्ने जमाअत को जो मर्कज़ में नहीं है, लाज़मन गुज़रना पड़ेगा। सिवाए उन लोगों के जिनको इस पाबंदी से अलग कर दिया जाए। मगर तरबियतगाह में आने का समय और तारीख़ और ठहरने की अवधि को निश्चित करने में अरकान की आसानी का यथासंभव ख़याल रखा जाएगा।

(3) जून से पहले-पहले सभी मक़ामी जमाअतें अपने-अपने अरकान से मालूम कर लें कि उनके लिए किन तारीख़ों में मर्कज़ जाने में सहूलत होगी और अगर किसी व्यक्ति की बताई हुई तारीख़ पर उसको न बुलाया जा सके तो फिर उसके लिए कौन-सी तारीख़ मुनासिब होगी। ये तमाम लिस्टें तारीख़ों की वज़ाहत के साथ पन्द्रह जून तक तरबियतगाह के नाज़िम के नाम भेज दी जाएँ और जहाँ एक ही रुक्न हो वह भी अपनी सहूलत के मुताबिक़ तारीख़ों से तरबियतगाह के ज़िम्मेदार को आगाह कर दें।

(4) तरबियतगाह में रहने के ख़र्चे और सफ़र के ख़र्चों को हर रुक्न जमाअत को या तो ख़ुद उठाने होंगे या फिर मक़ामी जमाअत को उसकी सहायता करनी होगी जिससे उसका संबंध हो, लेकिन ख़ास हालात में किसी व्यक्ति को हक़दार समझा जाएगा तो मर्कज़ी बैतुलमाल से भी मदद की जा सकती है।

(5) हालाँकि यह कोर्स सिर्फ़ हमारे अरकान के लिए है, लेकिन ऐसे हमदर्दों

को भी हम इससे फ़ायदा उठाने का मौक़ा दे सकेंगे जिनके अन्दर रुक्न बनने की सलाहियत होगी।

## 2. अरकान की हल्क़ाबंदी

जमाअत के अरकान को उनकी ख़ास सलाहियतों और क़ाबिलियतों के अनुसार व्यवस्थित करने और उनकी सलाहियतों को इस्लामी उद्देश्य की ख़िदमत में लगाने के लिए निम्न हलक़े बनाए गए हैं—

| क्र०सं० | नाम हलक़ा | नाम व पता ज़िम्मेदार हलक़ा |
|---|---|---|
| 1. | अरबी अनुवाद और अरबी लिट्रेचर | मौलाना मसऊद आलम साहब नदवी<br>दारुल उरूबा, अड्डा निकोदर, जालंधर शहर |
| 2. | कुरआनी लेख,<br>दावत और तबलीग़ के लिए | मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार हसन साहब<br>मोती बाज़ार, मालेर कोटला (पंजाब) |
| 3. | तनक़ीदी अदब<br>(आलोचनात्मक साहित्य) | जनाब अबुस्सलाम नईम सिद्दीक़ी साहब<br>दारुल इसलाम, पटानकोट (पंजाब) |
| 4. | अवामी लिट्रेचर लिखनेवाले | मौलाना नज़ीरुलहक़ साहब मेरठी<br>जामा मसजिद, डलहौज़ी |
| 5. | पत्रकारों का हलक़ा | जनाब मलिक नसरुल्लाह ख़ाँ साहब अज़ीज़<br>सम्पादक : अख़बारे कौसर,<br>निकट थाना : गुवाल मंडी, लाहौर |
| 7. | राजनीति | जनाब अब्दुल बशीर साहब आज़री, प्रोफ़ेसर<br>इस्लामिया कालेज, लाहौर |
| 7. | अर्थव्यवस्था | जनाब सय्यद नक़ी अली साहब, हेड मास्टर,<br>मदरसा वस्तानिया, कोर्टला, बराह डच<br>पल्ली एन. एस. आर. (दक्षिण) |
| 8. | इतिहास | जनाब ख़्वाजा मुहम्मद सिद्दीक़ साहब,<br>ऐंगलो अरबिक सेकेंडरी हायर स्कूल,<br>दरियागंज, दिल्ली |
| 9. | फ़लसफ़ा (दर्शन) | जनाब मुमताज़ हुसैन साहब,<br>ऐंगलो अरबिक, से०हा० स्कूल, दरियागंज, दिल्ली |

| | |
|---|---|
| 10. क़ानून | जनाब अब्दुल अज़ीम ख़ान साहब (मुनसिफ़)<br>सरोज (टोंक) |
| 11. इंग्लिश लिट्रेचर | जनाब प्रो॰ मुहम्मद याक़ूब साहब,<br>प्रोफ़ेसर गवर्नमेंट कालेज, रोहतक |
| 12. अंग्रेज़ी अनुवाद | जनाब ए॰आर॰ सूफ़ी साहब, बी-2 |
| 13. हिन्दी अनुवाद | जनाब हाफ़िज़ अबू मुहम्मद इमामुद्दीन साहब |
| 14. सिंधी अनुवाद | जनाब हाफ़िज़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ साहब<br>सिंध, मदरसतुल इस्लाम, कराची |
| 15. गुजराती अनुवाद | जनाब इसमाईल उसमान इख़लास साहब<br>147 का बैकर स्ट्रीट 3, माला, मुम्बई-3 |
| 16. बंगला अनुवाद | जनाब सय्यद मुहम्मद हसनैन साहब (क़य्यिम बिहार)<br>दफ़तर जमाअत इस्लामी गोला रोड, बांकीपुर, पटना |
| 17. मलयालम अनुवाद | जनाब हाजी वी॰पी॰ मुहम्मद अली साहब,<br>इस्लामिक पब्लिशिंग हाऊस<br>अरबेलम, वाया ट्रयूर, साऊथ मालाबार |
| 18. तमिल अनुवाद | जनाब मौलवी शेख़ अब्दुल्लाह साहब,<br>वल्तना कप्पम, वाया मील पट्टी, नार्थ अरकाट |
| 19. पश्तो अनुवाद | जनाब क़ाज़ी अब्दुर्रज़्ज़ाक़ साहब,<br>ग्राम छैना, तहसील चार सदा, ज़ि॰ पेशावर |
| 20. फ़ारसी अनुवाद | जनाब मुहम्मद फ़ारूक़ी साहब<br>मकान 551/781-B निज़ाम शाही रोड<br>हैदराबाद, दक्षिण |
| 21. पाठ्य पुस्तक, स्कूल स्टैंडर्ड | जनाब मुहम्मद अब्दुल जब्बार साहब ग़ाज़ी,<br>दारुल इस्लाम पठानकोट, पंजाब<br>(सहयोग से) ख़्वाजा मुहम्मद सिद्दीक़ साहब<br>इनचार्ज हलक़ा इतिहास |
| 22. बच्चों के लिए सरल लेख | जनाब मुहम्मद शफ़ी साहब (ग़ाज़ियाबादी)<br>अध्यापक ऐंगलो-अरबिक सी॰हा॰ स्कूल<br>अजमेरी गेट, दिल्ली |

23. मनोरंजक साहित्य (तफ़रीही अदब) — जनाब मुमताज़ हुसैन साहब इनचार्ज हलक़ा, फ़लसफ़ा

24. हल्क़-ए-शुअरा — जनाब अबुस्सलाम नईम सिद्दीक़ी साहब दारुल इस्लाम पठानकोट, पंजाब

25. हलक़ा तिजारत व सनअत (उद्योग) — फ़ेयर प्राइस शॉप, लाल बाग़ सरकस, लखनऊ

(ब) जमाअत के अरकान में से जो लोग जिस हलक़े के काम में अमली तौर पर हिस्सा लेने की अपने अन्दर क़ाबिलियत व सलाहियत और रुचि रखते हों वह इस बारे में उस हलक़े के ज़िम्मेदारों से ख़तो-किताबत करें।

(ज) हर हलक़े के ज़िम्मेदार साहब अपने हलक़े के साथियों के मशविरे से काम का शुरुआती नक़्शा जल्द से जल्द बनाकर मरकज़ (केन्द्र) भेज दें। काम अमली तौर पर उस समय शुरू होगा जब अमीर जमाअत उनके बनाए हुए नक़्शों की मंज़ूरी दे देंगे। अगर ज़रूरत हुई तो इसके लिए उनके हलक़े की कान्फ्रेंस भी मर्कज़ में आयोजित कर ली जाएगी।

(द) ज़रूरत के अनुसार मरकज़ से पूरे मामलात में सलाह-मशविरा लिया जा सकता है। ख़ास सूरतों में हलक़े के दूसरे लोग भी मर्कज़ से ज़रूरी ख़तो-किताबत कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पर केवल हलक़ों के ज़िम्मेदार ही मर्कज़ से सम्पर्क रखेंगे और वे ही मरकज़ को अपने हलक़े की कार्यवाहियों और उसके कामों की रफ़्तार से बाख़बर रखेंगे।

(र) हलक़े के सिलसिले में ख़तो-किताबत आदि या दूसरे प्रकार के जो ज़रूरी ख़र्च हों, वह यथासंभव हलक़े के लोगों को आपस में मिलकर बरदाश्त करने चाहिएँ। इनके लिए नाज़िमे हलक़ा के पास बैतुलमाल की तरह एक फ़ंड क़ायम कर लिया जाए और हलक़े से संबंध रखनेवाले लोग उसकी मदद करते रहें। हलक़ों के नाज़िम ज़रूरत के अनुसार मरकज़ से भी इस बारे में मदद ले सकते हैं।

(स) जमाअत के क़रीबी हमदर्दों में से जो हज़रात किसी हलक़े के साथ अमली सहयोग के इच्छुक हों, वे भी अरकान की तरह अपने संबंधित हलक़े के नाज़िम साहब से ख़तो-किताबत करें। किन्तु यह याद रहे कि फिर उन्हें अरकान की तरह अपने हलक़े के डिसीपिलिन (नज़्म) की पाबंदी करनी होगी।

(ह) अरकान और हमदर्दों को चाहिए कि ये सूचनाएँ 15 जून 1946 ई० तक हलक़ों के नाज़िमों के पास भेज दें और अपने-अपने हलक़े की सूची पूरी करके उसकी एक-एक कॉपी 15 जुलाई तक मरकज़ में भेज दें।

### (3) जमाअत के नज़्म व अनुशासन के बारे में ज़रूरी बातें

(i) इजतिमा इलाहाबाद में रिपोर्टें पेश करने के लिए जो हलक़े बनाए गए थे, उनको बदस्तूर क़ायम रखा जाए और हर हलक़े की रिपोर्ट तरतीब देने का काम जिन लोगों के ज़िम्मे किया गया था वही आगे अपने हलक़े के क़य्यिम (महासचिव) की हैसियत से काम करें। हर हलक़े की जमाअतें और तनहा अरकान अपनी माहाना रिपोर्टें मरकज़ में भी भेजें और उनकी कापी अपने इलाक़े के क़य्यिम को भी भेजें।

(ii) यह हलक़ेवार क़य्यिम साहिबान अपने हलक़ों में मुमकिन हद तक वही ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देंगे जो राज्य के क़य्यिम अपने राज्यों में अंजाम देते हैं। इसकी तफ़सील के लिए देखें; रूदाद जमाअत इस्लामी, भाग-3

(iii) मौलाना सिबग़तुल्लाह साहब बख़्तियारी सिर्फ़ सूबा मद्रास के क़य्यिम होंगे। रियासत हैदराबाद और रियासत मैसूर और सूबा मुम्बई की जमाअतें, तनहा अरकान और हमदर्द, अपने इलाक़ों के क़य्यिमों की निगरानी व रहनुमाई में काम करेंगे।

### (4) आइन्दा इजतिमा-ए-आम का फ़ैसला

आइन्दा इजतिमा-ए-आम (सालाना इजतिमा) का नक़्शा, प्रोग्राम और स्थान का फ़ैसला करने के लिए माह अगस्त 1946 ई० में मजलिसे शूरा (सलाहकार समिति) का इजलास आयोजित किया जाएगा। इजतिमा के सिलसिले में जो विभिन्न सुझाव हमारे सामने हैं वे संक्षिप्त रूप में आगे लिखे जा रहे हैं और इनका आख़िरी फ़ैसला अगस्त की मजलिसे शूरा में होगा।

(i) फ़िलहाल कुछ समय के लिए इजतिमा-ए-आम की मौजूदा शक्ल ही को बाक़ी रखा जाए या

(ii) हर राज्य का अलग-अलग इजतिमा किया जाया करे और इन इजतिमाआत का प्रोग्राम ऐसा रखा जाए कि अमीर जमाअत और उनके साथी महीने-डेढ़ महीने के एक ही दौरे में तमाम इजतिमाआत में शरीक हो सकें और मुल्क का दौरा भी हो जाया करे। इस सूरत में इजतिमा-ए-आम आयोजित करने की ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती, बल्कि हर साल एक बार मरकज़ में सारे मुल्क का एक नुमाइंदा इजतिमा कर

लेना काफ़ी हो सकता है, जिसमें सिर्फ़ विभिन्न हलक़ों के नुमाइंदे शरीक हों। तमाम मुल्क के अरकान का इजतिमा-ए-आम हर तीसरे साल या हर पाँचवें साल आयोजित किया जा सकता है।

इस बारे में जमाअत के अरकान जो मशविरा देना चाहें उनको चाहिए कि 20 जुलाई तक अपने मशविरे और दलीलों से हमें आगाह कर दें। ऊपर लिखी शक्लों के अलावा कोई और शक्ल किसी के सामने हो तो उसपर भी ग़ौर किया जा सकता है।

# सवाल व जवाब

इसके बाद कुछ लोगों ने मुख़्तलिफ़ क़िस्म के सवाल किए जिनके जवाब मौलाना (अमीन अहसन) इस्लाही साहब ने दिए। चूँकि तनज़ीमी विभाग का बहुत-सा रिकार्ड पूर्वी पंजाब के फ़सादात की वजह से दारुल इस्लाम पठानकोट, ज़िला गुरदासपुर में ही रह गया और उसी में इन सवालों और जवाबों का मसविदा भी शामिल था, इसलिए उन्हें यहाँ नक़ल नहीं किया जा सका। नीचे मौलाना अमीन अहसन साहब इस्लाही की वह तक़रीर जिसपर इजलास ख़त्म हुआ, नक़ल की जाती है जो उन्होंने अरकान के आख़िरी इजलास में इरशाद फ़रमाई।

# मौलाना अमीन अहसन साहब इस्लाही का समापन भाषण

हज़रात! अल्लाह तआला का लाख-लाख फ़ज़्ल व एहसान है कि हमारे इजतिमा-ए-आम की कार्यवाही अपनी आख़िरी मंज़िल में पहुँच गई। अब सिर्फ़ रात का जलस-ए-आम बाक़ी रह गया है और कल ग्रुप्स (GROUPS) वाली तजवीज़ और सुझाव को पूरा करना है। हम सबको इस बात का अफ़सोस है कि इन तमाम मरहलों में हम अमीरे जमाअत की रहनुमाई से उनकी बीमारी के सबब महरूम रहे। हमारी दुआ है कि अल्लाह तआला उन्हें सेहत व क़ुव्वत दे कि वे रात के जलसे में शिरकत कर सकें।

हज़रात! जिस तरह आपके इजतिमाआत की ज़ाहिरी शक्ल व सूरत दूसरे इजतिमाआत से अलग होती है, इसी तरह उनका अन्दरून भी दूसरे इजतिमाआत के अन्दरून से मुख़्तलिफ़ है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके ज़ाहिरी हँगामों ने इस क़द्र मशग़ूल न रखा होगा कि आपको इसके अन्दरून की तरफ़ ध्यान देने का सिरे से मौक़ा ही न मिला हो। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपका यहाँ आना आपके लिए मुफ़ीद हुआ होगा। आपने अपने मक़सद में बसीरत हासिल की होगी और उसके लिए आपमें नई हिम्मत और ताज़ा सरगर्मी पैदा हुई होगी। अगर ख़ुदा न करे इस तरह की कोई बात न पैदा हुई हो, आप सिर्फ़ मेहनत और थकान का असर यहाँ से लेकर वापस जा रहे हों तो घर जाकर अपना अच्छी तरह जायज़ा लेकर हमें सूचित करें कि हम बिलकुल ख़ाली हाथ वापस आए। ताकि हम ग़ौर कर सकें कि यह महरूमी किसकी ग़लती का नतीजा है? आपकी या हमारी? या दोनों की? और आइन्दा के लिए इसकी इस्लाह की कोशिश की जाए। जिस तरह आपकी दी हुई रिपोर्टों से हमने अपने कामों की रफ़तार को मालूम करने की कोशिश की है, उसी तरह आपकी इत्तिलाआत (सूचनाओं) से हम अपने इन इजतिमाआत के फ़ायदों का अंदाज़ा करना चाहते हैं, ताकि वक़्त और माल की बरबादी से अपने आपको बचा सकें और यह इजतिमाआत सिर्फ़ रस्मी चीज़ बनकर न रह जाएँ, बल्कि इनसे वह मक़सद हासिल हो जिसको सामने रखकर ये आयोजित किए जाते हैं।

मुझे इस अवसर पर आपसे बहुत-सी बातें कहनी थीं, लेकिन अफ़सोस है

कि वक़्त बहुत कम है, इस वजह से सिर्फ़ कुछ बातों की तरफ़ इशारा करके अपनी बात ख़त्म कर दूँगा।

मैं इस वक़्त जमाअत इस्लामी की कुछ ख़ुसूसियतों की तरफ़ इशारा करूँगा, लेकिन इन ख़ुसूसियतों के बयान करने का मक़सद यह नहीं है कि यह अमली तौर से जमाअत के अरकान के अन्दर मौजूद हैं, बल्कि यह है कि ये आपके अन्दर होनी चाहिएँ और आपका फ़र्ज़ है कि आप लगातार अपना जायज़ा लेकर देखते रहें कि ये आपके अन्दर मौजूद हैं या नहीं और अगर मौजूद हैं तो किस हद तक? और उन्हीं को आप जमाअत के साथ वाबस्तगी (लगाव) के लिए कसौटी बनाएँ। अगर ये ख़ुसूसियतें पूरे तौर पर मौजूद हैं तो समझिए कि जमाअत के साथ आपका लगाव पूरा है और अगर कमी के साथ मौजूद हैं तो समझिए कि जमाअत के साथ आपका संबंध भी अधूरा है और अगर ये सिरे से मौजूद ही नहीं हैं तो यह इस बात की निशानी है कि जमाअत के साथ आपका लगाव सिर्फ़ रस्मी व दिखावे का है। हक़ीक़त से इसका कुछ संबंध नहीं।

(1) इन ख़ुसूसियतों में सबसे पहली ख़ुसूसियतों यह है कि मौजूदा माहौल के अन्दर आप ग़ुरबत (अजनबियत) का एहसास करें। ग़ुरबत से मेरा मक़सद माल व असबाब (धन-दौलत) की कमी नहीं है। इस चीज़ का एहसास तो एक मुसलमान, अगर वह सच्चा मुसलमान है, कभी करता ही नहीं। ग़ुरबत से मेरा मक़सद यह है कि मौजूदा माहौल में आपको हर जगह अजनबियत का एहसास हो। ख़ानदान में, समाज में, क़ौम में आपको हमदर्द व परिचित और हमख़याल व हम-मशरब बहुत कम नज़र आएँ। आपको हर मजलिस में एहसास हो कि आप जो कुछ चाहते हैं दूसरों की चाहत उससे अलग है। आप जो कुछ सोचते हैं दूसरों की सोच उससे बिलकुल अलग है। आपकी रुचि, आपका रुझान, आपका ख़याल व इरादा, आपकी हर चीज़ दूसरों की रुचि, रुझान और ख़याल व इरादों से भिन्न, बल्कि टकराते नज़र आएँ। आपको ऐसा लगे कि आप ज़मीन की मख़लूक़ हैं और आपको समुद्र में डाल दिया गया है या आप समुद्र के जानवर हैं और आपको ज़मीन पर फेंक दिया गया है। दूसरों को अपनी कामयाबी की राहें बहुत कुशादा नज़र आ रही हों, मगर आपको अपनी कामयाबी की राह रुँधी हुई मिले। दूसरे जिस राह पर चल रहे हों, वह क़ाफ़िलों से भरी हुई हो, मगर आपको हर राह में हमदर्द व मददगार और साथियों की कमी से वास्ता पड़े। दूसरों के लिए ज़िन्दगी के संसाधनों के ढेर लगे हों, मगर आपको रोटी के कुछ सूखे टुकड़े हासिल करने के लिए भी चोटी का पसीना ऐड़ी तक बहाना पड़े।

जब आप मौजूदा दुनिया में इस तरह अपने आपको मुशकिलों के शिकंजों में कसा हुआ पाएँ और आपके क़रीबी से क़रीबी रिश्तेदार भी इन मुशकिलों को हल करने में आपकी कोई मदद न करें, बल्कि उल्टे उनमें और ज़्यादा बढ़ोत्तरी करने की कोशिश करें तब आप समझिए कि जमाअत इस्लामी के मक़ासिद (उद्देश्यों) का सच्चा एहसास आपके अन्दर पैदा हो गया है और उसकी अलामतें आपके बाहर और अन्दर दोनों में अच्छी तरह उभर रही हैं और अगर ये बातें न पाई जाएँ, बल्कि जमाअत इस्लामी में दाख़िल होने के बाद भी उस माहौल के साथ आपकी साज़गारी और अनुकूलता उसी तरह बाक़ी रहे जैसी जमाअत में दाख़िल होने से पहले थी और आपके फैले हुए संबंधों के किसी भाग में कोई रुकावट और ख़राबी नहीं पैदा हुई है, आपके दोस्त-साथी पहले की तरह आपसे ख़ुश और आपके रिश्तेदार पहले जैसे आपसे राज़ी हैं, आपके कारोबार और अर्थव्यवस्था की राहें पहले की तरह अब भी खुली हुई हैं और किसी दिशा से आप अजनबी होने और परायेपन का एहसास नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपने जमाअत इस्लामी का सिर्फ़ लेबल अपने ऊपर लगा लिया है, उसकी हक़ीक़त आपके दिल के अन्दर नहीं उतरी है।

इस चीज़ को आप जमाअत के साथ अपने लगाव और ताल्लुक़ को जानने के लिए कसौटी बना लीजिए और आपमें से हर व्यक्ति अपनी-अपनी जगह पर खुद अपना अन्दाज़ा करके फ़ैसला कर ले कि जमाअत के साथ उसका संबंध वास्तविक है या सिर्फ़ दिखावा। हम जिन लोगों की तलाश में हैं वह पहली क़िस्म के लोग हैं न कि दूसरी क़िस्म के लोग। वही लोग हैं जिनके लिए हदीस में मुबारकबाद दी गई है और जिनके बारे में हुज़ूर (सल्ल०) ने इरशाद फ़रमाया है कि "वही हैं जो मेरे बाद के बिगाड़ की इस्लाह (सुधार) करेंगे।" (हदीस)

(2) दूसरी ख़ुसूसियत जो होनी चाहिए और जो असल में पहली ख़ुसूसियत ही का ज़रूरी नतीजा है, यह है कि आप अपने सारे लगाव और दिलचस्पी उन लोगों के साथ बढ़ाएँ जो उसूल व मक़ासिद में आपके साथ जुड़े हों। अगर उनकी तादाद कम हो तो इसकी परवा न करें, उन्हीं की दोस्ती और मदद की क़द्र कीजिए। चाहे वे आपके रिश्तेदार न हों, लेकिन आप उनको रिश्तेदारों से बढ़कर अज़ीज़ रखिए! चाहे वह आपकी क़ौम के बाहर के हों, लेकिन आपकी तरफ़दारी व खुद्दारी (शर्म) उनके लिए अपनी क़ौम से भी ज़्यादा हो, चाहे वे हमेशा से आपके और आपकी क़ौम के दुशमन रहे हों, लेकिन आज अगर उन्होंने इस हक़ को क़बूल कर लिया है, जिस हक़ को आपने क़बूल किया है, तो आपकी तरफ़ से

उनके लिए सिर्फ़ सच्ची दोस्ती ही होनी चाहिए। आप हर तरफ़ से कटकर अपनी सारी दिलचस्पियाँ सिर्फ़ उनके अन्दर तलाश करें। ये ही आपके अज़ीज़ हों, ये ही आपके दोस्त हों, ये ही आपके ग़मख़्वार हों, इनके अलावा दूसरों के साथ आपका संबंध दोस्ती और मुहब्बत का न हो, बल्कि सिर्फ़ भलाई और सद्भावना का हो, यानी आप उनको भी इस हक़ से वाक़िफ़ कराएँ जो अल्लाह तआला ने आप पर खोला है।

आपका घराना हक़ के माननेवालों और ईमानवालों का घराना हो। जिनका रिश्ता हक़ के साथ जितना ही कमज़ोर हो आपका रिश्ता उनके साथ उतना ही कमज़ोर होना चाहिए और जिनका रिश्ता ईमान के साथ जितना ही मज़बूत हो आपका रिश्ता उनके साथ उतना ही मज़बूत होना चाहिए। इस उसूल को सामने रखकर अपनी दोस्ती और दुश्मनी का पूरा जाइज़ा लीजिए और अगर कहीं आपको नज़र आए कि आप दोस्ती के हक़दारों के साथ दुशमनी और दुशमनी के हक़दार के साथ दोस्ती का मामला कर रहे हैं तो अल्लाह के डर से इसकी इस्लाह कीजिए। अगर आप एक उसूल के साथ दोस्ती रखते हैं तो उसके दुशमनों के साथ आपकी दोस्ती नहीं हो सकती। इसी तरह जो लोग इस उसूल से दोस्ती रखते हैं, उनके साथ आपकी दुशमनी भी फ़ितरत (प्राकृति) के ख़िलाफ़ है। आप नस्ल और नसब के बुत के पुजारी नहीं हैं और न आपको रंग व ख़ून के फ़र्क़ ही से कोई दिलचस्पी है। आपकी नफ़रत व मुहब्बत तो पूरे तौर से अल्लाह और रसूल (सल्ल०) के अधीन है। जो लोग अल्लाह और रसूल (सल्ल०) के साथ अपना रिश्ता जोड़ लें, आप उनके बन गए। आपका और उनका रिश्ता माद्दी रिश्ता है और अख़लाक़ी रिश्ता है, और रूहानी रिश्ता है। यही माने हैं "रु-ह-माऊ बैनहुम" का। अगर ईमान और इस्लाम के रिश्ते के अलावा कोई और रिश्ता भी आपने बाक़ी रख छोड़ा है तो इसकी इस्लाह की कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द उसको हक़ के अधीन कीजिए। नहीं मालूम कब आपके सामने आज़माइश की घड़ी आ जाए और वह आपसे मुतालिबा करे कि हक़ के लिए चचा भतीजे की गरदन पर तलवार चलाए और भांजा मामू के सीने पर नेज़ा मारे।

बातिल और बातिल के सारे रिश्तों से दिल से कट जाना असली रूहानी हिजरत है जिसकी शुरुआत उस दिन से हो जाती है जिस दिन एक बन्द-ए-हक़ एक हक़ को क़बूल करता है और उसके लिए एक बातिल को छोड़ता है। आप इस रूहानी हिजरत का इरादा कीजिए और इस राह में जो दुशवारियाँ आती हैं,

उनपर क़ाबू पाने की आदत डालिए। कुछ लोग यह समझते हैं कि इसके लिए पहले से किसी ख़ास व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। जब वक़्त आएगा, वह हक़ के लिए बड़ी से बड़ी क़ुरबानियाँ भी पेश कर देंगे और अज़ीज़ से अज़ीज़ रिश्तों पर भी कैंची चला देंगे, लेकिन यह ख़याल बिलकुल ग़लत है। आज़माइश की घड़ियों में दिल व दिमाग़ की सिर्फ़ वही ताक़त काम देती है जो अमली तौर पर मौजूद हो और जिसका भंडार पहले से उपलब्ध करने की कोशिश की गई हो। जो लोग अपनी फ़ौज को उस वक़्त ट्रेनिंग देते हैं जब दुशमन ने हमला कर दिया हो, उनके हिस्से में नाकामी के अलावा और कुछ नहीं आता।

(3) तीसरी ख़ूबी जो आपको अपने अन्दर पैदा करनी है वह इसके विपरीत ख़ूबी है, यानी यह कि जो लोग उसूल और मक़सद में आपसे भिन्न हों, वे आपको नरम चारा न पाएँ। वे जब आपको टटोलें तो उन्हें महसूस हो कि उनके लिए आपके अन्दर उँगली धसाने की कोई जगह नहीं है। वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपको अपना ज़रिया न बना सकें। पहली जमाअत के लिए आप जितने सीधे-सादे, नेकदिल, भोले-भाले हों, दूसरी जमाअत के लिए आपको उतना ही होशियार, हाज़िर दिमाग़ और उसूल का पाबंद होना चाहिए। उनको आप किसी भी हाल में इस बात का मौक़ा न दें कि वे आपपर अपना रंग चढ़ा सकें और आपको अपने साँचे में ढाल लें। जब तक आपमें यह ख़ूबी न पैदा हो, उस वक़्त तक न आपके अन्दर जमाअत इस्लामी के उद्देश्यों की सही समझ पैदा हुई है और न आपमें वह सीरत (आचरण) पैदा हुई है जो जमाअत इस्लामी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपेक्षित हैं। क़ुरआन मजीद में ईमानवालों की जो पहचान बताई गई है, वह "अशिद्दाऊ अलल कुफ़्फ़ार" अर्थात हक़ का इनकार करनेवालों पर सख़्त हैं। इसका मतलब यही है कि जो लोग अल्लाह की फ़ौज में भरती हो चुके हैं, उनके लिए यह बात जाइज़ नहीं हो सकती कि वह दुशमन के बिगुल पर भी लेफ़्ट राइट शुरू कर दें और वक़्ती फ़ायदों के लिए उसका बोलबाला करने और उसकी लड़ाई लड़ देने में भी कोई बुराई न समझें। जो लोग हक़ व बातिल दोनों के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं उनका रिश्ता सिर्फ़ बातिल के साथ रहता है। हक़ इस तरह की शिरकत और गंदगी को बरदाश्त नहीं करता। आपकी सीरत की वह सारी कमज़ोरियाँ जो आपके अन्दर बातिल को घुसने की राह देती है, आपके कमज़ोर ईमान की दलील हैं और अब जिस ज़िन्दगी की आपने शुरुआत की है उसका सबसे पहला तक़ाज़ा है कि आप इन कमज़ोरियों को दूर करने की पूरी कोशिश करें।

ये दो-तीन बातें मैंने आपके सामने कसौटी की हैसियत से पेश की हैं। आप उनके ऊपर अपने आपको जाँचकर मालूम कर सकते हैं कि जमाअत के साथ आपका संबंध किस दर्जे का है? सिर्फ़ ज़बान से आप इसके साथ हो गए हैं और दिल आपका उन्हीं कूचों में अभी आवारागर्दी कर रहा है, जिनमें पहले आवारागर्दी कर रहा था, या आप दिल और ज़बान, दोनों से इसके साथ हैं?

हज़रात, मैं आपको विदा करने से पहले कुछ ज़ादेराह (रास्ते का ख़र्च) भी आपको देना चाहता हूँ। यह ज़ादेराह आपके रास्ते में भी काम आएगा, घर पर भी काम देगा और अगर आपने इसकी क़द्र की तो यह ज़िन्दगी के हर मामले में आपके काम आएगा। यह ज़ादेराह क्या है? अल्लाह तआला की याद। मुझपर अल्लाह की किताब और उसके रसूल (सल्ल०) की हदीसों से यह बात खुल गई है कि तमाम ताक़त व शक्तियों का भंडार अल्लाह की याद है। इसलिए आपका दिल इसकी याद से कभी ख़ाली न रहना चाहिए। अल्लाह की याद से मेरा मतलब ज़िक्र व फ़िक्र दोनों है। मैं अकेले उस ज़िक्र की दावत नहीं दे रहा हूँ जो सिर्फ़ ज़बान का विर्द बनकर रह जाए। दिल व दिमाग़ से अगर उसका कोई संबंध न हो इस तरह का ज़िक्र कुछ फ़ायदामंद नहीं है और मैं सिर्फ़ ज़बानी ज़िक्र की दावत नहीं दे रहा हूँ, मेरे नज़दीक अल्लाह के कलिमे को बुलन्द करने की हर जिद्दोजुहद ज़िक्रे इलाही में शामिल है बल्कि सच्चे मानों में ज़िक्र यही है। आप इस ज़िक्र का विशेषता से प्रबंध कीजिए। आपके सामने जो मरहले आ रहे हैं उनमें यही चीज़ काम देगी इसी से हर मुशकिल आसान होगी। अब मैं इस इजतिमा की कार्यवाही को दुआ पर ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह तआला मुझको और आपको हक़ की पहचान बख़्शे और उसकी ख़िदमत के लिए हिम्मत व उसपर जमे रहने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन!!

# जल्स-ए-आम में मौलाना अमीन अहसन इस्लाही साहब की तक़रीर

तीसरे दिन 7 अप्रैल 1946 ई० बाद नमाज़ मग़रिब, जल्स-ए-आम आयोजित हुआ। जिसमें स्थानीय लोग मुसलिम व ग़ैर मुसलिम दोनों बड़ी तादाद में शामिल हुए। उपस्थिति लगभग पाँच हज़ार थी। पहले मौलाना अमीन अहसन साहब इस्लाही ने तक़रीर की और उनके बाद अमीर जमाअत इस्लामी, मौलाना अबुल आला साहब मौदूदी ने। मौलाना इस्लाही साहब की तक़रीर आगे दी जा रही है। अमीरे जमाअत इस्लामी की तक़रीर का मसविदा पूर्वी पंजाब के दंगों में ख़त्म हो गया इसलिए अमीर जमाअत की तक़रीर नहीं लिखी जा सकी।

# इस्लामी दावत और उसके उत्प्रेरक

## इजतिमा-ए-आम की तक़रीर

ख़ुतबा-ए-मसनूना के बाद :

हाज़रीन मुझे इस वक़्त आपके सामने कोई लम्बी तक़रीर नहीं करनी है। पिछले दो-तीन दिनों के अन्दर मैं बार-बार आपके सामने अपने ख़यालात पेश कर चुका हूँ। इस वक़्त की असली तक़रीर अमीर जमाअत की तक़रीर होगी। मैं सिर्फ़ आदेश के पालन में यहाँ आ गया हूँ और संक्षिप्त में सिर्फ़ यह बताने की कोशिश करूँगा कि हम क्या पैग़ाम लेकर उठे हैं और इस पैग़ाम को लेकर उठने के उत्प्रेरक व कारण क्या हैं।

एक इनसान की हैसियत और एक विचारक की हैसियत से जब हम इस दुनिया के हालात पर ग़ौर करते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इसमें हमारी स्थिति क्या है, हम पैदा करनेवाले हैं या पैदा किए हुए, आज़ाद हैं या ग़ुलाम, ज़िम्मेदार और जवाबदेह हैं या बेलगाम और ग़ैर जवाबदेह? और इस सवाल पर ग़ौर करते हैं कि हमें किस तरह ज़िन्दगी गुज़ारनी चाहिए? हमारा अख़लाक़ी निज़ाम क्या होना चाहिए? हमारे लिए सामाजिकता व अर्थव्यवस्था और राजनीतिक सोसायटी के पसंदीदा उसूल क्या हैं? तो सबसे पहले हमारे सामने यह हक़ीक़त खुल जाती है कि यह दुनिया सिर्फ़ संयोग से वजूद में नहीं आ गई है। बल्कि इसके पीछे एक हकीम (हिक्मतवाली हस्ती) का इरादा काम कर रहा है। और यह कि यह यूँ ही कोई अँधेर नगरी नहीं है, बल्कि इसके हर पहलू में हिकमत और मक़सद की शान नुमायाँ है। हम इसके अन्दर तदबीर व हिकमत की इतनी कारफ़रमाइयाँ देखते हैं कि यह नहीं मान सकते कि यह सब कुछ बिना किसी प्रबन्धक के हो रहा है। हम उसके 'रब' होने और पालनहार होने के इतने जलवों को देखते हैं कि इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह सब कुछ बग़ैर किसी 'रब' और 'पालनहार' के वजूद में आ सकता है। यहाँ हर क़दम पर क़ुदरत और हिकमत की इतनी गुलकारियाँ मौजूद हैं कि हर बात का इनकार मुमकिन है, लेकिन इस हक़ीक़त का इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सब कुछ एक ज़बरदस्त कारीगर की कारीगरी और एक कला कौशल की कला का करिश्मा है।

इस सारे हंगाम-ए-वजूद के पीछे एक हकीम, एक कुदरतवाले, एक क़य्यूम (क़ायम रखनेवाले), एक पालनहार और एक मेहरबान ख़ुदा को मान लेने के बाद दूसरी हक़ीक़त हमारे सामने यह आती है कि जिसने यह सब कुछ पैदा किया है, जिसकी कुदरत व हिकमत की ये सारी गुलकारियाँ हैं, जिसकी परवरदिगारी और जिसकी रहमत के इतनी अनगिनत निशानियाँ हर ओर चारों तरफ़ फैली हुई हैं, जिसने इनसान को इतनी बुलन्द क़ाबिलियतों और सलाहियतों से सजाया-सँवारा है, हो नहीं सकता कि उसने इनसान की अक़्ली व अख़लाक़ी रहनुमाई के लिए और ज़िन्दगी को ठीक-ठीक गुज़ारने के लिए कोई क़ानून और ज़ाब्ता न बनाया हो। ज़रूर उसने इस अक़्ली व अख़लाक़ी ज़िन्दगी का भी उसी तरह सामान किया होगा जिस तरह उसकी माद्दी और भौतिक ज़िन्दगी की ज़रूरतों का सामान किया है। हमारी अक़्ल हमें बताती है कि ऐसा होना चाहिए। आसमान व ज़मीन के अन्दर जो इनतिज़ाम है वह इस हक़ीक़त की तरफ़ इशारा कर रहा है और इनसान की फ़ितरत जिस बनावट पर बनी है वह अपनी बनावट ही से इसके लिए माँग कर रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस चीज़ को दिल माँग रहा है और जिस चीज़ के लिए अक़्ल तक़ाज़ा कर रही है, वाक़ए की सूरत में भी इसके मौजूद होने की कोई गवाही मौजूद है या नहीं? जब हम मामले पर इस अन्दाज़ से ग़ौर करते हैं तो हमारे सामने इनसानों की एक ऐसी जमाअत आती है, जो सबके सब बेहतरीन अख़लाक़ व सीरत के लोग हैं, जो दिमाग़ी व अख़लाक़ी तौर से अपने ज़माने की सोसायटी के चुने हुए बेहतरीन फूल हैं, जिनके दोस्तों ने हर मामले में उनपर भरोसा किया और कभी अपने उस भरोसे में धोखा नहीं खाया। जिनके दुशमनों ने हमेशा उनकी भूलें और कमज़ोरियाँ तलाश करनी चाहीं, लेकिन कभी उनकी किसी कमज़ोरी या भूल पर पकड़ न कर सके। ये सबके सब बयान करते हैं कि अल्लाह तआला ने उनके ज़रिए से इनसानों की रहनुमाई के लिए क़ानून नाज़िल किया है। वह क़ानून उन्होंने दुनिया के सामने पेश भी किया और अपने-अपने ज़मानों में उसको दुनिया में जारी करके उसके फ़ायदों को अच्छी तरह उजागर भी किया। तजुर्बों से यह क़ानून बेहतरीन साबित हुआ है। ग़ौर करनेवाले उसकी ख़ूबियों और बारीकियों पर इन्तिहाई ख़ुशी व हैरत का इज़हार करते हैं। देखनेवाले उसकी बरकतों और उसके फ़ायदों पर सिर धुनते हैं। उस क़ानून के ज़रिए से बेहतरीन निज़ामे अदल (न्यायिक व्यवस्था) व इनसाफ़ क़ायम हुआ। बेहतरीन तरीक़े पर उससे लोगों के मामलात और हुक़ूक़ (अधिकारों) के झगड़े निपटाए गए। सोसायटी के हर वर्ग को उससे अमन व

इतमीनान हासिल हुआ। समाज और रोज़गार के हर क्षेत्र में ख़ैर व बरकत फैली।

यह हक़ीक़त खुल जाने के बाद लाज़िमी तौर पर यह सवाल पैदा होता है कि जब ख़ुदा का भेजा हुआ क़ानून और उसका बनाया हुआ निज़ामे ज़िन्दगी (जीवन व्यवस्था) दुनिया में मौजूद है तो क्या इनसानों के लिए, जो ख़ुदा की मख़लूक़ हैं, यह बात जाइज़ हो सकती है कि उसके क़ानून के सिवा किसी और क़ानून की फ़रमाबरदारी क़बूल करें और उसकी बताई हुई जीवन-व्यवस्था के अलावा अपने लिए किसी और जीवन-व्यवस्था को अपनाएँ। इस बात से अलग हटकर कि वह क़ानून और वह जीवन-व्यवस्था ख़ुद उनकी बनाई हुई हो या किसी और की, और वह क़ानून उनके ख़याल में अच्छा हो या बुरा। अकेले इस सवाल का जवाब दीजिए कि ख़ुदाई क़ानून की मौजूदगी में एक पल के लिए भी यह बात क्या जाइज़ हो सकती है कि उस क़ानून को छोड़कर किसी और क़ानून की फ़रमाबरदारी व पालन किया जाए?

हमारे नज़दीक इस सवाल का सीधा और साफ़ जवाब सिर्फ़ एक ही है कि नहीं। जो अल्लाह तआला के बन्दे हैं उनके लिए यह बात किसी हाल में जाइज़ नहीं हो सकती कि वे ख़ुदा के क़ानून के अलावा, जबकि वह उनके पास मौजूद भी हो, छोड़कर किसी और क़ानून का पालन करें। यह नाशुक्री है, नमकहरामी है, बहुत बड़ा ज़ुल्म है, बल्कि शिर्क और ख़ुदा से खुली बग़ावत है, जिसके करने की हिम्मत वही लोग कर सकते हैं जिनकी फ़ितरत न तो दुनिया में किसी बड़ी से बड़ी नाइनसाफ़ी से झिझकती हो और न वह आख़िरत में किसी बड़ी से बड़ी सज़ा से डरते हों।

हमारी दावत (आह्वान) का शुरुआती बिन्दु यही है कि हम सारी औलादे आदम को इस बात की दावत देते हैं कि ख़ुदा ही की बन्दगी और इताअत (आज्ञापालन) करो। इसका तरीक़ा यह है कि उसके नबियों और रसूलों के दिए हुए क़ानून को मानो। हमारा अक़ीदा यह है कि अल्लाह तआला हर ज़माने में अपने पैग़म्बरों के ज़रिए से इनसानों को अपनी मरज़ी और अपने आदेशों से बाख़बर करता रहा है और हर क़ौम (जाति) में उसके आदेशों और नियमों को बतानेवाले लोग आए हैं, लेकिन क़ौमों ने थोड़े-थोड़े ज़माने के बाद अपनी लापरवाहियों और कमज़ोरियों की वजह से अपने नबियों की बताई हुई बातें कुछ तो भुला दीं और कुछ उनमें अपने मन की इच्छाओं के मुताबिक़ दूसरी बातें मिला दीं। यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने सबसे आख़िर में हज़रत मुहम्मद

(सल्ल०) को तमाम आलम (पूरी सृष्टि) के लिए हादी व रहबर (मार्गदर्शक) बनाकर भेजा और आपके ज़रिए से एक तरफ़ तो सारे पिछले नबियों की तालीमात को ज़िन्दा कर दिया और दूसरी तरफ़ अपने दीन को मुकम्मल कर दिया। हमने इस पहलू से हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की तालीम पर ग़ौर किया है और हम पूरी तरह सन्तुष्ट (मुतमइन) हैं कि आपकी तालीम पिछले नबियों की तालीमात का सच्चा मजमूआ (संकलन) भी है और ख़ुदा के दीन की तकमील भी है। हमारा यह अक़ीदा तक़लीदी और दूसरों की देखा-देखीवाला नहीं है, बल्कि हमने पूरी आज़ादी के साथ ख़ालिस अक़्ल की रौशनी में, इस्लाम पर ग़ौर किया है और ग़ौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं, और अब सारी दुनिया के सामने इस दावत को पेश कर रहे हैं। हमारे बहुत-से ग़ैर मुसलिम भाई हमारी इस राय से इख़तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन यह मुतालिबा हम उनसे ज़रूर करेंगे कि दीन का मामला कोई आसान मामला नहीं है। इस वजह से उनका फ़र्ज़ है कि वे इस्लाम पर पूरी संजीदगी के साथ ग़ौर करें। विभिन्न कारणों से उनके और मुसलमानों के बीच जो पक्षपात पैदा हो गए हैं, उनको इस्लाम पर ग़ौर करने की राह में हरगिज़ आड़े न आने दें। इस्लाम कोई अकेले मुसलमानों का दीन नहीं है। यह सारी दुनिया का दीन है और दुनिया के तमाम नबियों की लाई हुई सच्चाइयाँ इसके अन्दर जमा हैं। इस वजह से अगर कोई क़ौम मुसलमानों के साथ पक्षपात की वजह से ख़ुद इस्लाम ही को नफ़रत के क़ाबिल समझने लगेगी और उसपर ग़ौर करने से इनकार कर देगी तो वह दूसरों के शुगून पर अपनी नाक काट लेगी। अगर हमारे ग़ैर मुसलिम भाइयों ने मुसलमानों के साथ पक्षपात की वजह से ख़ुद इस्लाम ही पर ग़ौर करना छोड़ दिया तो उससे न तो मुसलमानों को कुछ नुक़सान पहुँचेगा न इस्लाम को, बल्कि पूरे तौर से ख़ुद उनको नुक़सान पहुँचेगा कि अल्लाह की जो नेमत हवा, पानी और रौशनी की तरह उनके लिए भी उसी तरह आम थी जिस तरह मुसलमानों के लिए, इससे वे दूसरो के झगड़ों की वजह से महरूम रह गए।

हम उनके लिए, जो इस्लाम को हर तरह के पक्षपात से आज़ाद होकर समझना चाहते हैं, एक साफ़-सुथरा लिट्रेचर तैयार कर रहे हैं और हमको दिली ख़ुशी होगी अगर हम इस सिलसिले में उन हक़ के चाहनेवालों की कोई ख़िदमत कर सकें, जो हमारे ग़ैर मुसलिम भाइयों के बीच से इस्लाम को समझने के लिए उठें।

इस मौक़े पर हम मुसलमानों के सामने भी यह बात साफ़ कर देना चाहते हैं

कि वे अल्लाह के दीन को अपनी क़ौमी जागीर न बनाएँ। इस्लाम के साथ उस आदमी का ताल्लुक़ सच्चा ताल्लुक़ है जो उसके अक़ीदों पर ईमान रखता है और उसके हुक्मों पर अमल करता है। सिर्फ़ मुसलमान के घर में पैदा हो जाने से कोई आदमी मुसलमान नहीं बन जाता। मुसलमानों की इस ग़लती ने इस्लाम को बहुत नुक़सान पहुँचाया है। इसकी वजह से वे ख़ुद भी इस्लाम की बरकतों से महरूम हुए और दूसरों को भी इससे बदगुमान कर रहे हैं। वे एक ख़ुदा को माननेवालों की जमाअत की जगह पर एक क़ौम बनकर दुनिया के सामने आते हैं तो इस्लाम की दावत उनकी ज़बान से कुछ अच्छी नहीं मालूम देती। वे या तो हक़ीक़ी मुसलिम बनें या फिर मुसलमान क़ौम बनकर ही रहें। एक क़ौम और एक उसूली जमाअत की दो बिलकुल अलग तरह की ख़ुसूसियात अपने अन्दर जमा करने की कोशिश न करें। इस दोरंगी ने इनको कहीं का न छोड़ा है, न वे दीन के काम के रहे और न दुनिया ही के काम के रहे। अगर वे सचमुच एक इस्लामी जमाअत हैं तो उनको चाहिए कि वे अपने सारे लगाव इस्लाम के उसूलों के साथ ज़ाहिर करें और उन तमाम मुतालिबात से हाथ खींच लें जो उन्होंने क़ौमी ख़ुसूसियतों में रहते हुए पैदा किए है। इस दोरंगी ने उनकी पोज़ीशन बहुत ख़राब कर दी है। इसकी वजह से उन्होंने ग़ैर मुसलिमों के दिलों में इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा पक्षपात व तास्सुबात पैदा कर दिए हैं। दूसरी क़ौमों ने इस्लाम के क़ानून व आदेशों पर इस वजह से ग़ौर करना छोड़ दिया है कि यह एक ख़ास क़ौम का दीन है, जो नस्ल और तहज़ीब (संस्कृति) और दूसरी क़ौमी ख़ुसूसियतों में उनसे बिलकुल जुदा हैसियत रखता है।

मौजूदा मुसलमानों की इस दोरंगी ने हमें मजबूर कर दिया कि हम एक ऐसी जमाअत बनाएँ जिसका सारा लगाव ख़ालिस इस्लाम के उसूलों के साथ हो। वह हर तरह के नस्ली क़ौमी और वतनी तास्सुबों (पक्षपात) से ऊपर उठकर हो। वह ख़ुदा की ज़मीन में ख़ुदा के दीन की अपनी कथनी और करनी दोनों से गवाही दे। हमने इस तरह की जमाअत बनाकर अपना यह फ़र्ज़ समझा है कि हमने जिस दीन को हक़ पाया है उस दीन को सबसे पहले उस देश के वासियों के सामने पेश करें, जिसमें हम पैदा हुए हैं। यह हम किसी स्वार्थ से नहीं कह रहे हैं और इसका उत्प्रेरक तत्व वह प्रेम है जो हमवतन के रिश्ते की वजह से हमें इस देश के हर देशवासी से होना चाहिए और है।

यह ज़माना हज़ारों बुराइयों के साथ अपने अन्दर एक ख़ूबी भी रखता है कि इस ज़माने में अंधी तक़लीद (बिना सोचे-समझे पैरवी करने) का ज़ोर कम हो

गया है। लोग आज़ादी के साथ हर तरह के ख़यालात पर ग़ौर करने लगे हैं। और अकेले उन ख़यालों की ख़ूबी व अच्छाई या कमज़ोरी की बिना पर उनके अच्छे व बुरे का फ़ैसला करने लगे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसी आज़ादी के साथ और बिना पक्षपात के इस्लाम पर ग़ौर करेंगे। अगर लोगों ने ऐसा किया तो हमें यक़ीन है कि वे अपनी सारी परेशानियों का बेहतरीन हल इस्लाम में पाएँगे।

इस ज़माने में दुनिया का मिज़ाज पूरी तेज़ी के साथ इस बात का मुतालिबा कर रहा है कि क़ौमी तास्सुब और नस्ली व वतनी तंगनज़री को छोड़कर सियासत व सामाजिकता की नींव ऐसे विश्वव्यापी नियमों पर रखी जाए जो सारी इनसानी नस्ल को एक बिन्दु पर जमा कर सके। यह मुतालिबा इस दुनिया का प्राकृतिक (नेचुरल) मुतालिबा है और ज़रूरी है कि पूरा हो। अगर यह पूरा न हुआ और दुनिया को ऐसे विश्वव्यापी नियम न मिल सके, जिनपर सारी दुनिया सहमत हो सके, तो इसका लाज़िमी नतीजा तबाही व बरबादी है। यह ज़माना अलग-अलग क़ौमी हुकूमतों का ज़माना नहीं है और न इस बात का ज़माना है कि कोई एक क़ौम सारी दुनिया पर या दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत कर सके। जब तक ये चीज़ें बाक़ी हैं, इसी तरह की हौलनाक तबाहियाँ दुनिया पर आती रहेंगी जिस तरह की हौलनाक तबाही के तमाशे अभी-अभी आप देख चुके हैं। इन सारी मुशकिलों का इलाज सिर्फ़ वही है जो इस्लाम पेश करता है, यानी यह कि इनसान इनसानों पर हुकूमत न करे, बल्कि ख़ुदा इनसानों पर हुकूमत करे, और दुनिया के सारे इनसान सिर्फ़ उस बड़े हाकिम, जो बादशाहों का बादशाह है, के क़ानून की पैरवी करें जो इस सारे जहान का वास्तविक और जाइज़ बादशाह है।

इस्लाम ने हमारे लिए जो जीवन-व्यवस्था पेश की है उसके बुनियादी उसूल दो हैं। एक एकेश्वरवाद और दूसरा मानव-एकता। और ग़ौर कीजिए तो कोई न्यायसंगत और विश्वव्यापी सामूहिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती, जब तक कि दुनिया की क़ौमें इन दोनों उसूलों को स्वीकार न कर लें। जब तक सच्ची ख़ालिस तौहीद (एकेश्वरवाद) का अक़ीदा विभिन्न ख़ुदाओं की फ़रमाबरदारी के दावों को मिटा न दे और सब लोग एक ही आदम की औलाद की हैसियत से एक ही ख़ुदा के भेजे हुए क़ानून को मान न लें, यह दुनिया अनगिनत देवताओं का युद्धस्थल और विभिन्न दावेदारों की जंग का मैदान बनी रहेगी। काले और गोरे का फ़र्क़ बाक़ी रहेगा। शरीफ़ और ग़ैर शरीफ़ में फ़र्क़ बना रहेगा और

अरबी व ग़ैर अरबी आपस में लड़ते रहेंगे। इन दोनों उसूलों को मान लेने के बाद सारी लड़ाइयाँ व झगड़े ख़त्म हो जाएँगे। पूरी दुनिया के इनसान एक ख़ुदा के अधीन और आपस में भाई-भाई बन जाएँगे और उन तमाम भाइयों में कोई फ़र्क़ व भेद जाइज़ न होगा। यानी इस व्यवस्था में सिर्फ़ उन लोगों को बड़ाई प्राप्त होगी जो ख़ुदा के क़ानून की ज़्यादा से ज़्यादा फ़रमाबरदारी करनेवाले और औलादे आदम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इनसाफ़ और भलाई करनेवाले हों और उन लोगों को इस व्यवस्था में कोई स्थान प्राप्त न होगा जो ज़मीन में फ़साद करनेवाले और अपनी बड़ाई और ख़ुदाई के दावे करनेवाले हों। इन बातों को मानने में अगर आपको कुछ संकोच होता है तो इसकी वजह यह है कि आपने इस्लाम पर सीधे तौर पर ग़ौर करने की कभी तकलीफ़ नहीं की, बल्कि इसको सिर्फ़ मुसलमानों के ज़रिए से समझने की कोशिश की है। इसमें शक नहीं कि आप ऐसा करने के हक़दार हैं। हर जीवन-प्रणाली को लोग उसके नाम लेनेवालों ही के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे यह कहने की इजाज़त दीजिए कि इस्लाम के बारे में यह तरीक़ा मुसलमानों के ग़लत रवैये की वजह से बड़ी ग़लतफ़हमी पैदा करनेवाला है। अगर आप इस्लाम की असली सूरत देखना चाहते हैं तो इसकी शक्ल सिर्फ़ एक ही है कि आप इस्लाम पर सीधे तौर से ग़ौर करें। अगर आप इस हैसियत से ग़ौर करेंगे तो हमको यक़ीन है कि आप इस दुनिया के तमाम आज़माए हुए निज़ामों (व्यवस्थाओं) से कहीं ज़्यादा बेहतर पाएँगे। वह ख़ुदा के भेजे हुए सारे नबियों की पाक तालीमात (शिक्षाओं) का सुरक्षित संकलन है। वह ख़ुदा के आख़िरी रसूल (सल्ल०) का लाया हुआ आख़िरी और मुकम्मल दीन है। वह एक सामूहिक और राजनैतिक व्यवस्था की हैसियत से थिओक्रेसी (THEOCRACY), डेमोक्रेसी (DEMOCRACY), एरिस्टोक्रेसी (ARISTOCRACY) की सारी ख़ूबियों का मजमूआ (संग्रह) और उनकी तमाम कमज़ोरियों और ख़राबियों से बिलकुल पाक है। यह अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए बेहतरीन सीरत व चरित्र के आदमी ख़ुद तैयार करता है और इनसान बनाने की यह मशीन भी उसके सिस्टम (System) का एक हिस्सा है जो इस शक्ल में ख़ुद-बख़ुद अपना फ़र्ज़ अंजाम देता है, जबकि उसकी सामान्य व्यवस्था में कोई ख़राबी न पैदा कर दी गई हो।

हज़रात! अब मैं अपनी इस तक़रीर को ख़त्म करता हूँ और आपको दावत देता हूँ कि अगर आपमें से कुछ लोग इस्लाम पर एक जीवन-व्यवस्था की हैसियत से ग़ौर करना चाहें तो उनकी मदद के लिए हमारी ख़िदमात हाज़िर हैं।

आख़िर में मुसलमानों से हमारी यह अपील है कि वे अल्लाह के लिए अपनी दोरंगी को छोड़ें और इस्लाम को, या तो जिस तरह अपनाना चाहिए उस तरह अपनाएँ, या कम से कम इसकी राह में रोड़ा न बनें। इसी तरह ग़ैर मुसलिम भाइयों से हमारी गुज़ारिश है कि वे पराए झगड़ों की वजह से इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी पक्षपात में न पड़ें, बल्कि अल्लाह तआला की इस नेमत की क़द्र करें और इससे फ़ायदा उठाएँ!

# रूदाद मजलिसे शूरा (सलाहकार समिति) जमाअत इस्लामी

**आयोजित** : 15-16, सितम्बर 1946 ई०, दारुल इस्लाम
(क़य्यिम जमाअत की ओर से)

इजतिमा इलाहाबाद, अप्रैल 1946 ई० के मौक़े पर सलाहकार समिति ने यह तय किया था कि आइन्दा सालाना इजतिमा और दूसरे मसाइल पर ग़ौर करने के लिए मजलिसे शूरा (सलाहकार समिति) का अगला इजलास अगस्त 1946 ई० में दारुल इस्लाम (पठानकोट, पंजाब) में बुलाया जाएगा, लेकिन रमज़ान की वजह से यह इजलास अगस्त के बजाए 15, 16 सितम्बर को बुलाए जाने का अमीरे जमाअत ने फ़ैसला किया। इस इजलास की विस्तृत रिपोर्ट नीचे लिखी जाती है।

# पहला इजलास

## दिनांक 15 सितम्बर, 1946 ई० दिन इतवार

एलान के अनुसार मजलिसे शूरा (सलाहकार समिति) का इजलास लाइब्रेरी के कमरे में ठीक 9 बजे शुरू हुआ। अमीर जमाअत के अलावा निम्नलिखित अरकाने शूरा शरीक हुए—

(1) मौलाना अमीन अहसन साहब इस्लाही, दारुल इस्लाम

(2) मौलाना मुहम्मद इसमाईल साहब, वलतना कप्पिम नार्थ अरकाट, मद्रास

(3) मौलाना मसऊद आलम साहब नदवी, दारुल अरूबा, जालंधर

(4) मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार हसन साहब, मोती बाज़ार मालेर कोटला

(5) मलिक नसरुल्लाह ख़ान साहब, अज़ीज़, सम्पादक : कौसर लाहौर

(6) जनाब अब्दुल जब्बार ग़ाज़ी साहब, दारुल इस्लाम

(7) सरदार मुहम्मद अकबर साहब, अरशद मंज़िल, कैमलपुर

(8) सय्यद अब्दुल अज़ीज साहब, शरक़ी, नया महल, जालंधर

(9) खान सरदार अली ख़ाँ साहब, ग्राम सेरे, ज़िला मरदान

(10) जनाब मुहम्मद यूसुफ़ साहब सिद्दीक़ी, मुहल्ला क़ाफ़िला, टोंक राज

(11) चौधरी मुहम्मद शफ़ी साहब, तहलवाड़, ज़िला बाराबंकी, अवध

(12) मियाँ तुफ़ैल मुहम्मद साहब, क़य्यिम जमाअत

क़ाज़ी हमीदुल्लाह साहब सियालकोटी, अपनी बीवी की सख़्त बीमारी की वजह से इजलास में शरीक न हो सके। निम्नलिखित मामले मजलिस के सामने ग़ौर व बहस के लिए रखे गए—

(1) आइन्दा सालाना इजतिमा का मसला।

(2) बैतुलमाल का प्रबंध, मक़ामी और मरकज़ी बैतुलमाल का दस्तूर, आमद व ख़र्च के बारे में ज़रूरी निर्देश, कोषाध्यक्ष और आडीटर (AUDITOR) का चुनाव।

(3) हिन्दुस्तान के मौजूदा हालात में जमाअत की पालिसी।

(4) पत्रिका तर्जुमानुल क़ुरआन का मसला।

(5) तरबियतगाह के प्रोग्राम पर तबसिरा।

(6) अमीर जमाअत की ग़ैर हाज़िरी में जमाअत की व्यवस्था का मामला।

(7) हुकूमत की दिन-ब-दिन बढ़ती इजतिमाई दख़लअंदाज़ी (Socialisation) की पालिसी को देखते हुए जमाअत के लोगों के लिए एक आर्थिक कार्य-पद्धति तय करने का मामला।

(8) जमाअत को ख़िताबे आम (सार्वजनिक भाषण) के लिए तैयार करने का शुरुआती प्रोग्राम।

(9) बाहरी मक़ामात पर ज़िमनी मरकज़ (Sub units) बनें तो वहाँ आबादकारी के लिए क्या नियम हों?

(10) जमाअत के हमदर्दों और जमाअत से प्रभावित लोगों को संगठित करने का मसला।

(11) उश्र के सिलसिले में फ़ैसला।

इन मसाइल पर मजलिसे शूरा में पूर्ण सहमति से निम्नलिखित चीज़ें तय की गईं—

## 1. आइन्दा सालाना इजतिमाआत का मसला

### (अ) इजतिमा-ए-आम की शक्ल

इस बारे में मजलिसे शूरा (सलाहकार समिति) के सामने जो विभिन्न शक्लें थीं, उन्हें पत्रिका 'तर्जुमानुल क़ुरआन' में माह जमादुस्सानी 1365 हिजरी में प्रकाशित करके अरकाने जमाअत से अपील की गई थी कि वे अपने सुझाव और दलीलों से हमें सूचित करें कि इन विभिन्न शक्लों में से कौन-सी शक्ल उनकी राय में सबसे ज़्यादा मुनासिब है और यह कि अगर उन शक्लों के अलावा कोई और शक्ल भी किसी के सामने हो तो वह भी पेश कर दी जाए। बहुत-से अरकान और जमाअतों ने सुझाव भेजे थे, जिनको संकलित करके मजलिसे शूरा के सामने रख दिया गया। मजलिसे शूरा ने हर एक राय के सारे पहलुओं पर विस्तार के साथ बातचीत की। आख़िरकार अमीर जमाअत ने अरकाने शूरा की सर्वसम्मति से आइन्दा इजतिमाआत की निम्नलिखित सूरत तय की—

(i) सालाना इजतिमाआत के उद्देश्य से हिन्दुस्तान को निम्न चार हलक़ों में बाँट दिया जाए: —

(ii) **उत्तरी भारत**—यानी पंजाब, सरहद, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और दिल्ली।

(ii) **पूर्वी भारत**—यानी यू०पी०, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और आसाम।

(iii) **पश्चिम व मध्य भारत**—यानी राजपूताना, मालवा, मुम्बई, सी०पी० और बरार।

(iv) **दक्षिणी भारत**—यानी मद्रास (चेन्नई) मैसूर और हैदराबाद।

(2) इनमें से हर हलक़े का इजतिमा हर साल किया जाए। इस इजतिमा में संबंधित हलक़े से सभी अरकान की शिरकत लाज़िमी हो, सिवाय इसके कि किसी को शरई मजबूरी हो।

(3) जमाअत का इजतिमा-ए-आम भी हर साल किया जाता रहे, मगर इसे उपरोक्त हलक़ेवार इजतिमाआत में से किसी एक के साथ मिलाकर आयोजित कर लिया जाए।

(4) जिस हलक़ेवार इजतिमा के साथ जमाअत का इजतिमा-ए-आम आयोजित किया जा रहा हो, उसमें सम्बन्धित हलक़े के तमाम अरकान को तो लाज़िमी तौर से शरीक होना पड़ेगा। (सिवाय इसके कि किसी को कोई शरई मजबूरी हो।) मगर दूसरे हलक़ों के सिर्फ़ क़य्यिम साहिबान, मक़ामी जमाअतों के अमीर और जहाँ मक़ामी जमाअत में दस या दस से ज़्यादा अरकान मौजूद हों वहाँ से मक़ामी अमीर के अलावा हर दस अरकान पर एक नुमाइन्दे की शिरकत ज़रूरी होगी। बाक़ी अरकान के लिए इजतिमा-ए-आम की हाज़री लाज़िमी नहीं, बल्कि इख़तियारी होगी।

(5) इजतिमा-ए-आम के एलान के साथ वे ज़रूरी हिदायतें भी प्रकाशित कर दी जाया करेंगी, जिन्हें इजतिमा में शरीक होनेवाले को सफ़र और इजतिमागाह में ध्यान में रखना चाहिए। और हमदर्द लोगों से भी मुतालिबा किया जाएगा कि वे हमारे इजतिमाआत में हमारे अनुशासन (नज़्म) की वैसी ही पाबंदी करें जैसी जमाअत के अरकान करते हैं।

## (ब) इजतिमा-ए-आम का प्रोग्राम

(1) इजतिमा-ए-आम से एक दिन पहले मजलिसे शूरा का इजलास करके इजतिमा का प्रोग्राम और दूसरे ज़रूरी मसाइल तय कर लिए जाया करें।

(2) इजतिमा का प्रोग्राम दस्तूर के मुताबिक़ पहले की तरह तीन दिन का रहेगा और इजतिमा को दो प्रकार के इजलासों में बाँट दिया जाएग—

(i) आम इजलास, जिसमें अरकान और हमदर्द और आम सुननेवाले सब शरीक हों।

(ii) ख़ास इजलास, जिसमें सिर्फ़ जमाअत के अरकान ही शरीक हों।

(3) इजलासों की तक़सीम निम्नलिखित होगी—

| | | | |
|---|---|---|---|
| पहला दिन | (1) सुबह | ........... | आम इजलास |
| | (2) तीसरे पहर | ........... | ख़ास इजलास |
| दूसरे दिन | (1) सुबह | ........... | आम इजलास |
| | (2) तीसरे पहर | ........... | आम इजलास |
| तीसरे दिन | (1) सुबह | ........... | ख़ास इजलास |
| | (2) तीसरे पहर | ........... | ख़ास इजलास |
| | (3) रात | ........... | आम जलसा |

आम जलसे में अपनी दावत को तमाम लोगों के सामने बिना किसी धार्मिक भेदभाव के पेश किया जाएगा।

(4) इजतिमा के बाद अगर ज़रूरत समझी जाए तो मजिलसे शूरा के मेम्बरों को एक दिन के लिए रोककर शूरा का इजलास कर लिया जाएगा, ताकि इजतिमा के बीच में जो बातें ग़ौर व फ़िक्र के क़ाबिल सामने आई हों, उनपर ग़ौर व फ़िक्र कर लिया जाए।

(5) आम इजतिमा में क़य्यिम जमाअत की रिपोर्ट के अलावा सिर्फ़ उस हलक़े के क़य्यिम साहबान की रिपोर्टें पेश होंगी जिसमें आम इजतिमा आयोजित किया गया हो।

(6) जमाअत के जो लोग अपनी दावत को तहरीर (लेख) व तक़रीर के ज़रिए पेश करने की सलाहियत रखते हैं, उनके लिए आम इजतिमा से पहले ख़ुद उनकी राय-मशविरे से विषय और नाम तय कर दिए जाएँगे और वे इजतिमा के मौक़े पर अपने लेखों और तक़रीरों के ज़रिए जमाअत की दावत को विभिन्न पहलुओं से पेश करेंगे।

(7) हलक़ेवार इजतिमाआत का प्रोग्राम भी हर मुमकिन हद तक वही होगा जो हर आम इजतिमा के लिए ऊपर तय किया गया है और इन इजतिमाआत में भी सिर्फ़ सम्बन्धित हलक़े के क़य्यिम साहिबान ही अपनी सालाना रिपोर्टें पेश करेंगे।

## 2. बैतुलमाल की व्यवस्था

मरकज़ी और मक़ामी बैतुलमाल चूँकि अब काफ़ी तरक़्क़ी कर गए हैं, इसलिए अब ज़रूरत महसूस की गई है कि उनके लिए भी एक ज़ाब्ता बना दिया जाए। इसलिए मजलिसे शूरा में निम्न ज़ाब्ते पर सहमति हुई—

(i) मरकज़ी बैतुलमाल—मरकज़ी बैतुलमाल अमीर जमाअत के अधीन होगा। इसके लिए एक कोषाध्यक्ष और एक अकाउन्टेन्ट नियुक्त किया जाएगा और हर मुमकिन हद तक कोशिश की जाएगी कि एक से अधिक पद एक व्यक्ति के पास न हो।

(ii) मरकज़ी बैतुलमाल का एकाउन्टेन्ट सिर्फ़ उसी बैतुलमाल का अकाउन्टेन्ट नहीं होगा, बल्कि उसका काम मक़ामी बैतुलमालों के हिसाबों को भी चेक करना और उनका रिकार्ड भी रखना होगा।

(iii) मरकज़ी बैतुलमाल के हिसाबात की जाँच हर साल के अन्त में किसी भरोसेमंद हिसाबात के माहिर (अकाउन्टेन्ट) से कराई जाती रहेगी।

(iv) हर साल जमाअत के हिसाबात मजलिसे शूरा के सामने और अगर मुमकिन हो तो इजतिमा-ए-आम में पेश किए जाते रहेंगे और जमाअत के हर रुक्न को उनपर तनक़ीद (टिप्पणी) का अधिकार होगा तथा जमाअत के हर रुक्न को हर वक़्त यह हक़ हासिल होगा कि वह जब चाहे मरकज़ी बैतुलमाल के हिसाबात की जाँच का मुतालिबा करे।

(v) मरकज़ी बैतुलमाल में जितनी रक़में वसूल होंगी, उनकी बाक़ायदा रसीदें दी जाएँगी और ये रसीदें अमीरे जमाअत या उनके नायब के दस्तख़त से जारी होंगी। तथा बैतुलमाल से जो रक़में ख़र्च होंगी उनकी भी रसीदें हासिल करने की व्यवस्था की जाएगी, सिवाय इसके कि ऐसा होना मुमकिन न हो।

(vi) कोषाध्यक्ष और आडीटर (AUDITOR) का चुनाव मजलिसे शूरा के मशविरे से किया जाएगा।

(vii) बैतुलमाल के ख़र्च अमीरे जमाअत की मंज़ूरी से होंगे और अमीरे जमाअत को अधिकार होगा कि मरकज़ के विभिन्न विभागों के ज़िम्मेदार कारकुनों को जितनी रक़म ख़ुद अपने अधिकार से ख़र्च करने की इजाज़त मुनासिब समझे, दे।

(viii) बैतुलमाल और उसके ख़र्च के लिए अमीरे जमाअत पूरी जमाअत के समाने जवाबदेह होगा।

**नोट** : मजलिसे शूरा की राय से जनाब मुहम्मद अब्दुल जब्बार साहब ग़ाज़ी को मरकज़ी बैतुलमाल का कोषाध्यक्ष और जनाब ए० आर० सूफ़ी साहब को आडीटर (AUDITOR) चुना गया।

यह चुनाव एक साल के लिए है।

# मक़ामी (स्थानीय) बैतुलमाल

(1) हर मक़ामी जमाअत का बैतुलमाल मक़ामी अमीर के तहत होगा।

(2) अगर मुमकिन हो तो हर मक़ामी जमाअत को अपने अरकान में से एक कोषाध्यक्ष और एक अकाउन्टेंट चुन लेना चाहिए और इस बात का एहतिमाम करना चाहिए कि कोषाध्यक्ष और अकाउन्टेंट के पद एक ही व्यक्ति के पास न हों तथा कोषाध्यक्ष और अकाउन्टेंट मक़ामी जमाअत के अमीर के अलावा दूसरे लोग हों।

अगर कोई मक़ामी जमाअत इतनी छोटी हो कि ये ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग लोगों को न दी जा सकें तो अस्थाई रूप में जो व्यवस्था भी मुमकिन हो, कर ली जाए। मगर जमाअत के बढ़ जाने की सूरत में जल्द से जल्द बैतुलमाल के बंदोबस्त की उपरोक्त शक्ल अपना लेनी चाहिए।

(3) बैतुलमाल मे जो रक़में वसूल हों उनकी बाक़ायदा रसीदें जारी करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई रक़म ऐसी न हो जिसकी रसीद न दी गई हो।

(4) मक़ामी बैतुलमाल का ज़िम्मेदार, हालाँकि मक़ामी अमीर होगा, लेकिन बैतुलमाल के ख़र्चों के सिलसिले में मक़ामी अमीर को मुमकिन हद तक अपनी जमाअत के मशविरे से काम करना चाहिए और अगर किसी मौक़े पर किसी हँगामी ज़रूरत के लिए मक़ामी अमीर कोई रक़म ख़र्च करे तो वह क़रीब के हफ़्तेवार इजतिमा में मक़ामी जमाअत की जानकारी में आ जानी चाहिए।

अगर किसी रक़म के ख़र्च पर मक़ामी जमाअत एतिराज़ करे तो इस मामले में मरकज़ से राबिता क़ायम किया जाए।

(5) हर मक़ामी अमीर को बैतुलमाल का हिसाब अपनी जमाअत के सामने माहाना पेश करना चाहिएँ। और मक़ामी जमाअत को उनपर आज़ादी के साथ खुलकर कहने-सुनने का मौक़ा देना चाहिए तथा जमाअत के हर रुक्न को हर वक़्त यह हक़ हासिल होना चाहिए कि वह जब चाहे मक़ामी अमीर से बैतुलमाल के हिसाब जाँचने का मुतालबा करे।

(6) हर मक़ामी जमाअत को हर तीन महीने के अपने हिसाबात पाबंदी से मरकज़ में भेजने चाहिएँ। और ये हिसाबात मक़ामी रिपोर्टों में शामिल न

किए जाएँ बल्कि अलग काग़ज़ पर लिखकर भेजे जाएँ।

(7) अगर किसी मक़ामी बैतुलमाल में इतनी रक़म जमा हो जाए जो मक़ामी ज़रूरतों से ज़्यादा हो तो यह ज़्यादा रक़म मरकज़ी बैतुलमाल में भेज दी जाया करे।

(i) यह फ़ैसला करना कि मक़ामी ज़रूरतों से ज़्यादा रक़म क्या है और कितनी है? मक़ामी जमाअत ही का काम होगा जिसको वह आपसी सलाह-मशविरे से तय करेगी।

(ii) मरकज़ को यह हक़ होगा कि अगर किसी वक़्त उसको रक़म की ज़रूरत हो तो वह मक़ामी जमाअतों से मदद ले और इस सूरत में मक़ामी जमाअतों को बहुत-सी मक़ामी ज़रूरतों को नज़रअन्दाज़ करके भी अपने बैतुलमालों से मरकज़ की मदद करनी होगी।

(8) अगर किसी मक़ामी जमाअत को अपनी ज़रूरतों के लिए मरकज़ से मदद की ज़रूरत हो तो वह अपनी ज़रूरतें वाज़ेह करके अमीर जमाअत से मदद की दरख़्वास्त कर सकती है।

(9) एक मक़ामी बैतुलमाल से दूसरे मक़ामी बैतुलमाल में कोई रक़म मरकज़ की मंज़ूरी के बिना नहीं जानी चाहिए।

**नोट** : रसीद बुकें मरकज़ से छपवाकर मक़ामी बैतुलमालों में भेजी जाएँगी।

मजलिसे शूरा (सलाहकार समिति) का यह इजलास साढ़े बारह 12:30 बजे ख़त्म हुआ।

# दूसरा इजलास

मजलिसे शूरा (सलाहकार समिति) का दूसरा इजलास ज़ुह्र की नमाज़ के बाद 3 बजे शुरू हुआ और एजेंडे की सूची न० 3 से कार्रवाई शुरू हुई।

## 3. हिन्दुस्तान के मौजूदा हालात में जमाअत की पॉलिसी

इस मसले पर बहुत लम्बी और तफ़सीली बातचीत और सोच-विचार के बाद निम्न बातें तय की गईं—

(1) हिन्दुस्तान के मौजूदा हालात और आम राजनैतिक माहौल पर एक दलीलों के साथ तफ़सीली और न्याय पर आधारित बयान प्रकाशित किया जाए कि हमारी राय में ये हालात और यह राजनैतिक माहौल किस चीज़ का नतीजा है और एक हक़परस्त इनसान को इस समय काम करने का क्या ढंग अपनाना चाहिए। यह बयान अमीर जमाअत तरतीब देकर प्रकाशित करेंगे।

(2) मौजूदा साम्प्रदायिक कशमकश के सिलसिले में अगर आम मुसलमान हड़तालें करें तो मौजूदा राजनैतिक दलों में से किसी के राजनैतिक विरोध प्रदर्शन में शिरकत की नीयत से नहीं, बल्कि सिर्फ़ बुराई से बचने की नीयत से जमाअत के व्यापारी और कारख़ानेदार अरकान भी अपनी दुकानें (और कारोबार) बंद कर दिया करें। तथा जहाँ बुराई का अन्देशा हो वहाँ ग़ैर मुसलिमों की हड़तालों के मौक़े पर भी ऐसा ही अमल किया जाए।

(3) हमसे सवाल किया गया है कि अगर मुसलिम लीग अपने डायरेक्ट एक्शन की पॉलिसी पर अमल करे और इस सिलसिले में राजस्व और कर न देने या नौकरियाँ छोड़ देने के आदेश आम मुसलमानों को दे तो जमाअत की पॉलिसी क्या होगी? इस मामले में अमली तौर पर जिन हिदायतों की ज़रूरत है, वे तो अमली तौर पर उसी वक़्त दी जाएँगी जब हक़ीक़त में ऐसी कोई सूरत पैदा होगी लेकिन फ़ौरी तौर पर हम उसूली तौर से अपनी पॉलिसी स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ग़ैर इस्लामी शासन-व्यवस्था को ग़लत और बातिल और फ़ासिद और उससे सहयोग को हराम जानने की हद तक हमारी जो पॉलिसी है उसको हम बहुत बार स्पष्ट कर चुके हैं। मुसलमानों की राजनैतिक पार्टियाँ अगर इस शासन-व्यवस्था से किसी मौक़े पर असहयोग या संबंध त्यागने की अपील करेंगी तो सिर्फ़ एक सियासी

तदबीर के तौर पर करेंगी न कि एक स्थाई दीनी अक़ीदे (धार्मिक विश्वास) के रूप में, लेकिन हमारा तो पक्का और स्थाई दीनी अक़ीदा ही यही है कि हर वह शासन-व्यवस्था बातिल (असत्य) है जो ख़ुदा की इताअत (आज्ञापालन) और उसके क़ानून की पैरवी पर आधारित नहीं है। रहा अमली तौर पर उससे असहयोग और संबंध तोड़ना, तो इस मामले में हमारे दस्तूरे जमाअत (जमाअत के संविधान) के ज़रिए से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि ऐसी किसी शासन-व्यवस्था के साथ सहयोग की नीयत से सहायता करना हराम है और स्थाई तौर पर हराम है न कि किसी सियासी शिकायत की वजह से। और ऐसा संबंध जो इस्लामी आन्दोलन की जिद्दोजुहद के लिए ज़रूरी या मददगार हो, हलाल है; बल्कि कुछ सूरतों (हालतों) में ज़रूरी भी है, और ऐसा संबंध जो सिर्फ़ व्यक्तिगत मजबूरी के तौर पर किसी व्यक्ति को रखना पड़े (जैसे नौकरी या कर या राजस्व देना आदि) मजबूरन सिर्फ़ उस वक़्त तक गवारा किया जा सकता है, जब तक कोई व्यक्ति उससे बचने की अमलन ताक़त न रखता हो, और ऐसे संबंध से बचना जब कभी हो, हराम से बचने की नीयत से होना चाहिए, न कि किसी क़ौमी या सियासी शिकायत पर विरोध की नीयत से। बहरहाल इस मामले में हमारा और सियासी पार्टियों का साथ किसी तरह निभ नहीं सकता। क्योंकि हम हराम व हलाल की हदें शरीअत से लेते हैं और ये हदें स्थाई हैं और वे इन कामों का फ़ैसला सियासी ज़रूरतों और हितों की बुनियाद पर करते हैं, इसलिए उनके यहाँ एक चीज़ आज हलाल है और कल हराम है और परसों फिर हलाल हो जाती है।

(4) यह सवाल भी किया जा रहा है कि अगर कहीं दंगे हों तो हम क्या रवैया अपनाएँ। इस सिलसिले में आम हिदायतें इससे पहले (मासिक पत्रिका) "तरजुमानुल क़ुरआन" में दी जा चुकी हैं।

अब मजलिसे शूरा (सलाहकार समिति) काफ़ी ग़ौर-फ़िक्र के बाद निम्न हिदायतें देती है—

(i) आम दंगे की हालत में जमाअत के अरकान के लिए अपनी हिफ़ाज़त का सबसे बड़ा ज़रिआ उनका अपना अख़लाक़ी रवैया और उनका क़ौमी व नस्ली पक्षपात से ऊपर उठकर भलाई व नेकी की अमली तौर पर दावत देना है। इस मामले में जमाअत के अरकान जितने ज़्यादा ईमानदार और झगड़े-फ़साद से दूर होंगे और जिस हद तक

ज़्यादा भलाई करने और भलाई की तरफ़ बुलाने में सरगर्म होंगे, उतने ही ज़्यादा आम फ़ितने की आग से उनका सुरक्षित रहना मुमकिन है और जितना ज़्यादा बेअमल रहेंगे उतना ही ज़्यादा ख़तरे में रहेंगे।

(ii) अगर फ़साद (दंगा) की हालत में कोई जमाअत का रुक्न घिर जाए और उसपर हमला किया जाए तो मुमकिन हद तक उन हमलावरों को नसीहत करनी चाहिए और अगर इसका मौक़ा न हो तो वे अपनी हिफ़ाज़त और बचाव के लिए हाथ उठा सकता है। इस सूरत में अगर उसके हाथ से कोई मारा जाए तो मक़तूल के ख़ून (हत्या) की ज़िम्मेदारी शरई तौर पर ख़ुद मक़तूल पर होगी। हिफ़ाज़त और बचाव में हाथ उठानेवाला ख़ुदा के नज़दीक बरी होगा, और अगर अपना बचाव करनेवाला ख़ुद मारा जाए तो वह इनशाअल्लाह शहीद होगा।

(iii) अगर जमाअत के किसी रुक्न के सामने हिन्दुओं या मुसलमानों का कोई गिरोह किसी मज़लूम पर हाथ उठा रहा हो तो उसको रोकने और मज़लूम को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, यहाँ तक कि इस सिलसिले में ख़ुद अपनी जान भी ख़तरे में पड़ जाए तो उस ख़तरे को भी बर्दाश्त कर लिया जाए।

(iv) दंगे की हालत में अगर कोई व्यक्ति या ख़ानदान ख़तरे में फँसा हो, चाहे वह मुसलिम हो या ग़ैर मुसलिम और चाहे वह ख़ुद पनाह माँगे या न माँगे, अपनी तरफ़ से कोशिश करके उसे अपनी पनाह में ले लिया जाए और अपने आपको ख़तरे में डालकर भी उसकी हिफ़ाज़त की जाए।

(v) दंगों के ज़माने में जब कभी और जहाँ कहीं भी मौक़ा मिले आम इनसानों को और अगर मुमकिन हो तो दंगे भड़कानेवाले सरग़नों को समझाने की कोशिश की जाए, उनको ख़ुदा से डराया जाए। अगर वे मुसलमान हों तो उनको दीन का हक़ीक़ी मक़सद और उसके हासिल करने का सही तरीक़ा बताया जाए और उनपर यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यह क़ौमी कशमकश और उसके लिए ये दंगे-फ़साद किसी दर्जे में भी अल्लाह के यहाँ पसंद नहीं है और अगर वे ग़ैर मुसलिम हों तो उनपर नैशनलिज़्म (राष्ट्रवाद) के संगीन नतीजे स्पष्ट किए जाएँ।

(vi) आम तरह की आर्थिक हड़तालें, अगर कहीं हों और हमारी जमाअत के अरकान उनकी लपेट में आते हों, तो उन्हें काम छोड़ने की हद तक तो हड़ताल में हिस्सा लेना चाहिए। मगर उसके साथ अपना दृष्टिकोण भी साफ़ कर देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि हम हड़ताल सिर्फ़ झगड़े से बचने के लिए कर रहे हैं, वरना हम दोनों पक्षों में ये और ये ख़राबियाँ देखते हैं, उनकी फ़लाँ-फ़लाँ बातें हक़ व इनसाफ़ पर आधारित हैं और फ़लाँ-फ़लाँ बातें हक़ व इनसाफ़ (न्याय) के ख़िलाफ़ हैं और हमारी जमाअत आर्थिक इनसाफ़ और सामूहिक न्याय की स्थापना के लिए ख़ुद अपना एक स्थाई दृष्टिकोण रखती है।

(मजलिसे शूरा का यह इजलास शाम पाँच बजे ख़त्म हुआ।)

# तीसरा इजलास

(दिनांक 17 सितम्बर 1946 ई० दिन मंगल)

16 सितम्बर 1946 ई० को मजलिसे शूरा का कोई इजलास नहीं हुआ क्योंकि लगभग सब लोग अबू इरफ़ान साहब मरहूम के जनाज़े में शिरकत के लिए टिबरी, निकट गुरदासपुर चले गए थे।

मरहूम की लाश के मिलने की ख़बर सुबह साढ़े आठ बजे के क़रीब टेलीफ़ोन के द्वारा दारुलइस्लाम पहुँची और उसी वक़्त सब लोग टिबरी चले गए। मरहूम को उसी दिन अस्र के वक़्त ग्राम चावा के क़ब्रिस्तान में दफ़न किया गया। यह क़ब्रिस्तान टिबरी के बंगला नहर के दक्षिण पूर्व की ओर कोई एक मील के फ़ासले पर सड़क के किनारे है।

मजलिसे शूरा का तीसरा इजलास 17 सितम्बर को सबह 9 बजे शुरू हुआ और उसमें एजेंडे की सूची न० 4 से कार्रवाई की शुरुआत हुई।

## 4. तरजुमानुल क़ुरआन की मिलकियत के स्थानान्तरण का मसला

जून 1946 ई० में अमीर जमाअत ने यह इरादा ज़ाहिर किया था कि वे पत्रिका "तरजुमानुल क़ुरआन" को बिला किसी मुआवज़े के जमाअत की मिलकियत में दे देना चाहते हैं और आइन्दा इस पत्रिका के सम्पादन की ज़िम्मेदारी भी बिला किसी मुआवज़े के पूरी करते रहेंगे। इस मौक़े पर मजलिसे शूरा के कुछ अरकान ने उनको राय दी थी कि अगली मजलिसे शूरा के इजतिमा तक इन्तिज़ार करें। इसलिए अब मजलिसे शूरा के सामने उन्होंने फिर अपने इस इरादे का इज़हार किया। मजलिस ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ग़ौर किया और आख़िरकार इस नतीजे पर पहुँची कि यह मामला और ग़ौर व फ़िक्र चाहता है इसलिए इसे अभी स्थगित कर दिया जाए।

## 5. तरबियतगाह का प्रोग्राम

तरबियतगाह के ज़िम्मेदार ने इस संस्था का संक्षिप्त इतिहास और उसका मौजूदा प्रोग्राम मजलिसे शूरा के सामने बयान किया और फिर अमीर जमाअत ने उसकी और ज़्यादा व्याख्या की और उसके अब तक के नतीजों को भी पेश किया।

विभिन्न अरकाने शूरा ने विभिन्न सुझाव दिए, इनशाअल्लाह तरबियतगाह (प्रशिक्षण केन्द्र) के प्रोग्राम में उनका ख़याल रखा जाएगा।

## 6. अमीर जमाअत की ग़ैर मौजूदगी में जमाअत के अनुशासन का मसला

मजलिसे शूरा के मशविरे से अमीर जमाअत ने तय किया कि उनकी ग़ैर मौजूदगी में मौलाना अमीन अहसन साहब इस्लाही नायब अमीर (उपाध्यक्ष) के तौर पर काम करेंगे और इस बीच में सिर्फ़ मरकज़ ही में नहीं, बल्कि पूरी जमाअत में उनके अधिकार वही होंगे जो अमीर जमाअत के हैं।

**नोट** : अमीर जमाअत को पिछले साल-भर के यूनानी और होम्योपैथिक और दूसरे इलाजों के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुर्दे में पथरी उसी साइज़ में मौजूद है जिस साइज़ में दिसम्बर 1945 ई० में मौजूद पाई गई थी। अब ऑपरेशन का पक्का इरादा कर लिया गया है और वे इसकी तैयारी के लिए 25 सितम्बर को शिमला चले गए हैं। अल्लाह तआला उन्हें ख़ैरियत से वापिस लाए!

(मजलिसे शूरा का यह इजलास 12:30 बजे दोपहर ख़त्म हुआ।

# चौथा इजलास

मजलिसे शूरा का चौथा इजलास ज़ुहर की नमाज़ के बाद 3 बजे शुरू हुआ और उसमें निम्नलिखित कार्रवाई हुई—

## 7. हुकूमत की रोज़ बढ़ती सामूहिक दख़लअन्दाज़ी की पॉलिसी के पेशेनज़र जमाअत के लोगों के लिए आर्थिक नीति

इस मसले पर ग़ौर व फ़िक्र और तफ़सीली बातचीत के बाद मजलिसे शूरा ने तय किया कि हिन्दुस्तान में हुकूमत जिस रफ़तार से उद्योगों और व्यापारों और दूसरे आर्थिक साधनों पर सामूहिक समाजीकरण (Socialisation) क़ायम करने की कोशिश कर रही है, उसपर और उसके नतीजों पर जमाअत की तरफ़ से अमीरे जमाअत एक बयान जारी करें और जल्दी से जल्दी मरकज़ में जमाअत के ऐसे लोगों की एक कान्फ्रेंस (मजलिसे मुशावरत) आयोजित की जाए जो आर्थिक मामलों में गहरी नज़र रखते हों और यह राय क़ायम की जाए कि इस सामूहिक दख़लअन्दाज़ी के पूरा होने से पहले तहरीके इस्लाम के हामियों की आज़ादि-ए-हयात और आज़ादि-ए-ज़मीर (वैचारिक स्वतंत्रता) को बाक़ी रखने के लिए क्या तदबीरें अपनाई जाएँ।

अगर ज़रूरत महसूस हो तो इस मक़सद के लिए जमाअत के हमदर्दों को भी मुशावरत में शामिल कर लिया जाए।

## 8. ख़िताबे आम का मामला

तहरीके इस्लामी अब इस मकाम के क़रीब पहुँच गई है, जहाँ उसे आम इनसानों को ख़िताब करना होगा। इस मौक़े पर जमाअत का सही नुमाइन्दगी के लिए ज़रूरी है कि जमाअत के वही लोग ख़िताबे आम का काम करें जो इसके लायक़ हों। लिहाज़ा मजलिसे शूरा ने तय किया कि इससे पहले कि जमाअत के किसी रुक्न को ख़िताबे आम (जुमे का ख़ुतबा भी इसी में शामिल है) की इजाज़त दी जाए। उसके बारे में गह इतमीनान कर लेना चाहिए कि वह जमाअत की सही नुमाइंदगी कर सकता है। इस मक़सद के लिए निम्न सवाल तरतीब देकर मक़ामी जमाअतों और अकेले अरकान को भेज दिए जाएँ और जो लोग ख़िताबे आम का भी काम करना चाहते हों, या करते हों उनसे इन सवालों का लिखित जवाब माँगा जाए:

(i) क्या आप तक़रीर के ज़रिए से जमाअत के नज़रिए की सही नुमाइंदगी कर सकते हैं ?

(ii) क्या आप तक़रीर के बीच में अपने विषय से हट तो नहीं जाते ?

(iii) क्या आपमें इतनी अख़लाक़ी हिम्मत है कि अगर जनसभा में, जबकि आप तक़रीर कर रहे हों, आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब देने की क़ाबिलियत आपमें न हो तो आप साफ़ स्वीकार कर लें कि आप इसका जवाब नहीं दे सकते ?

(iv) क्या आपमें इतनी सहनशीलता है कि अगर तक़रीर के बीच में आप पर उत्तेजक आपत्तियों और हमलों की बौछार कर दी जाए तो आप अपने नफ़्स पर क़ाबू रख सकें ?

इन सवालों के जवाब न सिर्फ़ तक़रीर करनेवालों से माँगे जाएँ बल्कि मक़ामी जमाअत के दूसरे अरकान से भी मालूम किए जाएँ कि उनके इल्म और तजुर्बे में एक तक़रीर करनेवाला उपरोक्त कसौटी पर कहाँ तक पूरा उतरता है।

अमीरे जमाअत के मुक़र्रर किए हुए तक़रीर करनेवालों का पहला ग्रुप मैदान में आ जाने के बाद किसी दूसरे रुक्ने जमाअत को अमीरे जमाअत की इजाज़त के बिना आम ख़िताब करने का हक़ न होगा।

## 9. ज़िमनी मरकज़ों के लिए आबादकारी के क़ायदे

इस मसले पर मजलिसे शूरा ने अपने आलिमे दीन रुफ़क़ा के मशविरे से निम्न बातें तय कीं—

(i) हिन्दुस्तान के विभिन्न भागों में जमाअत के मक़सद के लिए जितनी जायदादें वक़्फ़ की जाएँ उन सबके वक़्फ़नामे में यह शर्त ज़रूरी शामिल होनी चाहिए कि उनका मुतवल्ली (संरक्षक) अमीर जमाअत इस्लामी बहैसियत ओहदा होगा और किसी ऐसे वक़्फ़ को क़बूल न किया जाए जब तक वक़्फ़ करनेवाला इस शर्त पर राज़ी न हो।

(ii) अमीरे जमाअत को अधिकार होगा कि ऐसे तमाम वक़्फ़ की व्यवस्था अमली तौर पर किसी मक़ामी जमाअत को सौंप दें (अगर मक़ामी जमाअत हो) या सीधे तौर से अपने इन्तिज़ाम में रखे।

(iii) ऐसे वक़्फ़ में इमारतें बनाने और दूसरी तरह उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जिसको जो इजाज़त भी दी जाएगी, शरीअत के क़ानून वक़्फ़ के तहत दी जाएगी।

## 10. हमदर्दों को संगठित करने का मसला

मजलिसे शूरा के मशविरे से अमीर जमाअत ने तय किया कि सारी जमाअतों और तनहा अरकान को हिदायतें भेजी जाएँ कि वे अपने आसपास में जमाअत के हमदर्दों और प्रभावित लोगों की सूची बनाएँ और आइंदा जो-जो लोग मुसलिमों या ग़ैर मुसलिमों में से प्रभावित होते जाएँ या अरकान के इल्म में आएँ कि वे प्रभावित हैं, उनके नाम भी लिखे जाते रहें।

(i) इन सूचियों को अरकान व्यक्तिगत रूप में क्रमबद्ध करते रहें और वक़्त-वक़्त पर मक़ामी अमीर के पास उनको एक साथ लिखवाते रहें, फिर मक़ामी अमीर उस पूरी सूची को अपनी तिमाही (तीन महीने) की रिपोर्टों के साथ अपने हलक़े के क़य्यिम (सचिवों) को भेज दिया करें कि इस तिमाही में कौन-कौन प्रभावित हुए हैं या प्रभावितों में से इल्म में आए हैं।

**नोट** : मक़ामी अमीरों की तिमाही रिपोर्टों से मुराद मुहर्रम, रबीउस्सानी, रजब और शव्वाल की रिपोर्टें हैं।

(ii) इस बात में सख़्त सावधानी बरती जाए कि उन हमदर्दों या प्रभावित लोगों को कहीं इस ग़लतफ़हमी में पड़ने का मौक़ा न दे दिया जाए कि जमाअत की व्यवस्था में उनका कोई स्थान है या जमाअत में दाख़िल हुए बिना सिर्फ़ हमदर्दी का मक़ाम भी किसी के लिए काफ़ी हो सकता है।

(iii) अरकान और मक़ामी अमीर सूचियों में नाम लिखने के साथ-साथ यह बात भी लिखते जाएँ कि कौन व्यक्ति किस दर्जे में हमदर्द है, जमाअत के काम में किस हद तक उसकी हमदर्दी से फ़ायदा उठाया जा सकता है और उसके विचार और ज़िन्दगी कहाँ तक तहरीक से प्रभावित है।

(iv) जमाअत के अरकान को उन प्रभावितों के साथ अपने संपर्क बढ़ाने चाहिएँ और कोशिश करनी चाहिए कि उनको जमाअत से क़रीब से क़रीब लाएँ और उनके हलक़े में जमाअत की दावत को फैलाने के लिए उनसे काम लें। कभी-कभी उनको अपनी विशेष सामूहिक कामों (जैसे इजतिमाआत आदि) में भी बुलाया जाता रहे।

## 11. उश्र का मसला

विभिन्न जगहों से हमारे पास यह सवाल आया है कि जमाअत के दस्तूर के

मुताबिक़ जमाअत के अरकान को पाबन्द किया गया है कि वे अपनी जक़ात बैतुलमाल में दाख़िल करें, तो क्या ज़मींदार व काश्तकार अरकान को अपनी ज़मीनों की पैदावार का उश्र भी बैतुलमाल में जमा करना चाहिए? चूँकि हिन्दुस्तान के उलमा आम तौर पर यह मसलक रखते हैं कि यहाँ की ज़मीनें ख़िराजी (भूमिकर की) हैं और यहाँ उश्र वाजिब नहीं है। इसलिए जमाअत के अरकान इस मामले में दुविधा में पड़े हुए हैं।

मजलिसे शूरा के आयोजन से पहले ही यह मसला राय लेने के लिए जमाअत के विभिन्न उलमा के पास भेज दिया गया था और जो राएँ उसके जवाब में आई थीं वे सब मजलिसे शूरा के सामने पेश कर दी गईं। इसके बाद मजलिसे शूरा के उलमा अरकान ने सर्वसम्मति से यह फ़ैसला किया कि :

"किसी ग़ैर इस्लामी हुकूमत को टैक्स देने से अल्लाह तआला का हक़ ख़त्म नहीं होता। अत: जमाअत के जो अरकान ज़मीनें रखते हैं या खेती का काम करते हैं, उनको अपनी पैदावार की ज़कात (उश्र) बैतुलमाल में जमा करनी होगी।"

## 12. सामूहिक मक़ासिद के लिए ज़मीन-जायदादों की ख़रीद व बिक्री के लिए रजिस्टर्ड मजलिस (REGISTERED BODY) की स्थापना

चूँकि हिन्दुस्तान में कोई जमाअत या अनजुमन, जब तक रजिस्टर्ड जमाअत (REGISTERED BODY) की शक्ल में न हो तो कोई जायदाद न ख़रीद सकती है और न उसके स्थानान्तरण के बारे में कोई दूसरी कार्रवाई कर सकती है, इसलिए इजलास के बीच में यह सवाल पैदा हुआ कि इस मामले पर भी ग़ौर किया जाए। चूँकि जमाअती काम के और अधिक विस्तार के लिए ज़रूरी है कि देश के विभिन्न भागों में ज़मीनें हासिल की जाएँ। इसलिए मामले के सारे पहलुओं पर ग़ौर करने के बाद यह तय हुआ कि जमाअत के विश्वासपात्र अरकान की एक सोसाइटी (मजलिस) इस मक़सद के लिए बना दी जाए कि वह अपने आपको एक रजिस्टर्ड बॉडी की शक्ल दे ले और यह रजिस्टर्ड बॉडी इस मक़सद के लिए हो कि जमाअत के मक़ासिद के लिए जो ज़मीनें हमें ख़रीदनी पड़ें, वे सब इस बॉडी के नाम पर ख़रीदी जाएँ।

मजलिसे शूरा का यह इजलास लगभग 9:30 बजे शाम ख़त्म हुआ, बीच में सिर्फ़ अस्र की नमाज़ के लिए वक़्फ़ा किया गया।

# बैतुलमाल के बारे में हिदायतें

अमीरे जमाअत ने मजलिसे शूरा के मशविरे से यह तय किया है कि—

(1) जमाअत के वे तमाम अरकान जो साहिबे निसाब हों, अपनी ज़कात (उश्र का भी यही हुक्म है) लाज़िमी तौर से बैतुलमाल में जमा करें। अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़कात अपने रिश्तेदारों या किसी दूसरे ख़ास ज़रूरतमंद एक या अधिक लोगों को पहले से देता रहा हो और उसकी राय में ज़कात वहीं देना ज़रूरी और मुनासिब हो, तो उसको भी लाज़िम है कि पहले अपनी ज़कात बैतुलमाल में जमा करे और फिर मक़ामी अमीर को उन ज़रूरतमंदों की सूची देकर, चाहे जमाअत के ज़रिए से या बैतुलमाल से माँगकर ख़ुद, यह रक़म हक़दारों को पहुँचा दे। मगर वह सूची देना हुक्म की हैसियत से नहीं, बल्कि उसकी हैसियत मशविरे और सिफ़ारिश की होगी।

(2) हर मक़ाम की जमाअत अपने आसपास की आबादी का जायज़ा लेकर यह मालूम करे कि उसमें ज़कात के हक़दार कौन-कौन लोग हैं। मिसकीन (निर्धन), यतीम बच्चे, विधवा (बेवा) औरतें, अपाहिज (विकलांग) और ऐसे बेरोज़गार लोग जो कुछ मदद पाकर अपने पाँव पर खड़े हो सकें, उनकी सूची बनाई जाए और उनको ज़कात पहुँचाने का बाक़ायदा इनतिज़ाम किया जाए। अगर बैतुलमाल में ज़कात की रक़में उसके लिए काफ़ी हों तो आपसी सलाह-मशविरे से उन लोगों के माहाना वज़ीफ़े तय कर दिए जाएँ। वरना एक साथ उनमें ज़कात की रक़म बाँट दी जाए। लेकिन मुसाफ़िरों की मदद और ग़रीबों की हँगामी और वक़्ती ज़रूरतें जैसे बीमारी कफ़न-दफ़न और हादसों की सूरत में मदद की गुंजाइश रखी जाए तथा ज़कात की इस तक़सीम में इस बात का ख़याल रखा जाए कि हमें न सिर्फ़ उन लोगों की मदद करनी है बल्कि उस मदद को उनकी अख़लाक़ी और दीनी इस्लाह के लिए भी इस्तेमाल करना है। ज़कात की तक़सीम के बारे में यह सावधानी भी रखी जाए कि जिन लोगों की मदद बैतुलमाल से की जाए उनको व्यक्तिगत तौर पर अपना शुक्रगुज़ार बनाने या उनपर अपना ज़ाती असर क़ायम करने का ख़याल तक हमारे कार्यकर्ताओं की नीयतों में शामिल न होने पाए और न इस्लाह में ऐसा ढंग अपनाया जाए, जिससे वे उजरत की नमाज़ पढ़ने लगें।

(3) ज़कात की मद से जमाअत के काम भी किए जा सकते हैं जैसे—

(i) दीन की दावत के सिलसिले में सफ़र के ख़र्च,

(ii) ग़रीब लोगों में, जो हमारे लिट्रेचर ख़रीदने की सकत न रखते हों, लिट्रेचर की मुफ़्त तक़सीम।

(iii) जो लोग जमाअत के काम में अपना पूरा समय देते हों उनके निजी ख़र्चों को पूरा करना।

इस बारे में अगर किसी मौक़े पर अधिक जानकारी या हिदायतों की ज़रूरत महसूस हो तो वे अमीरे जमाअत से हासिल की जा सकती है।